




16th वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18

Empowering Farmers of NE Region and strengthening their livelihood



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED



बीवीएफसीएल की 16वीं वार्षिक आमसभा के दौरान राष्ट्रीय गीत का एक दृश्य जो कि नामरूप में 28 सितम्बर, 2018 को हुई

A scene during performance of National Anthem in 16th AGM of BVFCL held on 28th September, 2018 in Namrup



श्री एस.डी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल स्वतंत्रता दिवस (2018) के अवसर पर गांधी मैदान नामरूप में परेड का निरीक्षण करते हुए

Shri S.D. Singh, CMD, BVFCL inspecting parade on Independence Day at Gandhi Maidan Namrup



श्री एस.डी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त) एवं श्री ए.के. घोष, निदेशक (उत्पादन) बीवीएफसीएल स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान नामरूप में आयोजित कार्यक्रमों को देखते हुए

Shri S.D. Singh, CMD, Shri Sanjai Maheshwari, Director (Finance) and Shri A.K. Ghosh, Director (Production) observing Independence Day Programmes at Gandhi Maidan, Namrup



श्री एस.डी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल गणतंत्रा दिवस पर गांधी मैदान नामरूप में सीआईएसएफ यूनिट की परेड का अवलोकन करते हुए

Shri S.D. Singh, CMD, BVFCL observing parade of CISF Unit at Gandhi Maidan Namrup on Republic Day

16th বার্ষিক প্রতিবেদন 16TH ANNUAL REPORT

2017-2018



ব্রাহ্মপুত্র উপত্যকা সার কারখানা লিমিটেড
ইউনিট নং ১, পল্লী: মল্লিকগাঁও, টাঙ্গাইল জেলা, ফোন: +৮৮৬৬২৩

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

Regd. Office : Namrup, P.O.: Parbatpur, Dist.: Dibrugarh -786623, Assam



श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त), बीवीएफसीएल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीहू पण्डाल नामरूप में पौधारोपण के बाद, कंपनी के अधिकारियों के साथ

Shri Sanjai Maheshwari, Director (Finance), BVFCL after plantation in Bihu Pandal, Namrup along with official of company on world environment day



श्री एस.डी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान, नामरूप में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए

Shri S.D. Singh. CMD, BVFCL saluting National flag on Independence Day at Gandhi Maidan, Namrup



गांधी जयंती पर स्वच्छता के बारे में जन जागरूकता के लिए कंपनी के अधिकारी क्लब के मुख्य द्वार के बाहर बीवीएफसीएल कर्मचारियों द्वारा खेले गये नुक्कड़ नाटक का एक दृश्य

A scene of street play by BVFCL employees at outside the Main Gate of Officer's club for public awareness about Swachhata on Gandhi Jayanti

संक्षेप

CONTENTS

पृष्ठ सं./ Page No.

1	निदेशक मंडल	Board of Directors	5
2	प्रबंधन टीम	Management Team	7
3	नागरिक चार्टर	Citizen Charter	9
4	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भाषण	Speech of Chairman & Managing Director	12
5	वार्षिक आम सभा का नोटिस	Notice of Annual General Meeting	17
6	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	21
7	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	Management Discussion and Analysis Report	30
8	ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा के अर्जन एवं बहिर्गमन से संबंधित ब्योरे का प्रकटन	Disclosure of particulars with respect to conservation of energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo	58
9	अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाली वार्षिक विवरण	Annual statement showing representation of SCs, STs, OBCs and PHs	62
10	कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट	Corporate Governance Report	63
11	आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा	Declaration of Compliance of Code of Conduct	85
12	सचिवीय लेखा परिक्षा रिपोर्ट	Secretarial Audit Report	86
13	कॉर्पोरेट अधिशासन प्रमाण-पत्र	Compliance Certificate of Corporate Governance	90
14	सीईओ और सीएफओ प्रमाण-पत्र	Certificate of CEO and CFO	93
15	बोर्ड निदेशक मंडल के सदस्यों की प्रोफाइल	Profile of Members of Board of Directors	95
16	परिक्षित वार्षिक लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Audited Annual Accounts	101
17	वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	Statutory Auditors' Report	103
18	तुलन पत्र	Balance Sheet	123
19	लाभ एवं हानि विवरण	Statement of Profit & Loss	125
20	रोकड़ प्रवाह विवरण	Cash Flow Statement	127
21	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant Accounting Policies	129
22	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	Notes on Financial Statements	136
23	कार्यनिष्पादन-एक दृष्टि में	Performance at glance	164



कार्यालय के सभागार प्रशासनिक भवन, नामरूप में 24 अगस्त, 2018 को आयोजित बीवीएफसीएल बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक का एक दृश्य

A scene of Audit Committee meeting of BVFCL Board held on 24th August, 2018 at conference room, Administrative Building in Namrup



श्री एस.डी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल कम्पनी के अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस (2018) के अवसर पर मरिजों को फल वितरण करते हुए

Shri S.D. Singh, CMD, BVFCL distributing fruits to patient in BVFCL Hospital on Independence Day (2018)



श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त), बीवीएफसीएल फायर सेवा दिवस के अवसर पर कम्पनी के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए

Shri Sanjai Maheshwari, Director (Finance), BVFCL addressing to the officials of BVFCL on the occasion of Fire Service Day



गणतंत्रा दिवस के अवसर पर गांधी मैदान, में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक आकर्षक दृश्य

An attractive scene of cultural programme performed on the occasion of Independence day at Gandhi Maidan Namrup

संस्थापक समिति
BOARD OF DIRECTORS



श्री धरमपाल, आईएएस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(29.09.2017 तक)

Shri Dharam Pal, IAS
Chairman & Managing Director
(upto 29.09.2017)



श्री एस.डी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(29.09.2017 से)

Shri S.D. Singh
Chairman & Managing Director
(from 29.09.2017)



श्री राजकुमार चण्डीक
निदेशक (वित्त)
(28.02.2018 तक)

Shri R.K. Chandiok
Director (Finance)
(upto 28.02.2018)



श्री संजय महेश्वरी
निदेशक (वित्त)
(01.03.2018 से)

Shri Sanjai Maheshwari
Director (Finance)
(from 01.03.2018)



श्री अशिम कुमार घोष
निदेशक (उत्पादन)
(11.09.2018 से)

Shri Ashim Kumar Ghosh
Director (Production)
(from 11.09.2018)



श्री सत्य मोहन गुप्ता
सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग)

Shri Satya Mohan Gupta
Govt. Director (Department of Fertilizers)



श्री राकेश कुमार
सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग)

Shri Rakesh Kumar
Govt. Director (Department of Fertilizers)



प्रो. अलक कुमार बुरागोहैन
गैर सरकारी निदेशक

Prof. Alak Kumar Buragohain
Non Official Director



श्री एस.डी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल विश्व योगा दिवस पर उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए

Shri S.D. Singh, CMD, BVFCL addressing to the participants on world yoga day



नामरूप में आयोजित बीवीएफसीएल के निदेशक मंडल की मीटिंग का एक दृश्य

A scene of Board of Directors meeting of BVFCL held in Namrup



श्री एस.डी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल हिंदी दिवस पर उपस्थित कम्पनी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

Shri S.D. Singh, CMD, BVFCL addressing on Hindi Divas to officials of the company



बीवीएफसीएल विपणन विभाग के अधिकारियों द्वारा गुवाहाटी में खुदरा विक्रेताओं को डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए पीओएस उपकरणों का वितरण

Distribution of POS devices for implementation of DBT to retailers in Guwahati by BVFCL Marketing Officials

संस्थापक अध्यक्ष

1. श्री धर्म पाल, आईएएस (*)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29.09.2017 तक)
 2. श्री एस.डी. सिंह (**)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29.09.2017 से)
 3. श्री राजीव कुमार चंडोक
निदेशक (वित्त) (28.02.2018 तक)
 4. श्री संजय माहेश्वरी,
निदेशक (वित्त) (01.03.2018 से)
 5. श्री सत्य मोहन गुप्ता
सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग)
 6. श्री राकेश कुमार
सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग)
 7. प्रोफेसर अलक कुमार बुरागोहेन
गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र)
 8. श्री असीम कुमार घोष
निदेशक, (उत्पादन) (11.09.2018 से)
- (*) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल के पद का अतिरिक्त प्रभार
- (**) निदेशक (उत्पादन), बीवीएफसीएल के नियमित पद पर 29.09.2017 तक, उसके उपरान्त दिनांक 29.09.2017 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नियमित पद का कार्यभार तथा तत्पश्चात् उन्होंने दिनांक 10.09.2018 तक निदेशक (उत्पादन) के पद का अतिरिक्त प्रभार धारण किया।

संस्थापक निदेशक

श्री आर.के. गुप्ता

मुख्य निदेशक

श्री प्रभास कुमार

उप निदेशक

श्री वाई.के. गोयल — महाप्रबंधक (विपणन)
श्री पी.सी. गुप्ता — उप महाप्रबंधक (वित्त)

BOARD OF DIRECTORS

1. Shri Dharam Pal, IAS (*)
Chairman & Managing Director (upto 29.09.2017)
 2. Shri S.D.Singh (**)
Chairman & Managing Director (from 29.09.2017)
 3. Shri Rajiv Kumar Chandiok
Director (Finance) (upto 28.02.2018)
 4. Shri Sanjai Maheshwari
Director (Finance) (from 01.03.2018)
 5. Shri Satya Mohan Gupta
Govt. Director (Department of Fertilizers)
 6. Shri Rakesh Kumar
Govt. Director (Department of Fertilizers)
 7. Professor Alak Kumar Buragohain
Non Official Director (Independent)
 8. Shri Ashim Kumar Ghosh
Director (production) (from 11.09.2018)
- (*) Additional charge of the post of Chairman & Managing Director, BVFCL
- (**) Holding regular post of Director (Production), BVFCL and after joining regular post of CMD w.e.f. 29.09.2017 and subsequently he hold additional charge of the post of Director (Production), BVFCL upto 10.09.2018.

COMPANY SECRETARY

Shri R.K. Gupta

CHIEF VIGILANCE OFFICER

Shri Prabhas Kumar

NAMRUP UNIT

Shri Y.K. Goel - General Manager (Marketing)
Shri P.C. Gupta - DGM (Finance)



श्री डी. सहाय — उप महाप्रबंधक (प्रचालन)
श्री आर.के. शर्मा — उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
श्री एस. सरकार — उप महाप्रबंधक (तकनीकी सेवा)
श्री मुकेश मिश्रा — उप महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन)
श्री पी.के. बनिक — उप महाप्रबंधक (अनुरक्षण)

हिसाब रक्काशी

मैसर्स पारिक एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुवाहाटी (असम)

यकर रक्काशी

मैसर्स बी. रे एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार, कोलकता (पश्चिम बंगाल)

आदर दक;

डाकघर : पर्वतपुर, नामरूप — 786623, जिला : डिब्रूगढ़
(असम)
दूरभाष : 0374-2500618; फ़ैक्स : 0374-2502777, 0317
ई-मेल : info@bvfc.co.in
वेबसाइट का पता : www.bvfc.com
सीआइएन : यू24123एस2002जीओआई006786

; फुव

नामरूप (असम)

फो/क 1 यगद

मैसर्स स्टील एंड हैडो, डिब्रूगढ़

कल

भारतीय स्टेट बैंक
यूको बैंक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
सिंडिकेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ इंडिया

Shri D. Sahai — DGM (Operation)
Shri R.K. Sharma — DGM (Human Resources)
Shri S.Sarkar — DGM (Technical Services)
Shri Mukesh Mishra — DGM (Material Management)
Shri P.K. Banik — DGM (Maintenance)

STATUTORY AUDITORS

M/s. Parik & Co
Chartered Accountants, Guwahati (Assam)

COST AUDITORS

M/s. B. Ray & Associates,
Cost Accountants, Kolkata (West Bengal)

Registered Office

P.O. : Parbatpur, Namrup-786623, District: Dibrugarh
(Assam)
Phone : 0374-2500618; Fax : 0374 -2502777, 0317
Email : info@bvfc.co.in
Website address: www.bvfc.com
CIN : U24123AS2002GOI006786

UNIT

Namrup (Assam)

LEGAL ADVISORS

M/s. Steel & Hadow, Dibrugarh

BANKERS

State Bank of India
UCO Bank
United Bank of India
Syndicate Bank
Punjab National Bank
Bank of India

उर्वरक पत्रिका

CITIZENS' CHARTER

परिचय

यह चार्टर हमारे मिशन, उद्देश्यों, मूल्यों, प्रतिबद्धताओं, मानकों और दूसरों से हमारी अपेक्षाओं की घोषणा है।

मिशन

- उर्वरकों का दक्षतापूर्वक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल ढंग से उत्पादन करना।
- स्वयं को लाभ अर्जित करने वाले उद्यम के रूप में स्थापित करना।
- देश के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भागों के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य करना।
- अन्य औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में विविधता लाना।
- क्षेत्र में संतुलित आर्थिक विकास करना।

उद्देश्य

बीवीएफसीएल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों का दक्षतापूर्ण और किफायती ढंग से उत्पादन और विपणन करना—
- सभी कार्यकलापों में दक्षता और उत्पादकता का इष्टतम स्तर बनाए रखना और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना—
- ऊर्जा संरक्षण की योजनाओं को लागू करते हुए उत्पादों के विशिष्ट ऊर्जा उपभोग में कमी लाना।
- संयंत्र प्रचालन सुरक्षा में लगातार सुधार करना—
- वर्ष 2017-18 के दौरान यूरिया उत्पादन क्षमता उपयोग में वृद्धि करना।
- कंपनी के मानव संसाधनों की गुणवत्ता को लगातार उन्नत बनाना तथा संगठनात्मक विकास को प्रोत्साहित करना।

Preamble

This Charter is a declaration of our mission, objectives, values, commitments, standards and our expectations from others.

Mission

- To produce fertilizer efficiently, economically and in environment friendly manner.
- To established itself as profit making enterprises
- To work for all round improvement of the strategically important North Eastern parts of the country.
- To diversify into production of other industrial products.
- To provide balanced economic growth in the region.

Objective

BVFCL has the following objectives:

- To produce and market fertilizers efficiently and economically in an environmentally sound manner;
- To maintain optimum levels of efficiency and productivity in all activities and to carry out upgradation of Technology;
- Reduction in specific energy consumption of the product by taking up and implementing energy savings schemes;
- To continuously improve plant operation safety.
- To achieve increase in urea production capacity utilisation during 2017-18;
- To continuously upgrade the quality of human resources of the company and promote organizational development.



ew;

हम अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन अत्यधिक

- निष्ठा
- तीव्रता
- समता
- अखण्डता
- पारदर्शिता से, और

बिना किसी भय या पक्षपात से करेंगे।

ekud

- हमने आपके साथ सभी लेनदेन करने के लिए अपने मानक स्थापित किए हैं। हम यह वचन देते हैं कि किसी संभावित या अवश्यंभावी विलंब के मामले में हम इसकी सूचना तत्काल संबंधित पार्टी को देंगे।

gekjh i frc) rk a

हम निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध हैं :-

- विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक उर्वरकों का उत्पादन और वितरण करना;
- उपभोक्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अपने उर्वरकों का समय पर वितरण करना;
- मानव संसाधनों की प्रौद्योगिकियों और विकास का सतत उन्नयन करना; तथा
- निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना।

xlgdk@ukxfjdldks i nku dh xbZl ok a

उत्पादकता में सुधार करने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु गांव/ब्लॉक स्तर पर कंपनी द्वारा किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

Values

We shall carry out our functions and duty with utmost :

- Sincerity
- Speed
- Equity
- Integrity
- Transparency

and without any fear or favour.

Standards

- We have set up upon ourselves the standards for all transactions with you. We undertake that in case of likely or inevitable delay, we shall promptly communicate the same to the party concerned.

Our Commitments

We commit to the following :-

- Produce and distribute quality fertilizers conforming to the specifications.
- Timely distribution of our fertilizers to ensure consumer satisfaction.
- Continual upgradation of Technology and Development of Human Resources.
- Strict adherence to the prescribed Safety, Health and environmental Protection Standards.

SERVICE EXTENDED TO THE CUSTOMERS/CITIZENS'

Training is imparted to the farmers free of cost by the Company in village/block level for balanced use of fertilizers for improving productivity.

निम्नलिखित शिकायत निवारण प्रणाली क्या है; क्या है; क्या है

1. कर्मचारी शिकायत निवारण समिति
2. टाउनशिप कल्याण समिति
3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना
4. ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
5. जनता विश्व या वित्तीय अनियमितताओं के निवारण से संबंधित शिकायतों के लिए कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी से संपर्क कर सकती है।
6. केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस)

FOLLOWING GRIEVANCES REDRESSAL MACHANISM HAVE BEEN CONSTITUTED IN THE COMPANY.

1. Employees Grievance Redressal Committee
2. Township Welfare Committee
3. Information under the Right to Information Act, 2005
4. Customer Grievances Redressal Cell
5. Complaints involving redressal for bribes or financial irregularities, public may approach to the Chief Vigilance Officer of the Company
6. Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System (CPGRAMS)

क्या है; क्या है; क्या है

- क. याचिकाकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर देना
2 1 lrlg
- ख. संबंधित प्राधिकारी को शिकायत याचिका भेजना
3 1 lrlg
- ग. शिकायत याचिका का अंतिम निपटान
2 eghus

TIME LIMIT FOR DISPOSAL OF GRIEVANCES

- a. Issue of acknowledgement /interim reply to petitioner
2 weeks
- b. Forwarding of the grievance petition to the concerned authority
3 weeks
- c. Final disposal of the grievance petition
2 months

क्या है; क्या है; क्या है

हम ग्राहकों/नागरिकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिए बिना और तुच्छ मुद्दों को उठाए बिना कंपनी के साथ अपने सभी लेनदेन में अपने अधिकारों और बाध्यताओं का प्रयोग करने में तर्कसंगत होंगे और शीघ्र कार्रवाई करेंगे।

EXPECTATION FROM CUSTOMERS/CITIZENS

We expect from the customers / citizens to be reasonable and prompt in exercising your rights and obligations in all your transactions with the company without extending inducement of any kind and not raising any frivolous issues.

- क. ग्राहक द्वारा खरीदे गए उत्पाद इसकी गुणवत्ता, वजन आदि के बारे में सूचना को समय पर देना।
- ख. आगे सुधार करने के लिए सुझाव।

- a. Timely feed back of information about the product purchased by the customer, its quality, weight, etc.
- b. Suggestion for further improvement.



16वां वार्षिक आम बैठक का अध्यक्षीय भाषण

प्रिय सदस्यों,

मुझे कंपनी की इस 16वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। अब तक आपको वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हो गई होंगी। मुझे लगता है कि आपने पूरी वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ लिया होगा और मैं इसे पढ़ा गया मान लेता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्र से कुल यूरिया उत्पादन क्रमशः 57,730 मीट्रिक टन और 2,11,856 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष की संबंधित अवधि 2016-17 के दौरान कुल यूरिया उत्पादन से क्रमशः 60,162 मीट्रिक टन और 2,50,443 मीट्रिक टन कम है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पूरा उत्पादन नीम लेपित यूरिया का किया गया।

नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्रों दोनों को वर्ष 2017-18

CMD'S ADDRESS AT THE 16TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,

It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all of you at this 16th Annual General Meeting of your Company. By now you must have received copies of the Annual Report for the financial year 2017-18. I assume you have gone through the full Annual Report and consider it as read.

During the fiscal year 2017-18, total urea production from Namrup-II and Namrup-III Plant was 57,730 MT and 2,11,856 MT respectively, which is lower than the total urea production of 60,162 MT and 2,50,443 MT respectively during the corresponding period of previous year 2016-17. The entire production quantity was Neem Coated urea as per the directives of Govt of India.

Both the Namrup-II and Namrup-III plants encountered

के दौरान कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप ऊपर उल्लिखित अनुसार कम उत्पादन हुआ। नामरूप-II संयंत्र का प्राइमरी रिफार्मर ट्यूब को नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्रों के प्राइमरी रिफार्मर की रेट्रोफिटिड पुरानी और उपयोग की गई ट्यूबों के साथ बदलने के लिए वार्षिक शटडाउन किया गया था। अमोनिया हॉर्टन क्षेत्र में रिजनरेशन कॉलम, एनडीटी और हाइड्रोलिक परीक्षण के रखरखाव जैसे अन्य प्रमुख कार्यों, वार्षिक शटडाउन के दौरान सीओ कंप्रेसर की मरम्मत भी की गई। उपर्युक्त वार्षिक शटडाउन के कारण संयंत्रों को 56 दिनों की उत्पादन हानि हुई।

संयंत्रों के नामरूप-III समूह का वार्षिक शटडाउन सिंथेसिस गैस कंप्रेसर के ईएमजी टरबाइन की रेट्रोफिटिंग, प्रोसेस रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर के टर्बाइन रोटर को बदलने, प्रिलिंग टावर की इपोकसी कोटिंग, यूरिया रिएक्टर के शीर्ष कवर की मरम्मत करने और सहायक बॉयलर की क्षतिग्रस्त ट्यूब को बदलने के लिए की गई थी ताकि संयंत्रों की विश्वसनीयता और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया जा सके। संबंधित अतिरिक्त पुर्जों के साथ उन्नत टरबाइन रोटर की आपूर्ति और रेट्रोफिटिंग की निगरानी का कार्य भेल को दिया गया था। जैसा कि भेल द्वारा दर्शाया गया है, पूरी रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया 20 दिनों में की जानी थी, लेकिन मुख्य रूप से मैसर्स भेल द्वारा आपूर्ति की गई ईएमजी टरबाइन के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों में तालमेल न होने के कारण इसमें लगभग 46 दिन का समय लग गया।

1.95 एमएमएससीएमडी की कुल आवश्यकता की तुलना में औसतन 1.60 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने पर, कंपनी नामरूप-II की क्षमता का केवल 50% और नामरूप-III को 100% क्षमता पर संचालित कर सकी। तथापि, वर्ष के दौरान ऐसा कई बार हुआ जब प्राकृतिक गैस के दबाव में अचानक कमी आने के कारण संयंत्रों को या तो बंद करना पड़ा या दोनों संयंत्रों के लोड को कम करना पड़ा था। इसके अलावा, उपकरण में खराबी आने और बिजली चले जाने के कारण नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्रों में उत्पादन संबंधी कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई थीं। दोनों संयंत्र बहुत पुराने, अप्रचलित और ऊर्जा की अधिक खपत वाले हैं। आयु बढ़ने के कारण, उपकरणों में बार-बार खराबी आने की दर में काफी वृद्धि हुई, लेकिन संयंत्रों की स्थिरता में सुधार करने के लिए रखरखाव और संचालन स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी ने संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित

few interruptions during the year 2017-18 resulting in lesser production as indicated above. The Namrup-II plant was taken under annual shutdown for replacement of the primary reformer tube with the retrofitted old and used tubes of the primary reformer of Namrup-II and Namrup-III plants. Other major jobs like maintenance of the regeneration column, NDT & hydraulic test in Ammonia Horton sphere, overhauling of CO2 compressor were also taken during the annual shutdown. The plants suffered a production loss for 56 days due to the above said annual shutdown.

The annual shutdown of Namrup-III group of plants was taken for retrofitting of EMG Turbine of Synthesis Gas Compressor, replacement of Turbine Rotor of Process Refrigeration Compressor, epoxy coating of Prilling tower, repair of top cover of urea reactor and replacement of the damaged tube of auxiliary boiler so as to enhance the reliability and efficiency of the plants. The supply of upgraded turbine rotor along with the associated spares and the supervision of the retrofitting were under the scope of BHEL. As indicated by BHEL, the entire retrofitting job was to be done in 20 days but it took around 46 days mainly because of the mismatching of various critical components of EMG Turbine supplied by M/s. BHEL.

With the availability of average 1.60 MMSCMD Natural Gas against a total requirement of 1.95 MMSCMD, the company could operate Namrup-II at only 50% of the capacity and Namrup-III at 100% capacity. However, some times during the year, plants faced sudden pressure drop of the natural gas forcing either shutdown of plants or load reduction of both the plants. Besides, there were few production interruptions in Namrup-II & III plants because of the breakdown of the equipment and power failures. Both the plants have become very old, obsolete and energy intensive. Due to ageing, the frequency of the breakdown of the equipment has considerably increased but continuous efforts are there on maintenance and operation for improvement of the sustainability of the plants.

Your company undertook in-house modification jobs and other cost cutting measures on regular basis with

करने के लिए नियमित रूप से संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के संबंध में नियमित आधार पर आंतरिक सुधार किए और लागत कम करने के लिए अन्य उपाय किए। आपकी कंपनी पूर्वोत्तर और अन्य आस-पास के राज्यों के किसानों के लिए निरंतर मुक्ता यूरिया की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए नए संयंत्र (नामरूप-IV) के चालू होने तक मौजूदा संयंत्रों को बिना किसी बड़े पूंजी निवेश से चलाने का बेहतरीन प्रयास कर रही है।

कंपनी 2017-18 में 35.754 मीट्रिक टन जैव उर्वरकों और 91.373 मीट्रिक टन कृमि खाद का उत्पादन करने में सक्षम रही है। वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पादित जैव उर्वरक का वार्षिक उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर रहा। यह लक्ष्य ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टाउनशिप से जैव उर्वरक संयंत्र को पुराने अनावश्यक सल्फ्यूरिक एसिड बिल्डिंग में संयंत्रों के परिसर के अंदर स्थानांतरित करने के बावजूद प्राप्त किया गया है, ताकि पुराना स्थान होने के कारण बार-बार बिजली जाने, संयंत्र से इसके काफी दूर होने आदि जैसी समस्याओं से निजात पाई जा सके। संयंत्र को बहुत ही कम समय में अपने नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। कंपनी ने 2016-17 में 18.50 मीट्रिक टन जैव-उर्वरकों की तुलना में 2017-18 में 42.007 मीट्रिक टन की बिक्री की है। इसने 2016-17 में 62.168 कृमि खाद की तुलना में 2017-18 में 87.179 मीट्रिक टन की बिक्री की है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष 20 मीट्रिक टन के मुकाबले 120 मीट्रिक टन सिटी कम्पोस्ट की बिक्री की है।

मैं यहां बताना चाहता हूं कि उर्वरक विभाग द्वारा नेपाल को 22500 मीट्रिक टन यूरिया का निर्यात करने की दी गई अनुमति को वर्ष के दौरान आयात समता मूल्य (आईपीपी) पर पूरा किया गया था।

आपकी कंपनी वर्ष के दौरान 78.61 लाख रुपए का मामूली निवल लाभ दर्ज करने में सक्षम रही है।

आपकी कंपनी के नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्रों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नई यूरिया नीति 2015 के दायरे से इन तथ्यों के आधार पर बाहर रखा गया है कि ये इकाइयां राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस नेटवर्क से जुड़ी नहीं हैं और नामरूप-IV की स्थापना के साथ इन्हें बंद किए जाने का प्रस्ताव है। नामरूप-IV संयंत्र के चालू होने तक, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप-II और नामरूप-III को संशोधित

respect to plant operation and maintenance so as to ensure safe and reliable operation with enhanced energy efficiency of the plants. Your company is also making best effort to keep the existing plants running without any major capital investment till commissioning of the new Plant (Namrup-IV) to keep supply of Mukta Urea uninterrupted to the farmers of the NE and other nearby states.

The Company has been able to produce 35.754 MT of Bio Fertilizer and 91.373 MT of Vermi Compost in 2017-18. Bio Fertilizer produced during the year 2017-18 was the all time highest annual production. This could be achieved inspite of shifting the Bio Fertilizer Plant from the BVFCL Township to inside the plant premises in old redundant Sulphuric Acid Buildings to get rid of various locational problems being faced in the old location like frequent power off, considerable distance from the plant etc. The plant was shifted to its new location within a very short time. The company has sold 42.007 MT of Bio-fertilizers in 2017-18 against 18.50 MT in 2016-17. It has sold 87.179 MT of Vermi-Compost in 2017-18 against 62.168 in 2016-17. During the year, company has sold city compost 120 MT against the previous year 20 MT.

I wish to record here that the export permission of 22500 MT of urea to Nepal accorded by the DOF was fulfilled during the year at Import Parity Price (IPP).

Your company has been able to register a marginal net profit of Rs.78.61 Lacs during the year.

Namrup-II and Namrup-III of your company has been kept outside the purview of the New Urea Policy 2015 notified by the Govt. of India based on the facts that these units are not connected to the National NG Network and are proposed to be closed down with the commissioning of Namrup-IV. Till the commissioning of Namrup-IV plant, BVFCL Namrup-II and Namrup-III will continue to be

एनपीएस-III के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा।

उर्वरक विभाग (डीओएफ), किसानों को उर्वरक सेवा डिलिवरी में सुधार करने के लिए उर्वरक राजसहायता भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) परियोजना लागू कर रहा है। इस तरह के प्रयासों के लिए, उर्वरक विभाग के निर्देशों के अनुसार और राज्यों के कृषि विभाग के परामर्श से पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस (उपकरण बिक्री स्थल) पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संबंधित राज्य की प्रमुख उर्वरक कंपनी के माध्यम से बिहार और पश्चिम बंगाल में अपने हिस्से के पीओएस को भी तैनात किया है। पीओएस डीबीटी परियोजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और खुदरा विक्रेताओं द्वारा केवल पीओएस उपकरणों के माध्यम से ही किसानों को उर्वरकों की बिक्री की जा रही है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 15.07.2016 को कंपनी के दैनिक बाजार, नामरूप, जिला डिब्रूगढ़ में अपनी पहली मॉडल उर्वरक खुदरा दुकान खोली और बाद में असम में सभी लक्षित दस मॉडल खुदरा उर्वरक दुकानों की स्थापना की। आपकी कंपनी ने यूरिया को पैक करने के लिए 50 कि.ग्रा. के बैग के स्थान पर 45 कि.ग्रा. के बैग का इस्तेमाल करने के भारत सरकार के निर्देशों को लागू किया है।

भविष्य में दीर्घकालिक स्थिरता को देखते हुए, उर्वरक विभाग ने परियोजना को स्थापित करने के लिए सीपीएसई और असम सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में एक नई पहल की है, जिसमें मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड, असम सरकार और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नामांकन आधार पर क्रमशः 52%, 26%, 11% और 11% इक्विटी आवंटित की जाएगी। प्रस्तावित संयंत्र की यूरिया उत्पादन क्षमता को 8.646 एलएमटीपीए से बढ़ाकर 12.70 एलएमटीपीए करने पर विचार किया गया है। टीईएफआर को प्राकृतिक गैस फीडस्टॉक और 2.347 एमएमएससीएमडी ईंधन पर आधारित 12.70 एलएमटीपीए यूरिया उत्पादन क्षमता के लिए अद्यतन किया गया है। नए संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचाराधीन है।

कंपनी की जनशक्ति स्थिति, विशेष रूप से मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर कुशल जनशक्ति की तीव्र कमी के साथ नाजुक बनी हुई है। कुशल और अनुभवी जनशक्ति भर्ती के लिए प्रयास किए गए, लेकिन मुख्य रूप से स्थानीय परिस्थिति के प्रतिकूल होने के कारण इसमें वांछित सफलता नहीं मिली है।

covered under the provisions of Modified NPS-III.

The Department of Fertilizers (DoF), is implementing Direct Benefit Transfer (DBT) project for fertilizer subsidy payments with a view to improve fertilizers service delivery to the farmers. In such strive, as per the directives of DoF and in consultation with the agriculture deptt of the states, POS (Point of Sale devices) have already been deployed in the NE states. BVFCL has also deployed the POS of its share in Bihar and West Bengal through the lead fertilizer company of the respective state. POS play an important role in implementation of the DBT project and the sale of fertilizers are being done by retailers to farmers only through PoS devices. BVFCL opened its first Model Fertilizer Retail Shop at company's Daily market, Namrup, District Dibrugarh on 15.07.2016 and subsequently established all the targeted ten Model Retail Fertilizer Shops in Assam. Your company has implemented the directives of Govt. of India to pack urea in 45 kg. bag in place of earlier 50 kg. bag.

Looking ahead for long term sustainability, Dept. of Fertilizers has taken a fresh initiative to establish the project as Joint Venture of CPSEs and Govt. of Assam, in which 52%, 26%, 11% and 11% equity will be allotted to M/s RCF Ltd., OIL, Govt. of Assam and BVFCL respectively on nomination basis. The production capacity of the proposed plant has been considered to be enhanced from 8.646 LMTA to 12.70 LMTA of Urea. TEFR has been updated for 12.70 LMTA urea production capacity based on Natural Gas feedstock and fuel of 2.347 MMSCMD. The proposal for establishment of the new plant is under the consideration of Department of Fertilizers.

The manpower position of the Company remains critical with acute shortage of skilled manpower especially in middle and senior level. Efforts have been made to recruit skilled and experienced manpower without desired success mainly due to locational disadvantage.



आपकी कंपनी ने उर्वरक विभाग, भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 2007 के वेतनमान संशोधन को 12.01.2018 से लागू किया है।

अच्छा कॉर्पोरेट शासन हमेशा से आपकी कंपनी का प्रतीक रहा है। कंपनी का सिद्धांत व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए अपने लेनदेन और देश के कानूनों और विनियमों के अनुपालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित तिमाही अनुपालन रिपोर्ट को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने आचार संहिता नियमों के अनुपालन की पुष्टि की है।

मैं आपकी कंपनी को चलाने के लिए निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मैं उर्वरक विभाग का हमें निरंतर समर्थन और सहयोग देने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी कंपनी को राज्य सरकारों और अन्य सभी प्राधिकारियों और एजेंसियों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं।

मैं आपकी कंपनी के सभी कर्मचारियों का संगठन के समक्ष आई चुनौतियों से निपटने में उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। मैं कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और मूल्य वर्धन के लिए मैं हमेशा की तरह हमारे सभी प्रयासों में आपसे निरंतर सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करता हूं। मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और आने वाले त्योहारों और उत्सवों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द!

ह. / -
, 1-Mh fl g
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06386219

स्थान : नामरूप
दिनांक : 28 सितम्बर, 2018

Your company has implemented the wages revision of 2007 pay scale w.e.f. 12.01.2018 after getting the approval of Department of Fertilizers, Govt. of India.

Good corporate governance has always been the hallmark of your Company. The philosophy of the Company is to ensure transparency in its dealings and compliance of country's laws and regulations in order to promote ethical conduct of business. Quarterly compliance report for corporate governance has been sent to the administrative Ministry as per the applicable guidelines. All the Directors and Senior Management officials have affirmed the compliance to Code of Conduct Rules.

I wish to place on record my sincere appreciation to my colleagues on the Board of Directors for the valuable support and guidance in running the affairs of your company. I take this opportunity to thank Department of Fertilizers for their unstinted support. I also acknowledge the support extended by the State Governments and all other authorities and agencies of your company.

I also thank all the employees of your company for their untiring efforts in meeting the challenges posed before the organisation. I also thank the trade unions for their dedication in taking the company forward in achieving the objectives. With the assurances of the fulfilling your expectation and creating values I look forward to your continued support in all our endeavors, as always. I thank all of you once again and offer my best wishes for a very joyous festive season ahead.

Jai Hind.

Sd/-
S D Singh
Chairman and Managing Director
DIN 06386219

Place : Namrup
Date : 28th September, 2018

16वाँ वार्षिक आम सभा

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम सभा की बैठक निम्नलिखित कार्य करने के लिए शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सभागार, प्रशासनिक भवन, नामरूप, डाकघर: पर्वतपुर, जिला: डिब्रूगढ़ (असम) – 786623 में होगी :

1. आम सभा

1. इस आम सभा में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के परीक्षित वार्षिक लेखा प्राप्त करना, उन पर विचार करने तथा उन्हें अपनाने के साथ-साथ निदेशक की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी एंड एजी) की टिप्पणियों का अनुमोदन करना।
2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन (नों) सहित या उसके बिना सामान्य कारोबार के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना।

“यह संकल्प लिया जाता है कि लेखा परीक्षा समिति/ बोर्ड को एतद्वारा वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक की समीक्षा करने, उस पर निर्णय लेने और उसका अनुमोदन करने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा सांविधिक लेखा-परीक्षक इस वार्षिक आम सभा की समाप्ति से लेकर अगली वार्षिक आम सभा की बैठक की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे।

2. निम्नलिखित निर्णय

3. निम्नलिखित निर्णय पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन(नों) के उसे पारित करना:

“संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा समय-समय पर संशोधित अनुसार कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के अन्य

NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting of the members of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited will be held on Friday, 28th day of September, 2018 at 10.00 A.M. at the registered office of the Company in the Conference Room, Administrative Building, Namrup, P.O.: Parbatpur, District : Dibrugarh (Assam) - 786623 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Corporation for the financial year ended 31st March, 2018 together with the Reports of Directors, Independent Auditors' Report and the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C & A G) thereon.
2. To fix remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2018-19 and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT the Audit Committee/Board be and is hereby authorised to review and approve such remuneration as it may decide for the Statutory Auditors appointed by Comptroller and Auditor General of India for the year 2018-19 and the Statutory Auditors shall hold office from the conclusion of this Annual General Meeting till the conclusion of next Annual General Meeting.”

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification(s), as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors)

लागू प्रावधानों के अनुसरण में मैसर्स एस. चौधरी एंड कंपनी, लागत लेखाकार, कोलकाता, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त कंपनी के लागत लेखा-परीक्षकों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा:

- i) वर्ष 2018-19 (नामरूप- II और III संयंत्र) के लिए जून, सितंबर और दिसंबर हेतु तीन (03) तिमाहियों के लिए वार्षिक लागत लेखा परीक्षा और तिमाही लागत समीक्षा के लिए कुल पेशेवर शुल्क रु. 24,000/- (चौबीस हजार हजार) देय होगा;
- ii) वार्षिक रिपोर्ट को एक्सबीआरएल फॉर्मेट में परिवर्तित करना तथा इसे 3,000/- रुपए (तीन हजार रुपए मात्र) शुल्क पर एमसीए पोर्टल पर अपलोड करना;
- iii) यात्रा व्यय के प्रतिपूर्ति दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रोपराइटर या भागीदार 1 (एक) को द्वितीय श्रेणी एसी रेल किराया (आने-जाने के लिए) और लेखा परीक्षा सहायक 1(एक) को तृतीय श्रेणी एसी रेल किराया (आने-जाने के लिए) या वास्तविक व्यय के अनुसार, जो भी कम हो, रेल यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति;
- iv) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतिथि गृह में लेखा परीक्षा टीम के लिए भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था। नामरूप रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड और कंपनी के गेस्ट हाउस से कार्य स्थल तक आने-जाने के लिए कंपनी द्वारा स्थानीय परिवहन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तथापि, मूल गंतव्य स्थान पर स्थानीय परिवहन प्रभार के संबंध में, प्रतिपूर्ति लेखा परीक्षा कर्मचारियों के लिए ऑटो प्रभार रु. 200/- और प्रोपराइटर या भागीदार को टैक्सी प्रभार रु. 300/- या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
- v) सभी उपर्युक्त व्यावसायिक शुल्क में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है;

Rules, 2014, as amended from time to time, M/s. S. Choudhury & Co., Cost Accountants, Kolkata, Cost Auditors of the Company appointed by the Board of Directors of the Company to conduct the audit of the cost records of the Company for the financial year ending 31st March, 2019 be paid the remuneration as under :

- i) A total professional fee payable Rs. 24,000/- (Rupees Twenty Four Thousand only) towards annual cost audit and quarterly cost review for three (03) quarters i.e. June, September and December for the year 2018-19 (Namrup-II & III plants) ;
- ii) Conversion of Annual Cost Audit Report to XBRL format and uploading fee to MCA portal for Rs. 3,000/- (Rupees Three Thousand only);
- iii) Reimbursement of travelling expenses by 2AC rail fare (to & fro) to Proprietor or Partner 1(one) and 3AC rail fare (to & fro) to audit assistant 1(one) or as per actuals, whichever is less, on submission of documentary evidence;
- iv) Fooding and lodging to the audit team in BVFCL Guest House free of charge. Local transport at the Namrup Railway Station/ Bus Stand and Company's Guest House to place of work to and fro, shall be provided by the company free of charge. However, in respect of local transport charges at the originating destination, the reimbursement shall be limited to auto charges @Rs. 200/- to Audit staff and Rs. 300/- for Proprietor or Partner by Taxi, or actual, whichever is less.
- v) All the charges/fees are excluding the applicable taxes, if any;

‘आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को लागू करने में शीघ्रता करने तथा ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु सभी कार्य, व्यवस्था और प्रावधान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to take all such steps, as may be necessary or expedient to give effect to this resolution.”

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

By Order of the Board of Directors

ह. /—
व. क. गुप्ता
कंपनी सचिव

Sd/-
R.K. Gupta
Company Secretary

स्थान : नामरूप

Place : Namrup

दिनांक : 14 सितम्बर, 2018

Date : 14 September, 2018

ध्यान देने योग्य बातें

Note :

1. बैठक में उपस्थित होने और मत देने का पात्र कोई भी सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो।
2. बैठक में भाग लेने के लिए सदस्य/प्रतिनिधि अपने साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर अपने साथ लायें।
3. मद सं.3 (विशेष व्यवसाय) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

1. A member entitled to attend and vote is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a member of the Company.
2. Members/Proxies should bring the Annexed Attendance Slip duly filled in for attending the Meeting.
3. Explanatory Statement Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the items No. 3 (Special Business) is annexed hereto.

संलग्न

To

सभी सदस्यों को;
सभी निदेशकों को;
आचार्य/अध्यक्ष;
कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को;
कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को;

All Members of BVFCL
All the Directors on the BVFCL Board
(including Chairman of Audit Committee)
Statutory Auditors of the Corporation
Secretarial Auditors of the Corporation



लघु वृत्त

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लागू
कर के बारे में

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, वित्त वर्ष
2018-19 के लिए वित्त वर्ष

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागत रिकार्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर 16 जून, 2018 को मैसर्स एस. चौधरी एंड कंपनी, लागत लेखाकार (एफआरएन: 000532), कोलकाता की नियुक्ति और पारिश्रमिक को अनुमोदित कर दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148, अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित उपबंधों के अनुसार सूचना की मद सं. 3 पर सदस्यों से सामान्य संकल्प द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के लिए सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

तदनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तावित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

उक्त सामान्य संकल्प को पारित करने में कोई निदेशक या कंपनी का मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, इससे संबंधित नहीं है या वित्तीय रूप से या अन्यथा रुचि नहीं रखते।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह. / -
वर्तमान
कंपनी सचिव

स्थान : नामरूप

दिनांक : 14 सितंबर, 2018

ANNEXURE TO THE NOTICE

(Explanatory Statement Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013)

Item no. 3 : Ratification of the Remuneration of the Cost Auditors of the Company for the financial year 2018-19.

The Board of Directors of the Company has approved the appointment and remuneration of M/s. S. Choudhury & Co., Cost Accountants (FRN: 000532), Kolkata on 16th June, 2018 on the recommendation of the Audit Committee to conduct the audit of the Cost Accounting Records for the financial year 2018-19. In accordance with the provisions of Section 148 and other applicable provisions of Companies Act, 2013 read with the Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, ratification for the remuneration payable to the Cost Auditors for the financial year 2018-19 by way of the an Ordinary Resolution is being sought from the members, as set out at item No. 3 of the Notice.

The Board accordingly recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution for approval of the members.

None of the Directors or Key managerial personnel of the company or their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise in passing of the said Ordinary Resolution.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
R.K. Gupta
Company Secretary

Place : Namrup

Date : 14 September, 2018

निदेशकों का वार्षिक रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रिय सदस्यो,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सभी क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन को दर्शाने वाले लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण सहित कॉर्पोरेशन की 16वीं (सोलहवीं) वार्षिक रिपोर्ट एवं स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

1- वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण

पिछले वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31-03-2018 दिसंबर 2017	31-03-2017 दिसंबर 2016
मूल्यहास और ब्याज से पूर्व लाभ (+)/हानि (-)	13.83	43.21
मूल्यहास	36.32	35.61
ब्याज	0	0.10
कर पूर्व लाभ (+)/हानि (-)	(-)22.49	7.50
असाधारण आय	21.96	0
कर व्यय (क्रेडिट)	1.32	0
कर पश्चात् लाभ (+)/हानि (-)	0.79	7.50

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के 43.21 करोड़ रुपए के प्रचालन लाभ की तुलना में 13.83 करोड़ रुपए के मूल्य हास, ब्याज और कर (पीबीडीआईटी) पूर्व लाभ अर्जित किया है। लाभ में कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हैं:

i) उपर्युक्त अवधि के दौरान, पिछले वर्ष के 310605 मीट्रिक टन की तुलना में कुल उत्पादन

DIRECTORS' REPORT

To,
The Members,
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd.

Dear Members,

Your Directors have great pleasure in presenting the 16th (Sixteenth) Annual Report on the performance of the your company along with the Audited Annual Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2018 together with Independent Audit Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.

1. REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE:

The summarized financial performance of the Company during the year under review vis-a-vis previous year are stated as under :

(Rs. in Crores)

Particulars	For the year ended 31.03.2018	For the year ended 31.03.2017
Profit (+)/Loss (-) before Dep. & Int.	13.83	43.21
Depreciation	36.32	35.61
Interest	0	0.10
Profit (+)/Loss (-) before Tax	(-)22.49	7.50
Extra-ordinary Income	21.96	0
Tax expenses (Credit)	1.32	0
Net Profit (+) / Loss (-) after Tax	0.79	7.50

During the financial year under review, company has earned Profit before Depreciation, Interest and Tax (PBDIT) of Rs. 13.83 crores in comparison to previous year Rs. 43.21 crores: The decrease in profitability is mainly due to the following reasons:

ii) During the above period, total production was 269586 MT in comparison to previous

269586 मीट्रिक टन था, जो 13.21% कम उत्पादन है और इसके परिणामस्वरूप कारोबार भी 14.47%, कम रहा, वर्ष 2017-18 में 381.16 करोड़ रुपए और वर्ष 2016-17 में 445.62 करोड़ रुपए)।

year 310605 MT, recorded lower production by 13.21% and consequently, turnover has also been lower by 14.47%, Rs. 381.16 crores in 2017-18 and Rs. 445.62 crores in 2016-17).

2- izaku ppZvK fo'yšk k fjiWZ

कॉर्पोरेशन के प्रचालनों और भावी संभावनाओं को दर्शाते हुए प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट vugYud&I पर संलग्न है जो निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

2. MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

A Report on Management Discussion and Analysis Report covering the operations and future prospects of the Corporation is enclosed at **Annexure –I**, forming part of the Directors' Report.

3- dkWZsk vf/k Wd u

कॉर्पोरेशन कार्य मंत्रालय (एमसीए) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेशन अधिशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने संबंधी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड सदस्यों की आचार संहिता नियमों के अनुपालन की घोषणा सहित कॉर्पोरेशन अधिशासन पर एक रिपोर्ट तथा सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर vugYud&II में दिए गए हैं, जो निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

3. CORPORATE GOVERNANCE

A report on Corporate Governance along with declaration of compliance of code of conduct rules for Senior Management and Board members, Secretarial Audit Report, Certificate from Practising Company Secretaries firm conforming the compliance of corporate governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Department of Public Enterprises (DPE) and the management replies on the observations stated in Secretarial Audit Report are enclosed at **Annexure –II**, forming part of the Directors' Report.

4- funskd eMy eaifjorZ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने अपने दिनांक 13.09.2017 के आदेश द्वारा श्री एस.डी. सिंह (डीआईएन-06386219), निदेशक (उत्पादन), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के पद पर नियुक्त किया था। तत्पश्चात् श्री एस.डी. सिंह ने 29.09.2017 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व, श्री धर्म पाल,

4. CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS'

During the period under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Corporation:

- Vide Order dated 13.09.2017, the Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers had appointed Shri S.D.Singh (DIN-06386219), Director (Production), BVFCL on the post of the Chairman and Managing Director of the Company from the date of assuming the charge of the post. Subsequently, Shri S.D. Singh assumed the charge of the post of Chairman and Managing Director from 29.09.2017. Earlier, Shri Dharam Pal, IAS

आईएस (डीआईएन-02354549), अपर सचिव, उर्वरक विभाग 29.09.2017 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद का अतिरिक्त प्रभार धारण किए हुए थे।

- भारत सरकार ने श्री एस.डी. सिंह, सीएमडी, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 29.09.2017 से 11.09.2018 तक निदेशक (उत्पादन) के पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा। श्री असीम कुमार घोष (DIN-08222413) ने दिनांक 11.09.2018 को निदेशक (उत्पादन), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद का कार्यभार संभाला है।
- भारत सरकार ने श्री राजीव कुमार चंडोक (DIN-05146544), निदेशक (वित्त), नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड को निदेशक (वित्त), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद के अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 28.02.2018 तक बढ़ा दिया। इसके बाद, श्री संजय माहेश्वरी (DIN-00653170) ने 1 मार्च, 2018 से प्रतिनियुक्ति पर निदेशक (वित्त), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद का कार्यभार संभाला है।

निदेशक मंडल ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोर्ड में उनके कार्यकाल के दौरान श्री धर्म पाल, आईएस और श्री राजीव कुमार चंडोक द्वारा दी गई सेवाओं के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देती है।

5- **निदेशकों की ज़िम्मेदारियाँ**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के साथ पठित धारा 134 (3)(ग) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशक उल्लेख करते हैं कि:

- (क) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय अधिनियम की अनुसूची III के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पठित लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया और इसके लिए किसी सामग्री का कोई विचलन नहीं किया गया है।
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया

(DIN-02354549), Additional Secretary, Department of Fertilizers was holding additional charge of the post of Chairman & Managing Director, BVFCL upto 29.09.2017.

- The Govt of India assigned additional charge of the post of Director (Production) to Shri S.D. Singh, CMD, BVFCL from 29.09.2017 to 11.09.2018. On 11.09.2018, Shri Ashim Kumar Ghosh (DIN-08222413) has assumed the charge of post of Director (Production), BVFCL.
- The Govt of India extended additional charge of the post of Director (Finance), BVFCL to Shri, Rajiv Kumar Chandioke (DIN-05146544), Director (Finance), National Fertilizers Limited upto 28.02.2018. Subsequently, Shri Sanjay Maheshwari (DIN-00653170) has assumed the charge of the post of Director (Finance), BVFCL w.e.f. 1st March, 2018 on deputation.

Board of Directors wishes to place on record their sincere appreciation for the services rendered by Shri Dharam Pal, IAS and Shri Rajiv Kumar Chandioke during their tenure on the BVFCL Board.

5 **DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT**

In compliance of the provisions of Section 134 (3)(c) read with Section 134 (5) of Companies Act, 2013, your Directors states that:

- a) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2018, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Act, have been followed and there are no material departures from the same;
- b) the Directors have selected such accounting

है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाया है जो औचित्यपूर्ण और विवेकसंगत हों, ताकि 31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी की गतिविधियों तथा उस तारीख को वर्ष के समाप्त होने पर कंपनी के लाभ के बारे में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

(ग) निदेशको ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और किसी प्रकार की गड़बड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए लेखांकन रिकार्डों को तैयार करने की ओर पर्याप्त और उचित ध्यान दिया है।

(घ) निदेशक ने कंपनी के भविष्य में बने रहने के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सक्षम हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; तथापि, किसी स्वतंत्र चार्टर्ड लेखा फर्म से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीति/नियमावली के उन्नयन पर विचार किया जा रहा है;

(च) निदेशकों ने लागू सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उचित प्रणाली विकसित की है और ऐसी प्रणाली सक्षम है और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

6. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने तथा विदेशी विनिमय अर्जन तथा बहिर्गमन के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी नियम की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार सूचना की जानकारी

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने तथा विदेशी विनिमय अर्जन तथा बहिर्गमन के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी नियम की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार सूचना की जानकारी वृद्धि के रूप में संलग्न है।

7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स

policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018 and of the profit of the Company for the year ended on that date;

c) the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d) the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;

e) the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively; However, the updation of internal financial control policy / manual of the company from an Independent Chartered Accountancy firm is under consideration;

f) the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

6. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO.

The Disclosure of information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) read with Companies read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, regarding conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo are enclosed at **Annexure-I (A) & (B).**

7. STATUTORY AUDITORS

M/s. Parik & Co., Chartered Accountants, Guwahati

पारिक एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, गुवाहाटी को कॉर्पोरेशन के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त लेखा-परीक्षकों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं पर दिनांक 24.08.2018 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने दोष रहित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथापि, उन्होंने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी रिपोर्ट में कुछ मामलों का खुलासा किया है। प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उन पर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

8- भारत के नियंत्रक और महालेखाकार (सीएण्डएजी) की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखाकार (सीएण्डएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा-परीक्षित वार्षिक खातों पर अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखाओं पर सीएण्डएजी की टिप्पणियां **Annexure – III** पर संलग्न हैं जो निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा हैं और इसका कोई उत्तर नहीं देना है क्योंकि सी एण्ड एजी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

9- लागत लेखाकार

मैसर्स बी. रे एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, कोलकाता को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। वर्ष 2017-18 की लागत लेखापरीक्षा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष 2016-17 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट 12.12.2017 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदन देने के बाद वेबसाइट www.mca.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

were appointed as Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India to audit the accounts of the Company for the financial year 2017-18. The above Auditors have submitted their Independent Audit Report dated 24.08.2018 on the annual financial statements of the Company for the financial year ending 31st March, 2018. The statutory auditors has furnished unqualified report. However, they disclose certain matters in their report drawing attention of management on the financial statement of the company for the year ending 31st March, 2018. The management will take necessary actions on them during the current financial year 2018-19.

8. COMMENT OF COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C & AG)

The Comptroller & Auditor General of India (C & AG) has undertaken supplementary audit on the audited annual financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2018 under the provisions of Section 143 (6) of the Companies Act, 2013. The comments of the C & AG on the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st March, 2018 is enclosed at **Annexure – III**, forming part of the Directors' Report and do not requires for any reply, as no comments has been reported by C&AG.

9. COST AUDITORS

M/s. B. Ray & Associates, Cost Accountants, Kolkata have been appointed to conduct the audit of cost accounting records of the Company for the financial year 2017-18. Annual Cost Audit for the financial year 2017-18 is under finalisation stage. Cost Audit Report for the financial year 2016-17 were filed / uploaded on the website www.mca.gov.in in after duly approved by the Board of Directors of the Company on 12.12.2017.

10- वार्षिक लेखापरीक्षा

मैसर्स के.बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार फर्म, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कॉर्पोरेशन के आंतरिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उपर्युक्त फर्म ने वर्ष 2017-18 के लिए अपनी रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दी है। लेखा परीक्षा समिति ने समीक्षा के बाद, जहां-कहीं आवश्यक समझा गया, सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी प्रबंधन को आवश्यक निर्देश/सलाह दी है। तकनीकी आंतरिक लेखा परीक्षा आंतरिक तकनीकी लेखा परीक्षा दल द्वारा की जा रही है।

11- हिंदी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी सरकारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉर्पोरेशन में हिंदी राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए:

- हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 'प्रशिक्षण कक्षाएं' आयोजित की गईं। 'प्रवीण' कक्षा में 13 कर्मचारियों और 'प्राज्ञ' कक्षा में 16 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया;
- 08 से 22 सितंबर, 2017 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान निबंध-लेखन, कविता पाठ और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसने कर्मचारियों को इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया;
- वर्ष के दौरान छह (6) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया;
- सरकारी कामकाज के लिए कॉर्पोरेशन के उच्चाधिकारियों की द्विभाषी सरकारी मोहर बनाई गई।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को नियमित रूप से ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही है।

10. INTERNAL AUDITOR

M/s. K.B. Saxena & Associates, a Cost Accountants firm of Lucknow had been appointed as Internal Auditors of the Company for the financial year 2017-18. The above firm has submitted their audit report for the year 2017-18 to the Audit Committee of the Board for review. The Audit Committee after review issued necessary directions/ advisories to the executive management for taking corrective actions, wherever sought necessary. Technical Internal Audit is being conducted by In house Technical Audit Team.

11. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

All govt. directions for implementation of Official Language Policy of the Govt. of India are being followed. During the year under review, following activities were take place to increase the awareness of use of Hindi Raj Bhasha in the Corporation:

- Conducted 'Training classes for the employees and officers, who is not knowing Hindi language. In 'Praveen' Classes -13 and in 'Pragya' Classes -16 employees were educated;
- Hindi fortnight was celebrated from 8th September to 22th September, 2017. In this week, essay writing, poem and speech competition were organized, which resulted encouraging participation by the employees ;
- Six (6) Hindi workshops were organized during the year;
- Bi-lingual official seals of higher officials of the Corporation were made for official use;
- Regular online quarterly progress report is being sent to Rajbhasha Department, Home Ministry, Govt. of India.

12- /kjk 197 ds v/kh deZkfj; kck foofj.k

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 197 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कर्मचारियों के विवरणों को शामिल करने से छूट दी गई है।

13- dkWV l kft d mYknf; Ro

निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नामक एक समिति गठित की है जिसमें दिनांक 28.08.2017 को आयोजित 88वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अंतर्गत गैर सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड के चार सदस्यों को शामिल किया गया है। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कुछ सामाजिक कल्याण कार्यक्रमलाप शुरू किए हैं, जिनका संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। जबकि उपर्युक्त समिति की संरचना और विचारार्थ विषयों का विवरण संबद्ध कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट में दर्शाया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135(5) के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों के तहत कंपनी वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी सीएसआर निधि का व्यय करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

14- l puk dk vf/kdkj vf/kfu; e 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर उत्तर देना अनिवार्य होता है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पूर्ण स्वामित्व वाली एक सरकारी कंपनी है और सार्वजनिक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों का अनुपालन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पारदर्शी अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी, वैकल्पिक पीआईओ तथा कंपनी के

12. PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 197

As per the provisions of Section 197 of the Companies Act, 2014 and rules made thereunder, Government Companies are exempted from inclusion of the statement of particulars of employees.

13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Board of Directors has constituted a committee of Corporate Social Responsibility comprised of four members of the Board under the chairmanship of Non official Director under the provisions of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013 in their 88th meeting held on 28.08.2017. However, during the year under review, your company has taken certain social welfare measures, which has been described in the attached management discussion and analysis report. Whereas the details of composition and the terms of reference of above Committee has been described in the attached corporate governance report. In the absence of average net profit under the provisions of Section 135(5) read with Section 198 of the Companies Act, 2013 and applicable rules made thereunder, company is not liable to expend any CSR Fund during the year 2017-18.

14. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Right to Information Act 2005 mandates timely response to citizen's requests for information relating to Public Authorities. BVFCL is a wholly owned Government Company under the administrative control of the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers and come within the purview of Public Authority. As per the provisions of Right to Information Act, 2005 your company makes all efforts to follow the directives so issued under the Act. BVFCL has nominated Transparency Officer, Appellate Authority, Public Information Officer and Alternate PIO to respond effectively

सहायक जन सूचना अधिकारी का नामांकन किया है ताकि अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों के अनुरोध का प्रभावी ढंग से उत्तर दिया जा सके। अधिनियम के अंतर्गत नामित अधिकारियों का ब्यौरा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि कंपनी के कार्यों के बारे में सूचना दी जा सके।

कंपनी की वेबसाइट (www.bvfcl.com) में अद्यतन सूचना अपलोड की जाती है और सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों को अपलोड किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरटीआई के अंतर्गत पैंतालिस (45) आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में उत्तर दिया गया।

15- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए निवेश का ब्यौरा और 31.03.2018 को उपलब्ध ऋण/गारंटी को वित्तीय विवरण के संबंधित नोट में दर्शाया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए निवेश का ब्यौरा और 31.03.2018 को उपलब्ध ऋण/गारंटी को वित्तीय विवरण के संबंधित नोट में दर्शाया गया है।

16- वार्षिक प्रतिबन्धन का उद्घरण वार्षिक प्रतिबन्धन में संलग्न है जो निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (क) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक प्रतिबन्धन का उद्घरण वार्षिक प्रतिबन्धन में संलग्न है जो निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

17- बोर्ड की बैठकों का विस्तृत खुलासा संलग्न निगमित अधिशासन रिपोर्ट में किया गया है।

बोर्ड की बैठकों का विस्तृत खुलासा संलग्न निगमित अधिशासन रिपोर्ट में किया गया है।

18- बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित अनुसार स्वतंत्र मानदण्ड को पूरा करने के लिए घोषणा की है।

बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित अनुसार स्वतंत्र मानदण्ड को पूरा करने के लिए घोषणा की है।

to the requests of the applicants under the Act. The details of the officers nominated under the Act have been displayed on BVFCL website to facilitate information about the affairs of the Company.

The Company's website (www.bvfcl.com) is maintained with updated information and all provisions of Right to Information Act have been kept uploaded. During the year under review, Forty Five (45) applications were received under RTI and all the applications were replied within prescribed time limit.

15. DETAILS OF LOANS/INVESTMENTS/GUARANTEES

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, the details of investments made and loans/guarantees provided as on 31.03.2018 are given in the respective notes to the financial statements.

16. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

In accordance with Section 134(3) (a) of the Companies Act, 2013, an extract of the annual return in the prescribed form is enclosed at **Annexure –IV**, forming part of the Directors' Report.

17. BOARD MEETINGS

The detailed disclosures of Board meetings have been made in the annexed Corporate Governance Report.

18. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS UNDER SECTION 149 (6) OF COMPANIES ACT, 2013

The Independent Director on the Board has given declaration towards meeting the criteria of independence as laid down under section 149 (6) of the Companies Act, 2013.

19- वक्तव्य %

निदेशक मण्डल भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों जैसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ.आई.सी.सी.), कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, एमओयू कार्यबल के सदस्यों, सांविधिक लेखा-परीक्षकों, लागत-लेखा परीक्षकों, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिवों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, असम गैस कंपनी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पीडीआईएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सम्मानित डीलरों और ग्राहकों से प्राप्त मार्गदर्शन और सतत् सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल सभी पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूको बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया के बहुमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल अनेक बाधाओं के बावजूद, नामरूप-II और III संयंत्रों के उत्पादन संबंधी कार्य-निष्पादन में सभी स्तरों पर सुधार करने के लिए आपके कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त करता है और उनकी सराहना करता है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

ह. / -

1/1 - Mh fl 1/2

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नामरूप

तिथि : 27 सितंबर, 2018

19. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors acknowledges the valuable guidance and continued support extended by the various Departments and Ministries of the Govt. of India viz. Ministry of Chemicals & Fertilizers, Fertilizer Industry Co-ordination Committee (FICC), Ministry of Agriculture, Indian Council for Agricultural Research, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Ministry of Railways, Ministry of Finance, Ministry of Home, Department of Public Enterprises, members of MOU task force, Statutory Auditors, Cost Auditors, Practicising Company Secretaries, Comptroller & Auditor General of India, Assam Gas Company Limited, Oil India Limited, PDIL, NFL, RCF, valued dealers and customers.

The Board of Directors wishes to place on record its sincere appreciation to all the North Eastern States, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, UCO Bank, State Bank of India, Syndicate Bank and Bank of India for their valued co-operation.

The Board of Directors also acknowledges and appreciates the untiring efforts put in by the employees of your Corporation at all levels for improving the production performance of Namrup-II and III plants, despite of several constraints.

For and on behalf of the Board

Sd/-

(S.D. Singh)

Chairman & Managing Director

Place : Namrup

Date : 27th September, 2018

वुगुखुद&I

ANNEXURE – I

izakd ppkzvls fo'yšk k fjiWZ

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1- iLrkouk

1. PREAMBLE

वर्ष 2002 में निगमित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) (CIN U24123AS2002GOI006786) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अनुसूची 'बी' श्रेणी का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसयू) है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप (असम) में यूरिया, जैव-उर्वरकों, कृमि-खाद का उत्पादन करता है और बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों (एमओपी, एसएसपी, रॉक फॉस्फेट) और सूक्ष्म पोषक-तत्वों का कारोबार करता है। कॉर्पोरेशन "Mukta" ब्रांड नाम के अंतर्गत अपने उत्पादों का विपणन करता है।

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) incorporated in the year 2002 (CIN U24123AS2002GOI006786) is a Schedule 'B' category Central Public Sector Enterprise (CPSU) under the administrative control of the Department of Fertilizers (DOF), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt of India. BVFCL is engaged in the manufacture of Urea, Bio-fertilizers, Vermi-Compost manure at Namrup (Assam) and trading of Seeds, Pesticides, Fertilizers (MOP, SSP, Rock Phosphate) and Micronutrients. Corporation is marketing its products under the brand name "Mukta".

2- fl gloykdu

2. OVERVIEW

वर्ष 2017-18 में नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्रों का उत्पादन उत्साहजनक नहीं रहा था। वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में नामरूप-II और III संयंत्रों में कुल लगभग 41000 मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की गिरावट आई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान पुराने, अविश्वसनीय उपकरणों, विभिन्न ताप एक्सचेंजर्स, बॉयलरों, रिएक्टरों, प्राइमरी रिफार्मर आदि में रिसाव के साथ-साथ आयल इंडिया लिमिटेड से सीमित/अनियमित प्राकृतिक गैस आपूर्ति के कारण लक्षित उत्पादन को हासिल नहीं किया जा सका था। आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरे वर्ष सुनिश्चित आधार पर 1.72 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की बजाय लगभग 1.60 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप नामरूप-II संयंत्र का केवल एक चरण ही चल पाया था, और मैसर्स आयल इंडिया लिमिटेड से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के आधार पर नामरूप-III संयंत्र को न्यूनतम लोड पर चलाया गया था। नामरूप-III संयंत्र के वार्षिक शटडाउन की अवधि को बढ़ाने के कारण, कुल 46 दिनों का नुकसान हुआ। इसी प्रकार, नामरूप-II संयंत्र की वार्षिक शटडाउन अवधि को बढ़ाने के कारण 56 दिनों का नुकसान हुआ।

Production in Namrup-II and Namrup-III plants in the year 2017-18 were not encouraging. There was a total fall of about 41000 MT of urea production in Namrup-II & III plants in 2017-18 compared to 2016-17. Targeted production could not be achieved during the year 2017-18 due to various breakdowns of old, unreliable equipments, leakages in various heat exchangers, boilers, reactors, primary reformer etc. as well restriction/fluctuation in Natural Gas supply from OIL. Natural Gas to the tune of about 1.60 MMSCMD was made available by OIL during the whole year against the contacted quantity of 1.72 MMSCMD on firm basis and resulting running of one stream of Namrup-II plants along with Namrup-III plants at minimum load depending upon availability of Natural Gas from M/s OIL. Due to extended Annual Shutdown of Namrup-III plants, a total of 46 days were lost. Similarly, due to extended Annual Shutdown of Namrup-II plants, 56 days were lost.

भारत सरकार ने मृदा की उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) के लाभकारी प्रभावों पर विचार करते हुए नीम लेपित यूरिया के 100% उत्पादन अनिवार्य बना दिया है। आपकी कंपनी ने पहले ही एक नीम लेपित संयंत्र स्थापित कर लिया है, जिसे नामरूप-III संयंत्रों में आंतरिक रूप से विकसित किया गया था। केवल नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करने के लिए नामरूप-II में समान सुविधा की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार ने अपने उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में यूरिया की एमआरपी से 5% अधिक पर एनसीयू की बिक्री करने और नीम लेपन की अतिरिक्त लागत की वसूली को प्रोत्साहित किया है।

कंपनी ने उर्वरक विभाग के दिनांक 4 सितंबर, 2017 के पत्र सं.12012/20/2007-एफपीपी द्वारा निर्देशित 50 कि.ग्रा. बैग के स्थान पर दिनांक 01.05.2018 से 45 कि.ग्रा. यूरिया के भरे हुए बैग में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर लिया है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप में अपने भौगोलिक स्थल और उत्पादन की कम लागत के कारण, पड़ोसी देशों को यूरिया के निर्यात की संभावना है। पूर्व वर्षों में भारत सरकार से नेपाल को यूरिया निर्यात करने की अनुमति प्राप्त की गई थी और भारत सरकार के साथ लाभ साझा करने के साथ आयात सममूल्य (आईपीपी) पर नेपाल को यूरिया के निर्यात के माध्यम से उच्च राजस्व अर्जित किया जा सकता था। वर्ष 2016-17 में 30,000 मीट्रिक टन यूरिया के निर्यात के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमोदन प्राप्त किया गया था और मार्च 2017 तक 7,500 मीट्रिक टन यूरिया का निर्यात किया गया था। निर्यात प्रतिबद्धता का शेष भाग 2017-18 में 22500 मीट्रिक टन यूरिया का निर्यात करके पूरा किया गया है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वित्तीय पुनर्गठन और यूरिया का उत्पादन करने के लिए 8.646 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली एक ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया परियोजना लगाने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 21.05.2015 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तथापि, परियोजना में 52% इक्विटी के लिए कोटेशन अनुरोध (आरएफक्यू) के

As per Government of India's directive for mandatory 100% production of Neem coated urea considering beneficial effects of Neem coated urea (NCU) on increase in soil fertility and higher yield, BVFCL has successfully set-up developed in-house Neem coating plants in Namrup-III and Namrup-II to produce only Neem coated urea. The company has been producing only Neem Coated Urea with effect from 20th August 2015 from both of its plants. The Gol has allowed sale of NCU at 5% of above MRP of Urea as encouragement for its production and to recover extra cost of coating.

The Company has successfully switched over to 45 kg urea filled bags w.e.f. 01.05.2018 by replacing 50 kg bags as directed by Dept. of Fertilizer vide No. 12012/20/2007-FPP dated 4th Sept. 2017.

BVFCL Namrup, due to its geographical location and lower cost of production, has potential for export of urea to neighbouring countries. In the earlier years permission to export urea to Nepal was received from Gol and higher revenue could be earned through export of urea to Nepal at Import Parity Price (IPP) with profit sharing with Gol. In the year 2016-17 approval was obtained towards the end of the financial year for export of 30,000 MT of urea and 7,500 MT of urea could be exported by March 2017. Remaining part of the export commitment has been fulfilled in 2017-18 by exporting 22500 MT of urea.

Financial restructuring of BVFCL and setting-up of a Brown Field Ammonia Urea Project of 8.646 MT annual capacity to produce Urea was approved by the Union Cabinet on 21.05.2015. However, due to non-receipt of any bids in response to Request for Quotation (RFQ)

प्रत्युत्तर में कोई बोली प्राप्त न होने के कारण, पीपीपी मोड पर परियोजना को स्थापित करने का उपर्युक्त प्रयास असफल हो गया।

उपर्युक्त को देखते हुए उर्वरक विभाग/भारत सरकार ने क्रेन्द्रीय सरकारी उपक्रमों और असम सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में इस परियोजना को स्थापित करने के लिए एक नई पहल की है जिसमें 52%, 26%, 11% और 11% की इक्विटी सभी को नामांकन आधार पर क्रमशः मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड, असम सरकार और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित की जाएगी। प्रस्तावित संयंत्र की उत्पादन क्षमता को यूरिया के 8.646 एलएमटीपीए से 12.70 एलएमटीपीए तक बढ़ाया जाना है। इस मामले में आगे की गतिविधियां चल रही हैं। प्राकृतिक गैस फीडस्टॉक के आधार पर टीईएफआर को 12.70 एलएमटीपीए यूरिया उत्पादन क्षमता तक और ईंधन के आधार पर 2.347 एमएमएससीएमडी तक अद्यतन किया गया है। उर्वरक विभाग द्वारा परियोजना के अनुमोदन को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी गई है और मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने उर्वरक विभाग को परियोजना की 52% इक्विटी का अधिग्रहण करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इसमें आगे की प्रगति पर उर्वरक विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। उर्वरक विभाग द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया जाएगा।

कंपनी में मानव शक्ति की दशा बहुत खराब है और विशेषकर मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर कुशल जनशक्ति की अत्यधिक कमी है। कुशल और अनुभवी जनशक्ति की भर्ती करने के प्रयास किए गए हैं लेकिन मुख्य रूप से स्थानीय स्थितियों के अनुकूल न होने के कारण अधिक सफलता नहीं मिली है। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न स्तरों पर कुल 13 कर्मचारियों की भर्ती हुई है।

3- म | < l o k v l s f o d k l %

यूरिया, नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत होने के कारण एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है और इसकी अन्य सभी उर्वरकों की तुलना में काफी अधिक खपत है। वर्तमान में यूरिया अनिवार्य वस्तु अधिनियम (ईएसीए) में शामिल है और

for 52% equity in the project, the above initiative to set-up the project on PPP mode failed.

In view of the above, Dept. of Fertilizers/ Govt. of India has taken a fresh initiative to establish the project as Joint Venture of CPSEs and Govt. of Assam, in which 52%, 26%, 11% and 11% equity will be allotted to M/s RCF Ltd., OIL, Govt. of Assam and BVFCL respectively all on nomination basis. The production capacity of the proposed plant is to be enhanced from 8.646 LMTPA to 12.70 LMTPA of Urea. Further activities in this matter is under progress. TEFR has been updated for 12.70 LMTPA urea production capacity based on Natural Gas feedstock and fuel only of about 2.347 MMSCMD. 'In Principal' approval of the project has been accorded by the Department of Fertilizer and M/s RCF has submitted their consent to acquisition of 52% equity of the project to Department of Fertilizers. Further progress is under the consideration of Department of Fertilizers. Cabinet Note will be initiated by the Department of Fertilizers for obtaining required approval for the Project.

The manpower position of the Company remains critical with acute shortage of skilled manpower especially in middle and senior level. Efforts have been made to recruit skilled and experienced manpower without desired success mainly due to locational disadvantage. Total of 13 Nos. employees were recruited at various levels during the year 2017-18.

3. INDUSTRY STRUCTURE & DEVELOPMENTS

Urea, as a major source of nitrogen, is also the only controlled fertilizer and has a major share of consumption compared to all other fertilizers put together. Urea is at present covered under Essential

सरकार विभिन्न उत्पादकों को ईसीए के अंतर्गत बिक्री के लिए यूरिया के सांविधिक मूल्य की घोषणा करती है और संचलन आदेश जारी करती है। सांविधिक रूप से अधिसूचित बिक्री मूल्य और सांकेतिक एमआरपी संबंधित उत्पादन इकाई के उत्पादन की लागत से कम होती है। उत्पादन की लागत और बिक्री मूल्य/एमआरपी के बीच का अंतर उत्पादकों को राजसहायता/रियायत के रूप में दिया जाता है। यूरिया का आयात और निर्यात भी अत्यधिक नियंत्रित है।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से गैस मूल्य को संशोधित करके 3.06 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू किया है जबकि पिछली छमाही अवधि में यह 2.89 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू था। गैस का मूल्य सकल कैलोरीयुक्त मूल्य (जीसीवी) के आधार पर बना हुआ है। पूर्वोत्तर के ग्राहकों पर लागू 40% रियायत को देखते हुए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर लागू गैस मूल्य 1.84 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू था।

प्राकृतिक गैस यूरिया उर्वरक के उत्पादन में मुख्य कच्ची सामग्री है और यह यूरिया उत्पादन की कुल लागत में प्रमुख लागत के रूप में शामिल होती है। मैसर्स आयल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त होने वाली गैस आपूर्ति उनके सामने आने वाली विभिन्न तकनीकी और मानव संसाधन सम्बन्धित समस्याओं के कारण बीच-बीच में प्रभावित होती है। गैस आपूर्ति 1.60 एमएमएससीएमडी के सीमित औसत स्तर पर बनी हुई है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में एकमात्र यूरिया उत्पादन इकाई है, अतः उस पर इस क्षेत्र में किसानों को समय पर यूरिया की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी है।

4- मरि क्नु फु"ि क्नु धल एक्क %

नीचे उल्लेख किए गए अनुसार पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्रों दोनों के निष्पादन में गिरावट हुई है:

- ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष के दौरान 2,69,586 मी.टन यूरिया का उत्पादन किया है जिसमें से नामरूप-II संयंत्र

Commodity Act (ECA) and the Government declares statutory price of urea for sale and issues Movement Orders under ECA to different manufacturers. The statutorily notified sale price and indicative MRP is less than the cost of production of the respective manufacturing unit. The difference between the cost of production and the selling price/ MRP is paid as subsidy/ concession to manufacturers. Urea import and export is also highly restricted.

The GoI has revised gas price to US\$3.06 per MMBTU effective from 1st April 2018 compared to US\$ 2.89 per MMBTU in the previous half yearly period. The gas price continued to be based on Gross Calorific Value (GCV). After considering 40% concession applicable to North-East customers, the gas price applicable to BVFCL was US\$ 1.84 per MMBTU.

Natural Gas is the main raw material for production of urea fertilizer and accounts for major cost in the total cost of urea production. Gas supply from M/s OIL continued to be intermittently affected due to various technical and HR problems being faced by M/s OIL. Gas supply remained restricted at an average level of 1.60 MMSCMD.

BVFCL, being the only urea manufacturing unit in entire north-east and eastern India, bears primary responsibility of supplying timely urea to farmers across the region.

4. REVIEW OF PRODUCTION PERFORMANCE

There has been overall downfall in performance of both Namrup-II and Namrup-III Plants during the year 2017-18 compared to previous year's performance as stated below:

- BVFCL has produced 2,69,586 MT of Urea during the year with 57,730 MT from Namrup-II and 2,11,856 MT from

से 57,730 मी.टन और नामरूप-III संयंत्र से 2,11,856 मी.टन यूरिया का उत्पादन किया है। वर्ष के लिए औसत विशिष्ट ऊर्जा खपत नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्रों के लिए क्रमशः 18.87 जीकैल/मी.टन तथा 12.86 जीकैल/मी.टन यूरिया थी।

- नामरूप-III में अमोनिया और यूरिया संयंत्रों ने वर्ष 2017-18 में क्रमशः 1,10,438 मी.टन तथा 2,11,856 मी.टन का उत्पादन किया है जबकि वर्ष 2016-17 में यह क्रमशः 1,45,935 मी.टन तथा 2,50,443 मी.टन थी। नामरूप-III में वर्ष के दौरान औसत संयंत्र लोड 80% था।
- वर्ष के दौरान नामरूप-II संयंत्र में अमोनिया उत्पादन 61,184 मी.टन हुआ जबकि यूरिया उत्पादन 57,730 मी.टन था।
- नामरूप-III के अमोनिया और यूरिया संयंत्रों ने वर्ष के दौरान क्रमशः 248 और 232 स्ट्रीम दिन रिकार्ड किए।
- नामरूप-II के अमोनिया और यूरिया संयंत्रों ने वर्ष के दौरान क्रमशः 259 और 212 दिन (एकल स्ट्रीम आधार) के स्ट्रीम दिवस रिकार्ड किए।

नामरूप-II संयंत्र के उच्चतर लोड पर प्रचालन करने में एक सबसे बड़ी बाधा प्राकृतिक गैस आपूर्ति का 1.60 एमएमएससीएमडी होना तथा विभिन्न उपकरणों और मशीनों का पुराना होना है। इसने नामरूप-II के अधिकतम संयंत्र लोड को 50% तक सीमित कर दिया है। मैसर्स आयल इंडिया लिमिटेड से गैस आपूर्ति में सीमित मात्रा में मिलने के कारण संयंत्रों को कई बार अचानक बंद करना पड़ा। नामरूप-II संयंत्रों का निष्पादन विभिन्न यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रुमेंटेशन समस्याओं, इलेक्ट्रिकल फ्लैश ओवर आदि के कारण प्रभावित हुआ।

कंपनी 2017-18 में 35.754 मीट्रिक टन जैव उर्वरक और 91.373 मीट्रिक टन कृमि खाद का उत्पादन करने में सक्षम रही है। वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पादित जैव उर्वरक अब तक का सर्वाधिक वार्षिक

Namrup-III Plants respectively. The average estimated specific energy consumption for the year was 18.87 Gcal/MT and 12.86 Gcal/MT of urea for Namrup-II and Namrup-III Plants respectively.

- Ammonia and urea plants in Namrup-III recorded a production of 1,10,438 MT and 2,11,856 MT in the year 2017-18 compared to 1,45,935 MT and 2,50,443 MT respectively in 2016-17. Average plant load during the year in Namrup-III was about 80%.
- Ammonia production was 61,184 MT in Namrup-II during the year while Urea production was 57,730 MT.
- Ammonia and urea plants of Namrup-III recorded stream days of 248 days and 232 days respectively during the year.
- Ammonia and urea plants of Namrup-II recorded stream days of 259 days and 212 days (single stream basis) respectively during the year.

One of the major impediments in operating Namrup-II Plant at higher load remained limitation in Natural Gas supply to 1.60 MMSCMD and ageing of various equipments and machineries. This has restricted maximum plant load of Namrup-II to 50%. Moreover, the plants were taken to crash shut downs a number of times due to restriction in gas supply from M/s OIL. The performance of Namrup-II Plants was also affected due to various Mechanical, Electrical and Instrument problems, Electrical flash overs etc.

The Company has been able to produce 35.754 MT of Bio Fertilizer and 91.373 MT of Vermi Compost in 2017-18. Bio Fertilizer produced during the year 2017-18 was the all time

उत्पादन था। इस लक्ष्य को ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टाउनशिप से जैव उर्वरक संयंत्र को पुरानी बेकार पड़ी सल्फ्यूरिक एसिड बिल्डिंग में संयंत्र के परिसर के अंदर स्थानांतरित करने के बावजूद प्राप्त किया गया ताकि पुराने स्थान में सामना की जा रही स्थानीय समस्याओं से निपटा जा सके जैसे बिजली का बार-बार जाना, संयंत्र से इसका काफी दूर होना आदि। संयंत्र को बहुत ही कम समय में उसके नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया।

5- 'कडर; लवक्ष दफे; ल

दाह दह 'कडर; ल

- यह पूरे असम, पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और बिहार में यूरिया का उत्पादन करने वाली एकमात्र कंपनी है जहां 40 लाख मी. टन तक की आपूर्ति की अभी भी कमी है।
- यह यूनिट फीड/ईंधन प्राकृतिक गैस के स्रोत के निकट स्थित है जिसके कारण प्राकृतिक गैस की मूल लागत कम है।
- यदि इकाइयों को बिना रुके चलाया जाए तो इकाइयों में उत्पादन की लागत काफी कम है।
- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बाहर स्थित अन्य कंपनियों से यूरिया की आपूर्ति करने की तुलना में परिवहन सम्बन्धित लाभप्रद स्थिति।
- नामरूप संयंत्रों का स्थल उत्पादन सृजन बिंदुओं के निकट होने के कारण प्राकृतिक गैस की परिवहन लागत कम है।
- असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सृजन होता है, जो मुख्यतः आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है।

दाह दह [लफे; ल

- राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ी नहीं है।
- पुरानी ऊर्जा अदक्ष प्रौद्योगिकी एफसीआईएल और एचएफसीएल से विरासत में मिली है।

highest annual production. This could be achieved inspite of shifting the Bio Fertilizer Plant from the BVFCL Township to inside the plant premises in old redundant Sulphuric Acid Buildings to get rid of various locational problems being faced in the old location like frequent power off, considerable distance from the plant etc. The plant was shifted to its new location within a very short time.

5. Strength and Weakness

The strengths of the company:

- It is the only urea producing company in the entire Assam, North-Eastern States, West Bengal and Bihar where still there is shortfall to the extent of 40 Lakh MT exists.
- The unit being close to the source of Feed/ Fuel NG and lower basic cost of NG.
- Lower absolute cost of production in the units if run without interruption.
- Transportation advantage for supply of Urea from other companies situated outside North-Eastern states of India.
- Lower transportation cost of the natural gas because of location of Namrup plants near to the gas generation points.
- Direct and indirect generation of employment in the states of Assam & other North- Eastern states, which are predominantly economically backward.

The Weakness of the company:

- Not connected to the National Gas Grid.
- Old energy inefficient technology inherited from FCIL and HFCL.

- संयंत्र काफी अधिक पुराने हैं।
- पुराना होने के कारण स्पेयरों की अनुपलब्धता।
- कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की अनुपलब्धता।
- कुशल जनशक्ति की अत्यधिक कमी है।

6- **Key Opportunities and Threats**

The Opportunities to the company:

- पड़ोसी देशों को यूरिया का निर्यात करने की संभावना।
- रसायनों के उत्पादन तथा विद्युत सृजन के लिए विविधिकरण की संभावना।
- अन्य कृषि उत्पादों में विविधिकरण।
- नई ब्राउन फील्ड परियोजना की स्थापना।

The Threats to the company:

- अन्य यूरिया उत्पादन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा जिनकी ऊर्जा खपत और उत्पादन लागत कम है।
- रियायती दर पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बनाए रखने की अनिश्चितता।
- निधियां जुटाने में असमर्थता के कारण पूंजी निवेश की कमी।
- उत्पादन की उच्च लागत और अव्यवहार्यता के कारण कंपनी का बंद होना।
- संयंत्रों को चलाने के लिए जनशक्ति की अत्यधिक कमी।
- मौजूदा संयंत्र के स्थान पर नए बड़े आकार की परियोजना की स्थापना करने में विलंब।

7- **MOU RATING**

आपकी कंपनी 2004-05 से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती आ रही है। लोक उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 'अच्छी' रेटिंग दी गई है। डीपीई के

- Old age of the plants.
- Non-availability of spares due to obsolescence.
- Non-availability of skilled & trained manpower.
- Acute shortage of skilled manpower

6. **Key Opportunities and Threats**

The Opportunities to the company:

- Scope for exporting of urea to neighbouring states.
- Scope for diversification to produce chemicals and generation of power.
- Diversification into other agricultural products.
- Setting up new brown field project

The Threats to the company:

- Competition from other urea manufacturing companies having lower Energy consumption and lower cost of production.
- Uncertainty of continuation of supply of Natural Gas at a concessional rate.
- Shortage of capital investment due to paucity in fund generation.
- Closure of the company due to high cost of production & un-viability.
- Acute shortage of manpower to run the plants.
- Delay in establishing a new bigger size project replacing the existing one.

7. **MOU RATING**

Your company has started signing MOU with the Ministry of Chemicals and Fertilizers since 2004-05. For the financial year 2016-17, "Good" rating has been accorded by Department of Public

दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2017-18 में वास्तविक उपलब्धि के दस्तावेजों को 30 सितंबर 2018 तक प्रस्तुत करना होता है। समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार लोक उद्यम विभाग की ऑनलाइन प्रणाली में सभी एमओयू डेटा को प्रस्तुत किया जा रहा है।

उर्वरक विभाग और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2018-19 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और "बहुत अच्छी" श्रेणी में कुल यूरिया उत्पादन लक्ष्य 3,10,000 मी.टन था।

8- नीम लेपित यूरिया किसानों में काफी लोकप्रिय हुआ है और सरकार ने यूरिया उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए बिना लेपित यूरिया के मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर नीम लेपित यूरिया को बाजार में बेचने की अनुमति दे दी है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 100% नीम लेपित यूरिया का उत्पादन प्राप्त करने के लिए नामरूप-III नामरूप-II में नीम लेपित यूरिया संयंत्र की सफलतापूर्वक स्थापना की है।

आपकी कंपनी ने सिटी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं जिसके लिए कंपनी ने मैसर्स ईस्टर्न ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रा. लि., कोलकाता के साथ 500 मी.टन सिटी कंपोस्ट की आपूर्ति करने के लिए एक समझौता किया, जिसमें से वर्ष 2017-18 के दौरान 120 मी.टन सिटी कंपोस्ट खरीदा और बेचा गया। कंपनी मौजूदा डीलरों नेटवर्क के माध्यम से कीटनाशकों और एमओपी का व्यापार करने जा रही है। कंपनी ने असम में सभी लक्षित दस (10) मॉडल खुदरा उर्वरक दुकानों की स्थापना की है। सभी दुकानों में व्यापक सुविधा के साथ पीओएस मशीनें स्थापित की गई हैं। सिटी कंपोस्ट की बिक्री के लिए गुवाहाटी नगर निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं।

9- चूंकि संयंत्र पुरानेपन की समस्या का सामना कर रहे

Enterprises. As per DPE guidelines, documents for actual achievement in 2017-18 are to be submitted by 30th September 2018. All MoU data are being submitted in Online System of Department of Public Enterprises as per direction received periodically.

MoU for the year 2018-19 has been signed between Department of Fertilizers and BVFCL and the total Urea production target in "Very Good" category was 3,10,000 MT.

8. FUTURE OUTLOOK AND INITIATIVE FOR THE CURRENT YEAR

Neem-coated Urea has gained huge popularity among the farmers and Government as encouragement to Urea producing units has allowed the sale of Neem-coated urea in the market at a price upto 5% higher than the price of uncoated Urea.

BVFCL has successfully set up Neem-coated Urea unit at Namrup-III and Namrup-II to achieve 100% Neem-coated Urea production.

Your company has also initiated steps for promotion of city compost for which company has entered into an agreement with M/s Eastern Organic Fertilizer Pvt. Ltd. Kolkata for supply of 500 MT of City Compost, out of which 120 MT of City Compost was procured and sold during the year 2017-18. The Company is also in the process of trading of pesticides and MoP through the existing dealers network. The company has established all the targeted ten(10) Model Retail Fertilizer Shops in Assam. POS Machines with sweeping facility has been installed in all the shops. Efforts are being initiated for signing the Agreement with Guwahati Municipal Corporation for sale of City Compost.

9. SETTING UP OF NEW BROWN FIELD AMMONIA-UREA PLANT

As the plants are facing ageing problem and they

हैं और वे अपनी संभावित आयु को पूरा कर चुके हैं, इसलिए यदि कोई नई परियोजना तुरंत नहीं लगाई गई, तो उपकरणों और मशीनों में कोई बड़ी खराबी होने के कारण यूरिया उत्पादन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है। अभी भी उपलब्ध आंतरिक संसाधनों से नई परियोजना शुरू होने तक संयंत्रों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21.05.2015 को ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप के वित्तीय पुनर्गठन और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप के मौजूदा स्थल पर ब्राउन फील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र (नामरूप-IV) की स्थापना करने को अनुमोदन दिया था।

दोनों चरणों में वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी, जबकि केवल दो बोलीदाताओं ने योग्यता चरण में अपनी बोलियां प्रस्तुत की थीं और दोनों ही बोली लगाने के योग्य पाई गई थीं, लेकिन दोनों पक्षों में से किसी ने भी बोली-प्रक्रिया चरण में अपनी बोलियां प्रस्तुत नहीं की हैं।

उपर्युक्त को देखते हुए, भारत सरकार/उर्वरक विभाग ने केवल पीएसयू को नामांकन आधार पर 52% इक्विटी आवंटित करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगने के लिए एक नई पहल की है। इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता को एक मानक आकार संयंत्र के लिए पूर्व के 8.646 एलएमटीपीए से बढ़ाकर 12.70 एलएमटीपीए कर दिया है। इस मामले में और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मौजूदा पुराने और अप्रचलित संयंत्रों अर्थात् नामरूप-II और नामरूप-III को प्रतिस्थापित कर देगा।

10- 10. IT ADOPTION / UPGRADATION

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, मौजूदा वित्तीय लेखा प्रणाली और वेतन पत्रक प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन करने के लिए एक परियोजना विचाराधीन है। अधिकारियों की मूल्यांकन रिपोर्ट को ऑनलाइन भरने के लिए एक प्रणाली लागू की गई है। बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन चल रहा है। फ़ैक्ट्री परिसर के अंदर

have already surpassed their effective life, so if the establishment of a new project is not immediately expedited, serious interruption in urea production may be resulted because of major failures of the equipments and machineries. Still with the available in-house resources, utmost efforts are being made to continue to run the plants safely till the new project is commissioned.

The Union Cabinet on 21.05.2015 had approved the Financial Restructuring of BVFCL Namrup and setting up a new Brown field Ammonia-Urea Plant (Namrup-IV) at the existing location of BVFCL Namrup.

The desired response was not received in both the stages, while only two bidders submitted their bids in the qualification stage and both of them qualified for bidding stage, neither of the two parties submitted their bids in the bidding stage.

In view of the above, Govt. of India/DoF has taken a fresh initiative to seek Cabinet approval for allotment of 52% equity on nomination basis to PSU only. The proposed capacity of the project has also been enhanced from the earlier 8.646 LMTPA to 12.70 LMTPA to have a standard size plant. Further needful steps are being initiated in this matter. This will replace the existing old and obsolete plants viz. Namrup-II and Namrup-III.

10. IT ADOPTION / UPGRADATION

During the year under review, a project for implementation of Human Resource Management System, upgradation of the existing Financial Accounting System and Pay roll Management System is under consideration. A system for online filling up appraisal of Officers has been implemented. Implementation of biometric

मुख्य स्थानों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अस्पताल में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना की जा रही है। कंपनी ने रेडिफमेल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कॉर्पोरेट ईमेल सेवा शुरू की है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मेल आईडी (अर्थात् name@bvfc.co.in) 70 अधिकारियों को प्रदान की गई है। एक स्थानीय एरिया नेटवर्क, जिसमें विभिन्न कार्यस्थल पर 150 कार्य स्टेशन शामिल हैं, प्रबंधित फायरवॉल के माध्यम से लीज्ड लाइन इंटरनेट सुविधा के साथ उपलब्ध कराए गए हैं।

कंपनी के सभी हितधारकों को ई-भुगतान किया जा रहा है। ग्राहकों के साथ डिजिटल लेनदेन को पूरा करने के लिए विपणन और वित्त विभागों में पीओएस मशीनों को लगाया गया है।

11- तर्कलेखन

आपकी कंपनी ने आकलन और न्यूनतम पद्धतियों के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की थी जिसकी निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। संभावित जोखिमों को विभिन्न किस्मों के अंतर्गत समूह बद्ध किया गया है अर्थात् फीड/ईंधन, संयंत्र प्रचालन, संयंत्र प्रचालन एवं रखरखाव, उपयोगिताएं, पर्यावरण विनियामक, कारोबार प्रतिस्पर्धा, बाजार, परिसंपत्ति, वित्त, मानव संसाधन, परियोजना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विधिक और आंतरिक नियंत्रण।

विभागाध्यक्ष (तकनीकी सेवा) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें तिमाही आधार पर कंपनी पर लागू सभी प्रासंगिक जोखिम मानकों की समीक्षा करने के लिए उत्पादन, कार्मिक, वित्त और रासायनिक प्रयोगशाला के विभागाध्यक्षों और/या प्रतिनिधि सदस्यों को शामिल किया गया है। इसका गठन दिनांक 10.07.2015 को आयोजित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 77वीं बैठक में दिए गए निर्देशानुसार किया गया था।

12- i; k; j. k v; l; {k ekud; dk vuq; kyu_

आपकी कंपनी पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्य करने के

attendance system is in process. CCTV Surveillance System has been installed in the main locations inside the factory campus. Installation of CCTV Surveillance System in BVFCL hospital is in process. The company has corporate email service using Rediffmail platform. 70 executives have been provided with BVFCL's mail id (i.e. name@bvfc.co.in). A Local Area Network covering 150 work stations at different location is in position along with leased line internet facility through managed firewall.

E-payments are being made to all the stakeholders of the company. POS machines have been installed in Marketing & Finance Departments to cater digital transactions with the customers.

11. RISK MANAGEMENT

Your company had laid down Risk Management Policy for Assessment & Minimization procedures reviewed by the Board of Directors on quarterly basis. The possible risks have been identified and grouped under specific responsibility areas such as Feed/Fuel, Plant Operations, Plant Operation & Maintenance, Utilities, Environment Regulatory, Business Competition, Market, Assents, Finance, Human Resources, Project Management, Information Technology, Legal and Internal Control.

A committee has been constituted under the chairmanship of HoD (TS) comprising the HoDs and/or representative member of Production, Personnel, Finance and Chemical Laboratory to review all the relevant risk parameters applicable on the company on quarterly basis. This was done as directed in the outcome of the 77th meeting of Board of Directors of BVFCL held on 10.07.2015.

12. COMPLIANCE OF ENVIRONMENT & SAFETY STANDARDS

Your company is committed to work for the

लिए प्रतिबद्ध है और यह सभी संगत और लागू कानूनों/नियमों/मानकों आदि का पालन कर रही है जैसे जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, बैटरियां (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2001 आदि। विभिन्न कानूनों/नियमों/ सरकारी आदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली सभी विवरणियों/रिपोर्टों आदि को समय पर नियमित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अनुसार प्रचालन करने के लिए सहमति के नवीकरण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को नियमित रूप से आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। आपदा की स्थिति में आसपास रहने वाले लोगों की बीमा कवरेज के लिए सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 के अंतर्गत 15.00 करोड़ रुपए की एक बीमा पालिसी ली गई है।

बीवीएफसीएल में सभी सुरक्षा मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जाता है। कर्मचारियों को समय-समय पर व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) जारी किए जाते हैं और उनकी समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी की जाती है। सभी कार्य सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार किए जाते हैं। बीवीएफसीएल में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक फॉयर ब्रिगेड भी है, जो बीवीएफसीएल संयंत्रों और आसपास के क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में पड़ोसी उद्योगों के साथ परस्पर सहायता योजना के अनुसार बाहरी सहायता भी मांगी जाती है और इसे आपदा स्थिति में उपलब्ध कराया जाता है।

तरल अमोनिया को 1500 मी.टन की क्षमता वाले प्रत्येक दो होटर्न क्षेत्र में जमा करके रखा जाता है जो स्थिर और मोबाइल दबाव (अनफायर्ड) नियम 2016 में कवर होते हैं।

मुख्य फैक्ट्री निरीक्षक, असम द्वारा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप में उपकरणों और साजो-सामान का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणीकरण मान्यता-प्राप्त व्यक्ति द्वारा फैक्ट्री अधिनियम 1948 और असम फैक्टरी नियम 1950 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए अगस्त 2018 में सफलतापूर्वक किया गया था। इसे वार्षिक आधार पर किया जा रहा है।

protection of environment and it is adhering to all the relevant and applicable laws/rules/ standards etc. viz. The Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981, Environment Protection Act 1986, Public Liability Insurance Act 1991, Batteries (Management & Handling) Rules 2001, etc. All the returns/reports etc., which are required to be submitted as per various laws/rules/govt. orders are submitted regularly in time. Consent to Operate is renewed by the Pollution Control Board, Assam regularly as per Water Act and Air Act. A policy of Rs.15.00 crores under Public Liability Insurance Act 1991 has been taken to give insurance coverage to the nearby people, in case of disaster.

All safety norms are strictly followed in BVFCL. Personnel Protective Equipments (PPE) is periodically issued to employees and health check-ups are also carried out. All jobs are executed as per safety norms. BVFCL is also having a well equipped Fire Brigade, which is capable of meeting any regular need. As per Mutual Aid Scheme with the neighbouring industries in Dibrugarh and Tinsukia district, external assistance is also available in case any disaster.

Liquid ammonia is stored in two Horton Spheres of 1500 MT capacity each which are covered by Petroleum Explosives & Safety Organization (PESO) licence under Static and Mobile Pressure (Unfired) Rules 2016.

Mandatory Testing and certification of lifting tools and tackles in BVFCL Namrup by Chief Inspector of Factories, Assam accredited Competent Person, strictly as per provision of the Factories Act 1948 and the Assam Factory Rules 1950, was successfully done in August 2018. The same is being done annually.

वर्ष 2017-18 के लिए संचालित करने की सहमति असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से प्राप्त की गई थी। वर्ष 2018-19 के लिए नवीनीकरण आवेदन भी नवंबर 2017 में प्रस्तुत किया गया था। कंपनी को असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम द्वारा खतरनाक कचरे के भंडारण/निपटान के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है जिसे 2014 में जून 2019 तक 5 साल की वैधता के साथ जारी किया गया था।

Consent to Operate for the year 2017-18 was duly received from the Assam Pollution Control Board, Assam. Renewal application for 2018-19 was also submitted in November 2017. The Company is having authorization issued by Assam Pollution Control Board, Assam for storage/disposal of hazardous wastes which was issued in 2014 with 5 years validity upto June 2019.

13- foī.ku fu"i knu l ehkk

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित विपणन कार्यकलाप किए हैं:

d- fut h mRi kn%

- 1- ePrk ule yfir ; fj; k% वर्ष के दौरान, कंपनी ने 247472.42 मी.टन यूरिया बेचा (पिछले वर्ष 297640.90 मी.टन)। 22500 मीट्रिक टन यूरिया को आयात समता मूल्य (पिछले वर्ष - 7500 मीट्रिक टन) के तहत नेपाल को निर्यात किया गया था।
- 2- t S&mozd% 20.98 लाख रुपए मूल्य के 42.01 मी.टन जैव-उर्वरकों की बिक्री की गई (पिछले वर्ष 9.22 लाख रुपए मूल्य के 18.50 मी.टन)।
- 3- dfe&[kn% 87.18 मी.टन कृमि-खाद, जिसका मूल्य 12.20 लाख रुपए था, की बिक्री की गई (पिछले वर्ष 8.73 लाख रुपए मूल्य का 62.17 मी.टन)।

[k Q ki kj dk Zlyki %

कंपनी ने विभिन्न कृषि आदानों के व्यापार कार्यकलाप शुरू किए हैं और वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित व्यापार कार्यकलापों का निष्पादन किया है:

- 1- , l , l i h mozd% 819.60 लाख रुपए मूल्य के 11501.20 मी.टन की बिक्री की गई (पिछले वर्ष 371.00 लाख रुपए मूल्य का 5310 मी.टन) ;
- 2- fl Vh dEi kLV% 3.38 लाख रुपए मूल्य के 120 मी.टन की बिक्री की गई (पिछले वर्ष 1.32 लाख रुपए मूल्य का 20 मी.टन)।

13. MARKETING PERFORMANCE REVIEW

During the year under review, Company has done following marketing activities:

A. Own Products:-

1. **Mukta Neem Coated Urea:** During the year, company sold 247472.42 MT Urea (Previous year 297640.90 MT). 22500 MTs urea were exported to Nepal under Import Parity Price (Previous year - 7500 MTs).
2. **Bio- Fertilizers:** 42.01 MT Bio- Fertilizers valued Rs. 20.98 lacs were sold (Previous year 18.50 MT valued Rs. 9.22 Lakhs) ;
3. **Vermi Compost:** 87.18 MT Vermi Compost valued Rs. 12.20 lacs were sold (Previous year 62.17 MT valued Rs. 8.73 lacs).

B. Trading Activities:

Company has done trading business of various Agro Inputs and performed following trading activities during the year 2017-18:

1. **SSP Fertilizers:** 11501.20 MT valued Rs. 819.60 lacs were sold (Previous year 5310 MT valued Rs. 371.00 Lakhs);
2. **City Compost :** 120 MT valued Rs. 3.48 lacs were sold (Previous year 20 MT valued Rs. 1.32 lacs).

x- दफ्तरी/डीलर के मिट्टी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी पूर्वोत्तर में एकमात्र यूरिया उत्पादन कंपनी है, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए अपने ग्राहकों/किसानों को शिक्षित करने/जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आपकी कंपनी द्वारा आयोजित किसानों/डीलरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

- क) किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम: आपकी कंपनी ने असम के विभिन्न स्थानों पर 25 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफटीपी) आयोजित किए हैं। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया और उर्वरकों की संतुलित/अनुशंसित खुराक, कंपोस्ट और नीम लेपित यूरिया, कृमि खाद और कंपनी के जैव-उर्वरकों के लिए अपशिष्ट का उपयोग करने की सलाह दी गई थी।
- ख) डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रम: असम, बिहार और त्रिपुरा के विभिन्न स्थानों पर 04 डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूंकि डीलर किसानों और खुदरा विक्रेताओं में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने में महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, अतः डीलरों को मिट्टी परीक्षण के महत्व, मिट्टी के नमूने की रिपोर्ट के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लाभ, नीम लेपित यूरिया, कृमि खाद और जैव-उर्वरकों के लाभ के बारे में जानकारी दी गई थी। डीलरों से अनुरोध किया गया था कि किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति उनकी मिट्टी की आवश्यकता के अनुरूप की जाए।
- ग) गांव अंगीकार कार्यक्रम: ऊपरी असम क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में 03 गांवों को गोद लेने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। गांव गोद लेने के कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को आपकी कंपनी के अधिकारियों द्वारा शिक्षित

C. Agricultural Promotion Programme :

During the year under review, your company is the only urea manufacturing company in Northeast, playing proactive roles in imparting education/creating awareness to its customers/farmers for maintaining the soil health and increase in crop production. The details of farmers/dealers training programmes undertaken by your company are mentioned as below :

- a) Farmers Training Programme : Your company has conducted 25 Nos. of Farmers Training Programme (FTP) at different destinations of Assam. During the Farmers Training Programme, farmers were encouraged for soil testing and advised to use balanced/recommended doses of fertilizers, waste to compost & Neem coated Urea, Vermi compost & Bio-fertilizers of the company.
- b) Dealers Training Programme : 04 Nos. Dealers Training Programme were conducted at different destinations of Assam, Bihar and Tripura. Since, dealers are vital link in disseminating the information to the farmers and retailers. Dealers were educated about the importance of soil testing, benefits of balanced use of fertilizers based on soil sample report, waste to compost & benefits of Neem coated urea, Vermi compost & Bio-fertilizers of the company. Dealers were requested to facilitate the supply of fertilizers to the farmers conforming to their soil requirement.
- c) Village adoption programme : 03 nos. of Village adoption programmes were conducted at different districts of upper Assam areas. Under village adoption programme farmers are educated by your

- किया जाता है और उन्हें फसल उत्पादकता बढ़ाने, उनकी कृषि आय बढ़ाने के लिए अनुशंसित फसल पैटर्न अपनाने, बीज प्रकार सिंचाई की आवश्यकता, मिट्टी के उपचार और अन्य अतिरिक्त जानकारी के उपयोग की सलाह दी जाती है।
- घ) फसलों से संबंधित साहित्य का वितरण: आपकी कंपनी ने किसानों को कृषि फसलों के विवरण सहित विभिन्न फसलों पर 40,000 इश्तहार/ पर्चे वितरित किए हैं जिसमें उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विशिष्ट साहित्य, मिट्टी परीक्षण का महत्व, अपशिष्ट से खाद बनाने और नीम लेपित यूरिया, कृमि खाद और कंपनी के बायो-उर्वरक शामिल हैं।
- ङ) मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानें: उर्वरक विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी को अपने विपणन क्षेत्र में 10 मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानें खोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तदनुसार, आपकी कंपनी ने किसानों के खुदरा दुकानें 'किसान सुविधा केंद्र (केएसके)' नामक 10 मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानें खोलीं जिसमें से 07 दुकानें अपनी व्यवस्था के अंतर्गत नामरूप, जोरहाट, नागांव, कामरूप, बारपेटा, बोंगाईगांव और कछार में खोली गईं और असम के शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में 03 दुकानें फ्रैंचाइजी आधार पर खोली गईं ताकि उर्वरकों, अन्य कृषि आदानों की सुचारु ढंग से आपूर्ति की जा सके और कृषि समुदाय को मिट्टी के नमूने का परीक्षण करने और तकनीकी जानकारीयों जैसी संबद्ध सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
- च) डीबीटी योजना के अंतर्गत पीओएस मशीनों की स्थापना: आपकी कंपनी को उर्वरक विभाग द्वारा 750 पीओएस डिवाइसेस खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, आपकी कंपनी ने पूर्वोत्तर राज्यों
- company's officials and advised them for recommended crop pattern, seed type irrigation requirement, soil treatment and utilization of other additional inputs for augment their farm income by increase in crop productivity.
- d) Distribution of crops literatures : Your company has distributed 40,000 nos. of handbills/leaflets on different crops to the farmers with details of agriculture knowledge including specific literature on balance use of fertilizers, importance of soil testing, waste to compost and Neem coated urea, Vermi compost & Bio-fertilizers of the company.
- e) Model Fertilizers Retail Shops : As per the directions of Department of Fertilizers, govt. of India, your company was entrusted the responsibility to open 10 nos. Model Fertilizer Retail Shops in its marketing territory. Accordingly, your company had opened 10 nos. of Model Fertilizers Retail Shops in the name of "Kisan Suvidha Kendra (KSK)" i.e. 07 nos. at Namrup, Jorhat, Nagaon, Kamrup, Barpeta, Bongaigaon & Cachar under its own arrangement & 03 nos. at Sibsagar, Dibrugarh and Tinsukia districts of Assam on Franchisee basis to ensure the smooth supplies of fertilizers, other agricultural inputs and allied facilities such as soil sample testing and technical knowhow to the farming community.
- f) Installation of POS Machines under DBT Scheme : Your company was entrusted the responsibility to procure 750 nos. of POS devices by DOF, however, upto the financial year 2017-18 , your company has deployed 783 nos. of POS devices in NE States in

में उर्वरकों के रिसाव/अपवर्तन को रोकने, किसानों के स्तर तक उर्वरकों के ट्रेक्ट संचालन, खुदरा/किसान स्तर पर नई तकनीक के प्रति जागरूकता पैदा करने और साप्ताहिक आधार पर वास्तविक बिक्री पर उत्पादनकर्ता को 100% सब्सिडी के हस्तांतरण को रोकने के लिए 783 पीओएस उपकरणों की तैनाती की है। पीओएस की राज्यवार तैनाती निम्नानुसार है:

Ø-l a	jk; dk ule	o"K2017&18 rd yxkbZxbZ ihvks l e' huka dh l d; k
1	मिजोरम	9
2	नागालैंड	3
3	त्रिपुरा	123
4	मणिपुर	37
5	असम	611
dy		750

14- clek

आपके कॉर्पोरेशन की संपत्तियां और बीमायोग्य परिसंपत्तियां जैसे संयंत्र और मशीनरी, भवन, स्टॉक तथा अन्य का पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है। सार्वजनिक बीमा अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार आपके कॉर्पोरेशन ने कोई आपदा होने की स्थिति में आसपास के लोगों को बीमा कवरेज देने के लिए 15 करोड़ रुपए की एक पॉलिसी ली है।

15- l j{kk

नामरूप उर्वरक परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ द्वारा की जा रही है और कॉर्पोरेशन की टाउनशिप में सुरक्षा गार्ड और निगरानी बाहरी स्रोत द्वारा की जा रही है। संयंत्र की सुरक्षा लेखा परीक्षा समय-समय पर इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा की जा रही है। ब्यूरो समय-समय पर और आवश्यकता, जहां-कहीं उन्हें बताया जाता है, का तत्काल अनुपालन किया जाता है। सुरक्षा की समीक्षा समय-समय पर आंतरिक रूप से की जाती है। प्रबंधन, सुरक्षा स्टॉफ और कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी की सुरक्षा आवश्यकताओं के

order to prevent the leakage/diversion of fertilizers, tract movement of fertilizers upto farmers level, creating awareness towards the new technology at retails/farmers level and transfer of 100% subsidy to the manufacturer on actual sales on weekly basis. The state wise deployment of POS is furnished as under :

S.NO.	State Name	Nos. of POS machine deployed upto the year 2017-18
1	Mizoram	9
2	Nagaland	3
3	Tripura	123
4	Manipur	37
5	Assam	611
Total		750

14. INSURANCE

The properties and insurable assets of your corporation such as Plant & Machineries, Building Stocks and others are adequately insured. As required under the provisions of Public Insurance Act, 1991, Corporation has taken a policy of Rs. 15 crores to give insurance coverage to the peoples of adjoining areas, in case of any disaster.

15. SECURITY

The security of the Namrup Fertilizer Complex is being looked after by the CISF and in Corporation's township, the security guarding and patrolling services are being outsourced. Security audit of the plant is being done by the Intelligent Bureau periodically and the requirements, wherever pointed out by them, are immediately complied with. The internal security also reviewed by the management from time to time. The management, security staff and the employees of company are sensitized periodically to the security needs of company. At

बारे में जानकारी दी जाती है। वर्तमान में, फैक्टरी क्षेत्र में कुल 180 सीआईएसएफ कार्मिक नियुक्त किए गए हैं। जबकि टाउनशिप क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए 32 निजी गाड्स को भी नियुक्त किया गया है।

16- ISO 9001 & 14001 CERTIFICATE

वर्ष 2015 में आईएसओ 9001:2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) के लिए आईएसओ प्रमाणन और आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रणाली प्रबंधन) प्राप्त किया गया था। दोनों प्रमाण-पत्र 09/08/2015 से 08/08/2018 तक वैध हैं।

प्रमाणन एजेंसी: मैसर्स स्विस् सर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

प्रमाण-पत्र का फ्लॉवर

प्रमाण-पत्र 09/08/15 को प्राप्त किया गया।

प्रथम वर्ष निगरानी लेखा परीक्षा 02/08/2016 से 05/08/2016 तक की गई थी।

द्वितीय वर्ष निगरानी लेखा परीक्षा 07/11/2017 से 09/11/2017 तक की गई थी।

प्रमाण-पत्र की अवधि, ध्यान देना

वर्तमान प्रमाणीकरण 08/08/2018 को समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, आईएसओ द्वारा आईएसओ 9001 और 14001 दोनों मानक पहले ही संशोधित किए जा चुके हैं। इसलिए, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संशोधित मानकों अर्थात् आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

- 20 प्रतिभागियों के एक बैच के लिए आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनआईटी आमंत्रित की गई है। प्रशिक्षित बैच नामरूप-III समूह संयंत्रों और आम सेवा विभागों में संशोधित मानकों को लागू करेगा।

present, corporation has deployed 180 nos. of CISF personnel in the factory area and 32 nos. of Private security personnel in the township area to maintain security.

16. STATUS OF ISO 9001 & 14001 CERTIFICATE

Implementation in Namrup-III Group of Plants and Common Services Departments of BVFCL:

ISO Certification for ISO 9001:2008 (Quality Management System) and ISO 14001:2004 (Environmental Management System) were obtained in the Year 2015. Both Certificates are valid from 09/08/2015 to 08/08/2018.

Certification Agency: M/s SWISS CERT PRIVATE LIMITED, New Delhi.

Present Certification Status:

Certificates obtained w.e.f 09/08/15.

1st Year Surveillance Audit was done from 02/08/2016 to 05/08/2016.

2nd Year Surveillance Audit was done from 07/11/2017 to 09/11/2017.

Action for Re-certification:

The present certification will expire on 08/08/2018. Moreover, both of the ISO 9001 and 14001 Standards have already been revised by ISO. Therefore, following action has been taken by BVFCL for implementation of revised standards i.e. ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015:

- NIT has been floated for a training programme on ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 for a batch of 20 participants. The trained batch will implement the revised standards in Namrup-III Group of Plants and Common Services Departments.

- (ii) पुनः प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए एनआईटी आमंत्रित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया चल रही है। एनआईटी जल्दी ही आमंत्रित की जाएगी।

- (iii) Preparatory work for floating NIT for Recertification Process is going on. The NIT will be floated shortly.

17- वार्षिक लेखा परीक्षा

कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा और नियमित प्रबंधनीय समीक्षा समर्थित वित्त और लेखा के अलग-अलग क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। लेखाकरण क्षेत्र में वाउचर बनाने से लेकर वाउचर की जांच करने तक आंतरिक नियंत्रण मौजूद है जिसके अन्तर्गत शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वाउचर पर प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। दैनिक नकद बही शेष की भौतिक गणना की जाती है और बही से उसकी जांच की जाती है। इसी प्रकार, सभी बैंक खातों का भी समय-समय पर मिलान किया जाता है। लेखाकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी अपनाई जाती है जिसके अन्तर्गत प्रणाली में दर्ज सामान्य वाउचरों सहित वाउचरों का लेखाकरण से पूर्व जांच और वैधीकरण किया जाता है। मुद्रा संबंधी प्रत्येक क्रय/निर्माण संविदा या अन्य प्रस्ताव की नीति और कार्यविधि के अनुसार उचित निर्णय लेने से पूर्व समिति द्वारा जांच और समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सभी लागू कानून, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन का अनुपालन शामिल होता है। इस प्रणाली की समय-समय पर जांच की जाती है और सुधार करने हेतु कार्रवाई की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा समर्थित बाह्य योग्य एजेंसी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा में दस्तावेजों/रिकार्डों/कार्यविधियों की जांच की जाती है और अनुपालन के लिए आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेखा परीक्षा समिति नियमित रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की समीक्षा करती है।

कंपनी के कार्यकारी प्रबंधन द्वारा किसी स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म से कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीति/नियमावली का उन्नयन करने पर विचार

17. INTERNAL CONTROL SYSTEM

The company has adequate internal control system in the respective areas of Finance & Accounts supported by Internal Audit and regular management reviews. In the accounting, internal control is exercised right from the preparation of vouchers where each voucher is checked and countersigned by respective senior officers as per delegation of power. The daily cashbook balance on manual basis is physically counted and checked with the book. Similarly, all bank accounts are also reconciled periodically. Internal control is also exercised for accounting where vouchers including journal vouchers entered into the system are checked and validated before those are accounted for. Every proposal for purchase/works contract or others having monetary involvement are examined as per policy and procedures and reviewed by a committee before taking appropriate decision. Internal Control System includes compliance of all the applicable laws, safety of assets of the company and risk management. The System is reviewed from time to time and action taken for improvement. Internal Audit is conducted by the outside qualified agency supported by the Finance & Accounts Department. Internal Audit examines documents / records / procedures and submits periodical reports for compliance. The Internal Audit Reports and follow up actions thereon are regularly placed before the Audit Committee. Audit Committee regularly reviews the internal audit and adequacy of internal control.

The updation of internal financial control policy/manual of the company from an Independent Chartered Accountancy Firm are under

किया जा रहा है।

18- कुल जनशक्ति

द- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है। दिनांक 31.03.2018 के अनुसार जनशक्ति निम्नानुसार थी:-

क्र.सं.	वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	52	8.52
2	अनुसूचित जनजाति	80	13.11
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	191	31.31
4	भूतपूर्व सैनिक	0	0.00
5	शारीरिक रूप से विकलांग	1	0.17
6	महिलाएं	35	5.74
7	अल्पसंख्यक	33	5.41
8	अन्य	218	35.74
कुल		610	100

क- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है। दिनांक 31.03.2018 के अनुसार जनशक्ति निम्नानुसार थी:-

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बाहरी और आंतरिक दोनों में कुल 28 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निम्नानुसार भाग लिया:

1. बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	विषय	प्रशिक्षण संस्थान
1	टर्बो मशीनरी निगरानी	बीआईजेड प्रशिक्षण
2	18वां राष्ट्रीय सम्मेलन	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली

consideration of the executive management of the company.

18. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

A. MANPOWER POSITION:

The total manpower status of the Corporation as on 31st March 2018 was 610. Reservation of SC/ST/OBC/Ex- Serviceman and Physically handicapped categories in the service are being maintained as per the government directives. The manpower position as on 31.03.2018 was as under: -

Sl. No.	Categories	Nos.	%
1	Scheduled Caste	52	8.52
2	Scheduled Tribe	80	13.11
3	OBC	191	31.31
4	Ex- Servicemen	0	0.00
5	Physically handicapped	1	0.17
6	Women	35	5.74
7	Minority	33	5.41
8	Others	218	35.74
TOTAL		610	100

B. TRAINING :

During the year ended on 31st March 2018, total 28 training programmes both external and internal were conducted. Brief details of training programmes are stated as under :

1. EXTERNAL TRAINING PROGRAMMES

Sl. No.	Subjects	Name of Institution
1	Turbo Machinery Monitoring	BIZ Trainings
2	18 th National Conference	The Institute of Company Secretaries of India, ND

3	यूरिया संयंत्रों के संचालन और रखरखाव की समस्याएं	फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
4	जीएसटी की मूल बातें	लोक उद्यम विभाग
5	पीएटी योजना पर क्षेत्रीय कार्यशाला	ऊर्जा संरक्षण पर मेघालय राज्य नामित एजेंसी
6	ऑनलाइन पीई सर्वेक्षण डेटा इनपुट भरने के लिए निर्देश	लोक उद्यम विभाग
7	प्रशासनिक सतर्कता	आईएसटीएम
8	अखिल भारतीय सर्वो बैठक	इंडियन ऑयल (एओडी)
9	पीएटी योजना पर कार्यशाला	ऊर्जा संरक्षण पर असम राज्य नामित एजेंसी
10	निविदा, खरीद और अनुबंध	लोक उद्यम विभाग
11	एफएआई वार्षिक संगोष्ठी, 2017	फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
12	विश्वसनीयता सुधार, गैस टरबाइन रखरखाव और नियंत्रण के लिए	आईओसीएल (एओडी), डिगबोई
13	एलवी स्विचगियर में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड
14	उर्वरक उद्योग में वरिष्ठ रखरखाव इंजीनियरों के लिए कार्यक्रम	फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

3	Operation & maintenance problems of Urea plants	Fertilizer Association of India, New Delhi
4	Basics of GST	Department of Public Enterprises
5	Regional workshop on PAT scheme	Meghalaya State Designated Agency on energy conservation
6	Instruction for filling up online PE Survey data input	Department of Public Enterprises
7	Administrative Vigilance	ISTM
8	All India Servo Meet	Indian Oil (AOD)
9	Workshop on PAT scheme	Assam State Designated Agency on energy conservation
10	Tendering, procurement & contracting	Department of Public Enterprises
11	FAI Annual Seminar, 2017	Fertilizer Association of India, New Delhi
12	Gas Turbine Maintenance & Controls for reliability Improvement	IOCL (AOD), Digboi
13	Best Practices in LV Switchgear	Larsen & Toubro Limited
14	Programme for senior maintenance engineers in Fertilizer Industry	Fertilizer Association of India, New Delhi

II. वार्षिक शिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	विषय	अधिकारी / कर्मचारी	स्थान
1.	प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन पर संगोष्ठी	अधिकारी = 20	इंस्ट्रुमेंटेशन विभाग, बीवीएफसीएल
2.	जीएसटी पर कार्यक्रम	अधिकारी = 30 कामगार = 3	वित्त विभाग, बीवीएफसीएल
3.	एफएएस, एचआरएमएस, डीएमएस पर कार्यक्रम	अधिकारी = 27	Alph@linx टेक्नोलॉजीस, बैंगलोर
4.	यांत्रिक विषयों पर संगोष्ठी	अधिकारी = 17	केमिकल सील्स इंजीनियरिंग, मुंबई
5.	जल उपचार पर कार्यक्रम	अधिकारी = 15	ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मुंबई
6.	विद्युत परीक्षण उपकरणों पर संगोष्ठी	अधिकारी = 13 कामगार = 01	स्कोप टेस्ट एंड मेजर्स, मुंबई
7.	सीपीएसई के मुद्दों पर चर्चा	अधिकारी = 26	आंतरिक
8.	सिंक्रनाइज्ड जेनरेटर पर प्रस्तुति	अधिकारी = 21	विद्युत विभाग, बीवीएफसीएल
9.	सीडीए नियमों पर कार्यक्रम (विभिन्न तारीखों पर पांच कार्यक्रम)	अधिकारी = 132	कार्मिक विभाग, बीवीएफसीएल
10.	विद्युत विषयों पर कार्यक्रम	अधिकारी = 18	यूटिलिटी पावर टेस्ट, वडोदरा

x- वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध परिदृश्य कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा।

क. वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत विभिन्न तारीखों पर पांच कार्यक्रम

II. INTERNAL TRAINING PROGRAMMES

Sl. No.	Subject	Level & (Number of Participants)	Faculty
1	Seminar on Process Instrumentation	Officers = 20	Instrumentation Department, BVFCL
2	Programme on GST	Officers = 30 Workmen = 3	Finance Department, BVFCL
3	Programme on FAS, HRMS, DMS	Officers = 27	Alph@linx Technologies, Bangalore
4	Seminar on Mechanical topics	Officers = 17	Chemical Seals Engineering, Mumbai
5	Programme on Water Treatment	Officers = 15	Grasim Industries, Mumbai
6	Seminar on Electrical testing instruments	Officers = 13 Workmen = 01	Scope Test & Measures, Mumbai
7	Discussion on issues of CPSEs	Officers = 26	Internal
8	Presentation on Synchronized Generator	Officers = 21	Electrical Department, BVFCL
9	Programme on CDA Rules (Five programmes on different dates)	Officers = 132	Personnel Department, BVFCL
10	Programme on Electrical topics	Officers = 18	Utility Power test, Vadodara

C. INDUSTRIAL RELATIONS REPORT:

The Industrial Relations Scenario during the year was by and large peaceful.

D. ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR WELFARE AND ADVANCEMENT OF SCHEDULED CASTES (SCs),

आपकी कंपनी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपति के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है। कंपनी में किसी भी रिक्ति पर आवेदन करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क देने पर पूरी तरह से छूट दी जाती है। तथापि, उन्हें प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होता है।

आपकी कंपनी में सम्पर्क अधिकारी के अधीन एक अजा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है जो अजा./अ.ज.जा. समुदाय से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर तथा अजा./अ.ज.जा. एसोसिएशनों के साथ चर्चा करके उसका समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

कंपनी की सभी कल्याण सुविधाएं अन्य कर्मचारियों सहित अजा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों को भी दी जाती हैं। कंपनी को जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों का कोई आबंटन प्राप्त नहीं होता।

कंपनी की सभी कल्याण सुविधाएं अन्य कर्मचारियों सहित अजा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों को भी दी जाती हैं। कंपनी को जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों का कोई आबंटन प्राप्त नहीं होता।

01.01.2018 को अजा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला वार्षिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में दर्शाया गया है तथा पिछले कैलेंडर वर्ष अर्थात् 2017 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या निदेशक की रिपोर्ट के अनुसार दी गई है।

19- भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च, 2012 (यथा संशोधित) के आदेश के अनुसार, आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल खरीद हासिल की है जो गैर-छूट वाली वस्तुओं के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल वार्षिक खरीद के न्यूनतम 20% की सीमा तक थी। सभी निविदा

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च, 2012 (यथा संशोधित) के आदेश के अनुसार, आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल खरीद हासिल की है जो गैर-छूट वाली वस्तुओं के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल वार्षिक खरीद के न्यूनतम 20% की सीमा तक थी। सभी निविदा

SCHEDULED TRIBES (STs), OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) AND PHYSICALLY HANDICAPPED (PH).

Your company is following the presidential directive and guidelines/ orders issued by the Government of India from time to time in the matter of reservation in services for SCs, STs and OBCs. Candidates belonging to SC and ST are fully exempted from payment of fee while applying for any post in the Company. However, they are required to pay processing fees.

Your company is having one SC/ST/OBC Cell under the Liaison Officer, who initiates necessary action to settle the grievances of the employees belonging to SC/ST community on priority basis and in consultation with SC/ST Associations.

All the welfare facilities of the company are also extended to the employees of SC/ST community along with other employees. Our company do not received any allocation of fund under tribal sub-plan from the Govt. of India.

The Annual statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 1.01.2018 and Number of appointments made during the preceding calendar year i.e. 2017 is enclosed at **Annexure – 1(C)**.

19. PUBLIC PROCUREMENT POLICY OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSMEs) ORDER, 2012

As per this directive of Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, vide order dated 23rd March, 2012 (as amended), your company has achieved an overall procurement of products produced and services rendered by Micro, Small and Medium Enterprises to the extent of minimum of 20% of total annual purchases in the financial year 2016-17

आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में एमएसएमई पर लागू छूट के लिए सरकारी दिशानिर्देश का उल्लेख करते हुए आवश्यक प्रावधान किया गया है। एमएसएमई से खरीद के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं को खरीदने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

20- 1 र्दऱक

सतर्कता कोई पृथक गतिविधि नहीं है और इसे प्रबंधन कार्यों के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जा रहा है। सतर्कता की मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न विभागों के निष्पादन पर सतर्कता की दृष्टि से गहन निगरानी रखना है और निगरानी के दौरान पाई गई कमी के बारे में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को सूचित करना है और सुधारात्मक या निवारक उपायों के लिए सभी संभावित कदमों को अवगत कराने की आवश्यकता है ताकि सीवीसी/डीओएफ/डीपीई/ डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार प्रणाली में सुधार प्रक्रिया को लागू करके प्रभावी, सार्थक, सक्रिय और पूर्वानुमानित उपायों के माध्यम से ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। सतर्कता विभाग प्रबंधन को इनपुट प्रदान करने के लिए एक चैनल के रूप में कार्य कर रहा है और समय-समय पर समीक्षा और मौजूदा प्रणाली की सुव्यवस्थितता के आधार पर सुझाव दे रहा है और कमियों की पहचान करके प्रक्रियाओं को समय-समय पर अपनाया जा रहा है।

संगठन 'सतर्कता विंग' का उपयोग अपने कमजोर क्षेत्रों, भ्रष्टाचार संभावित क्षेत्रों और खराब क्षेत्रों की पहचान के लिए करता है। इस प्रकार, 'सतर्कता विभाग' सतर्क आंखों के रूप में कार्य करता है और संगठन के प्रबंधन के कानों को सतर्क करता है। वर्तमान में, निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं जो कॉर्पोरेशन को सतर्कता गतिविधियों पर दिशानिर्देश, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं, जिनकी सहायता एक वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी और कॉर्पोरेट कार्यालय, नामरूप में तैनात एक सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है।

'रोकथाम इलाज से बेहतर है' सिद्धांत के आधार पर, सतर्कता विभाग सक्रिय रूप से निवारक उपाय

for non exempted items. In all Notice Inviting Tenders (NIT) necessary provision has been made stating the, Government Guidelines for relaxation applicable to MSMEs. All efforts are being made to procure items specified for procurement from MSMEs.

20. VIGILANCE

Vigilance is not a stand-alone activity and is being looked upon as an integral segment of the management function. Main responsibility of vigilance is to keep a close watch from vigilance angle on the performance of various departments and to feed the top hierarchy about the deficiency observed during the watch and kept apprised of all the possible moves for corrective or preventive measures need to be taken to check re-occurrence of such deficiencies through effective, meaningful, proactive and predictive measures by implanting System Improvement Procedure as per directives of CVC/DoF/DPE/DoPT. The Vigilance Department is functioning as a channel for providing inputs to the Management and providing suggestive measures by periodic review and streamlining of existing system and procedures is being adopted from time to time by identifying the loopholes.

The Organization uses the 'Vigilance Wing' in its setup to identify its weak spots, gray areas and bad eggs. Thus, the 'Vigilance Department' serves as the watchful eyes and alert ears of the Management of the Organization. Presently, Director (Fertilizers), Department of Fertilizer holding the additional charge of the post of Chief Vigilance Officer provides direction, guidance and supervision over the vigilance activities of the Corporation who is assisted by one Senior Vigilance Officer and one Vigilance Officer posted at Corporate Office, Namrup.

Based on the principle "Prevention is Better Than Cure", the Vigilance Department is actively involved

करता है, जिसका उद्देश्य खामियों को रोकने के लिए कदम उठाना है, जो कंपनी में धोखाधड़ी और दोषों जैसी प्रकृति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

कॉर्पोरेशन ने निवारक सतर्कता को मुख्य विषय के रूप में अपनाया है। कॉर्पोरेशन के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर बल दिया गया है। जहां तक निवारक सतर्कता का संबंध है, सतर्कता यूनिट समय-समय पर कार्य पद्धति में संशोधन करने की दृष्टि से अध्ययन करता है जो कदाचार की गुंजाइश को कम करने के लिए आवश्यक होती है और कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में व्यर्थ व्यय को रोकने के लिए सिफारिश भी की जाती है। इससे प्रक्रिया संबंधी चूक को कम करने में मदद मिलती है और प्रणाली में भी सुधार होता है। यद्यपि भ्रष्टाचार और अन्य कदाचारों की पहचान करना और सजा देना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भ्रष्टाचार के बाद दोषी को सजा की बजाय निवारक उपाय अपनाने पर बल दिया है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संपर्क कार्यालयों सहित सभी कार्यालयों में सतर्कता नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी और केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जिनसे भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए संपर्क किया जा सकता है, का पता और टेलिफोन नम्बर दर्शाए गए हैं। इन बोर्डों को आवश्यकता अनुसार अद्यतन बनाया जाता है।

प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने के लिए कॉर्पोरेशन में कुछ मदों/क्षेत्रों के संबंध में ई-प्रापण/ई-बिक्री, ई-भुगतान/ई-प्राप्ति को कार्यान्वित किया गया है। वेबसाइट पर निविदाओं को दर्शाने के संबंध में सीवीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एक लाख से अधिक की सभी गैर-मालिकाना मदों के लिए सभी खुली निविदाएं प्रदर्शित की जा रही हैं। कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित निविदाओं को डाउनलोड किया जा सकता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों

in the preventive measures, which aim at taking steps to plug the loop holes, which are essential for avoiding recurrence of similar nature of fraudulence and fault in the Company.

The Corporation has adopted preventive vigilance as the main theme. The stress is on transparency and accountability in the working of the Corporation. So far as Preventive Vigilance is concerned, the unit vigilance periodically studies the working procedure with a view to modify so needed to minimize the scope for malpractices and also recommendations are provided to curtail the wasteful expenditure in different areas of the company. This helped to reduce the procedural lapses and improves the system as well. Even though detection and punishment of corruption and other malpractices are certainly important, BVFCL has emphasized on preventive measures instead of hunting for the guilty in the post corruption stage.

Vigilance Notice Boards are installed in all the offices including Liaison Offices of BVFCL, displaying the address and telephone numbers of the Chairman & Managing Director, Chief Vigilance Officer and Central Vigilance Commission, who can be approached for lodging of complaints of corruption. These boards are updated as and when necessitated.

For greater transparency in the system; e-procurement/e-sale, e-payment/e-receipt in respect of certain items/areas has been implemented in the Corporation. On the basis of the guidelines issued from time to time by the CVC regarding display of tenders on Website, all the open tenders for non-proprietary items having value more than one lakh are being displayed on the official Website. The tenders displayed on the Company's website are downloadable.

The guidelines of the Central Vigilance Commission

का कार्यप्रणाली में पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। यह नोट करना प्रशंसनीय है कि सतर्कता इकाई ने असम राज्य में सीबीआई (एसीबी) के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं और परस्पर हित के मुद्दों पर लगातार संपर्क बनाए रखा है।

वर्ष 2017 के लिए 'संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूची' तथा 'संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची' को सीएमडी और सीबीआई, भ्रष्टाचार-रोधी शाखा, गुवाहाटी, असम के परामर्श से समय पर तैयार की गई तथा सूची में शामिल अधिकारियों पर गहन नज़र रखी जा रही है। वर्ष 2017 के लिए 'सहमत सूची' और 'संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूची' को केंद्रीय सतर्कता आयोग और उर्वरक विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

निहित स्वार्थ की स्थिति से बचने के लिए संवेदनशील पदों पर बारी-बारी के आधार पर तैनाती की जा रही है। संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों को तीन साल से अधिक समय बाद स्थानांतरित करने की प्रणाली का पालन किया जा रहा है। स्थानीय सरकार/पीएसयूस के साथ सूचना का आदान-प्रदान करके समन्वय किया जा रहा है ताकि समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और उनसे निपटने के संभावित तरीकों की पहचान की जा रही है। वर्ष के दौरान औचक और नियमित निरीक्षण किए गए। अधिकारियों की चल और अचल संपत्ति विवरणी की नियमित जांच (प्रत्येक वर्ष 20% संपत्ति विवरणियां) यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि कर्मचारी चल/अचल लेनदेन के बारे में प्रबंधन को समय पर सूचना प्रस्तुत करें और यह देखें कि क्या किसी अधिकारी विशेषकर जो वरिष्ठ/संवेदनशील पदों पर तैनात हैं, द्वारा ऐसी परिसंपत्तियां ली गई हैं, जिन्हें उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक का माना जा सकता है। निरीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर, प्रबंधन को सुधार कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं।

पिछले वर्ष अर्थात् 2016-17 की 03 (तीन) शिकायतों को अग्रणीत किया गया था और वर्ष 2017-18 के दौरान बाहरी पार्टियों/एजेंसियों से प्राप्त 7 (सात)

(CVC) are followed in letter and spirit in its functioning. It is commendable to note that the Vigilance Unit has been able to keep cordial relation with the CBI (ACB) in the State of Assam and inconstant touch on the issues of mutual interest.

'Agreed List of Suspected Officers' and 'List of Officers of Doubtful Integrity' for the year 2017 were prepared and finalized in time in consultation with CMD and CBI, Anti-Corruption Branch, Guwahati, Assam and a close watch is being kept on the listed officers. A copy of the "Agreed List" and 'List of Officers of Doubtful Integrity' for the year 2017 has been furnished to Central Vigilance Commission and Department of Fertilizers.

Job rotation in vulnerable areas and posts are being made to avoid emergent of vested interest. System of rotation of employees posted on sensitive posts for more than three years are being followed. Exchange of information with the local Govt./PSUs are being coordinated to identify the problematic areas and possible ways to tackle them. Surprise and regular inspections were carried out during the year. Property returns on Movable and Immovable property (20% of property returns every year) of the officers are being scrutinized at random to ensure that employees submit timely information to the Management about moveable/immovable transactions and to check whether any of the officers, particularly those posted at senior/sensitive positions, are holding assets which may be termed as disproportionate to their known source of income. On the basis of findings of inspections, important suggestions are being given to the Management for remedial action.

03 (three) complaints were carried forward from the last year i.e. 2016-17 and 7 (seven) no. of complaints received during the year 2017-18 from outside parties/agencies were taken

शिकायतों की जांच की गई। इनमें से, 7 मामलों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है और जांच रिपोर्टों के आधार पर उनका निपटान किया गया है। शेष तीन शिकायतें (उर्वरक विभाग में एक और बीवीएफसीएल में दो) की जांच की जा रही है। तथापि, एचडीपीई बैगों की गुणवत्ता के संबंध में एक और अज्ञात/छद्म नाम से एक शिकायत मार्च 2017 में प्राप्त हुई थी जिसे सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार फाइल किया गया था।

सतर्कता विभाग द्वारा उच्च मूल्य की संविदाओं की नियमित आधार पर जांच की जा रही है। प्रमुख संविदाओं की गहन जांच सीटीई पैटर्न पर मासिक आधार पर की जा रही है। जांच के दौरान पाई गई विसंगतियां/अनियमितताएं, यदि कोई हों, को उपचारी कार्रवाई/निवारक उपाय के लिए प्रबंधन के ध्यान में लाया जा रहा है।

प्रशिक्षण उपयोगी सक्रिय उपायों में से एक है। एक सतर्कता अधिकारी को वर्ष के दौरान निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण/कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। कर्मचारियों और जनता को भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2017 तक ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। यूनिट में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और सप्ताह के दौरान कार्यक्रम को इस तरह से तैयार किया गया था जिससे अधिकांश कर्मचारियों को अपने क्षेत्र की गतिविधियों में वास्तव में सतर्क रहने की आवश्यकता के प्रति, अपनी रुचि और पूरी तरह से कॉर्पोरेशन के हित में जागरूक किया जा सके। कर्मचारियों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था। सप्ताह के दौरान, शपथ समारोहों के अलावा भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों को उजागर करने के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सतर्कता विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाए जैसे नारा और निबंध प्रतियोगिता और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के बीच ड्राइंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। ब्रह्मपुत्र वैली

up for investigation. Out of these, 7 cases have been completed and disposed off based on the Investigation Reports. Remaining three complaints (One at DoF & two at BVFCL) are under investigation. However, another Anonymous/Pseudonymous complaint regarding quality of HDPE bags was received in March 2017 and was filed as per CVC guidelines.

The high valued contracts are being scrutinized by the Vigilance Department on regular basis. Intensive Examination of major contracts are being done on monthly basis on CTE pattern. Discrepancies/irregularities noticed, if any, during the scrutiny are being brought to the notice of the Management for corrective action/preventive measures

Trainings are one of the useful proactive measures. One Vigilance Officers got training on Preventive Vigilance during the year. Among the Trainings/Workshops and Seminars "Vigilance Awareness Week" drew the attention of the employees as well as the local people. To sensitize the employees and the public about the evil consequences of corruption, Vigilance Awareness Week was celebrated by BVFCL from 30th October to 4th November, 2017. Vigilance Awareness Week was observed in the Unit appropriately and programmes during the week were chalked out in such a manner that indeed awaken majority of the employees towards the need to be vigilant in their sphere of activities, in their own interest and the interest of the Corporation as a whole. The employees were also encouraged to participate in various programmes. During the week, mass walk programme, Slogan & Essay Competition and Seminar were organized by the Vigilance Department of BVFCL to highlight the harmful effects of corruption in addition to the pledge ceremonies. Drawing competition among the students of schools and colleges were also held to generate awareness about the ill effect

फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्कूल/कॉलेज के परिसर में बैनर भी प्रदर्शित किए गए थे।

21- दयः क क मि क दकि क १ लेफ्ट द मयि क नफ; रो १/२

आपके कॉर्पोरेशन ने अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में अनेक उपाय किए हैं (8 कि.मी. के दायरे के आसपास के क्षेत्रों में)। जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:

अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आवास तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, कॉर्पोरेशन कर्मचारियों तथा टाउनशिप और आसपास के गांवों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी एक उच्च माध्यमिक स्कूल, एक प्राथमिक स्कूल एक केन्द्रीय विद्यालय और एक मॉडल हाई स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) के साथ-साथ एक प्राथमिक विद्यालय चला रही है। आपकी कंपनी ने इससे पहले नामरूप में उच्च शिक्षा के लिए एक नामरूप कॉलेज, एक बी.एड कॉलेज तथा नामरूप में एक राज्य सरकारी डिस्पेंसरी की स्थापना को संरक्षण प्रदान किया था। आपकी कंपनी ने एक जूनियर कॉलेज तथा एक असमी माध्यम स्कूल में रियायती दर पर आवास उपलब्ध कराकर मदद भी की है।

कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराने के लिए आधुनिक उपकरणों सहित एक 60 बिस्तर वाला अस्पताल भी उपलब्ध है। आसपास के स्थानीय लोगों और ठेका मजदूरों को रियायती दरों पर उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है।

आपकी कंपनी नामरूप और आसपास के क्षेत्रों में जनता को पेयजल सुविधाएं, बाजार, धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यों तथा अन्य संस्थानों के लिए भूमि तथा टेलिफोन एक्सचेंज, डाकघर, रोजगार केन्द्र और नागरिक रक्षा कार्यालय के लिए जगह भी उपलब्ध कराता है।

क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सामाजिक कल्याण कोष से आसपास के

of corruption. Banners were also displayed at the premise of BVFCL school/college.

21. WELFARE MEASURES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Your Corporation undertakes various welfare schemes for its employees and a host of measures as its Corporate Social Responsibility limited to (the surrounding areas within 8 kms radius). Briefly they comprise of the following:

Besides extending housing and medical facilities to its employees and dependents, the Company also provides educational facilities to the children of employees and the wards of the township and the nearby villages. Your Company is running one Higher Secondary School, one Kendriya Vidyalaya, one Model High School (English Medium) and one Primary School. Your Company extended its patronage earlier for establishment of Namrup College, one B.Ed College for higher education and establishment of a State Dispensary at Namrup. Your Company also extends its helping hand to a Junior College and one Assamese medium school, by providing accommodations within the colony area at concessional rate.

A 60 bedded hospital with modern equipments is available to extend medical facilities to employees & their dependents. Nearby people of the localities and contract workers are also provided treatment at nominal fee.

Your company extends facilities to the public of Namrup and adjoining areas like drinking water facilities, market, land for religious / cultural and other institutions and accommodation for telephone exchange, post office, employment exchange and civil defense office.

In order to maintain socio-cultural harmony in the locality, time to time financial assistance are being

शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जबकि मेरिट में आने वाले छात्रों को उनके शानदार शैक्षणिक निष्पादन के मान्यता स्वरूप कर्मचारी सुविधा कोष से प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं।

भविष्य निधि, उपदान, कॉर्पोरेशन में पेंशन, ईडीएलआई के एवज में एलआईसी की समूह बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अलावा, कर्मचारियों के कल्याण के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, समूह बचत संबद्ध बीमा योजना, मेडीक्लेम नीति और प्रतिपूर्ति योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

कर्मचारियों को उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे कंपनी में ऊंचा पद ले सकें और अपने ज्ञान और विश्वास के स्तर में सुधार कर सकें।

इसके अलावा, कंपनी में बिना किसी स्त्री-पुरुष भेदभाव के महिला कर्मचारियों के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आपकी कंपनी में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ समाज तथा हमारे आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान रखना है तथा उन्हें हर संभव योगदान देना है जिससे उनका मूल्य बढ़ सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।

इस संबंध में, "स्वच्छ भारत अभियान" के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों तथा इसके आसपास रहने वाले निवासियों के लिए कुछ जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए तथा सभी कार्यालयों, स्कूलों जैसे सार्वजनिक भवनों, फ़ैक्टरी कैंटीन, अस्पताल और आपकी कंपनी के अतिथि गृह, दैनिक बाजारों, खेल के मैदानों और टाउनशिप में सार्वजनिक सड़कों के किनारे स्वच्छता अभियान शुरू किए गए।

extended to the nearby educational and social institutions from the Special Welfare Fund while the meritorious students are given awards as encouragement from Employees' Amenities Fund in recognition of their brilliant academic performance.

In addition to social security schemes like Provident fund, Gratuity, Pension in the Corporation, the Group Insurance Scheme of LIC in lieu of EDLI , Group Personal Accident Insurance Scheme, Group Savings Linked Insurance Scheme, Mediclaim policy and reimbursement Scheme have been implemented for the welfare of the employees.

Employees are encouraged to acquire higher qualifications, an area of empowerment which would enable them to go up the ladder in the company as well improve their knowledge and confidence levels.

Moreover, without indulging any gender discrimination, special attention are being paid in taking the appropriate steps for all round development of the female employees in the company.

In your Company, Corporate Social Responsibility means caring for the society, for the people around us and contributing in every way possible to add value and improving their quality of life.

In this connection, under "Swachh Bharat Abhiyan", some awareness programme have been undertaken from time to time for the employees of the company as well as the residents of its locality and cleanliness drive has been initiated at all offices, public buildings like school, factory canteen, hospital & guest house, daily markets, play grounds and public road sides in township of your company.

22- **DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013**

22. **DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013**

कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में तथा इसके अंतर्गत जारी नियमावली के नियम 14 के साथ पठित महिलाओं के यौन उत्पीड़न की धारा 22 के अनुसरण में आपकी कंपनी यह पुष्टि करती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान ऐसी उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Pursuant to the provisions of Section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 read with Rule 14 of the Rules issued there under, your Company confirms that there has been no complaint of such harassment has been received during the year 2017-18.

संलग्नक 1 (अ) निदेशकों के प्रतिवेदन

ANNEXURE – 1 (A) TO DIRECTORS' REPORT

ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में विवरणों के प्रकटन का फार्म

ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में विवरणों के प्रकटन का फार्म:
Form for disclosure of particulars with respect to conservation of energy:

द- फट यि वल बलु [कि

A. Power & Fuel Consumption

		; fuV			Unit	2017-18	2016-17
1.	[k]nh xBZ		1.	Purchased			
(क)	दय ; fuV दय यलर दर	fd-oK?Wk ¼ u-II½ (एन-III) #i, ykHaea रुपए/कि.वाटघंटा	(a)	Total Unit Total Cost Rate	Kwh (N-II) (N-III) Rs. in Lakhs Rs./ Kwh	180867 525333 262.62 37.19	249050 591550 247.92 29.49
(ख)	(ख) अपना उत्पादन दय ; fuV दय यलर दर	किलोवाटघंटा (एन-II) ¼ u-III½ #i, ykHaea रुपए/कि.वाटघंटा	(b)	Own Generation Total Unit Total Cost Rate	Kwh (N-II) (N-III) Rs. in Lakhs Rs./ Kwh	0 182538360 3958.33 2.17	0 181887980 3883.00 2.13
2.	i kdfrd xS ¼cy esnh xBZek=½		2.	Natural Gas (Billed Quantity)			
(क)	केप्टिव ऊर्जा संयंत्र के लिए		(a)	For Captive Power Plant			
	दय ek=k दय यलर दर	, l, e3 ¼ u-II½ (एन-III) #i, ykHaea रुपए/1000 एसएम3		Total Quantity Total Cost Rate	SM³ (N-II) (N-III) Rs. in Lakhs Rs./1000 SM³	34389848 29007371 3129.27 4935.97	28678395 28774479 3058.88 5324.15
(ख)	बॉयलरों के लिए (एसबी, डब्ल्यूएचबी)		(b)	For Boilers (S.B.,W.H.B.)			
	दय ek=k ¼ dshu l fgr½ दय यलर दर	, l, e3 ¼ u-II½ (एन-III) #i, ykHaea रुपए/1000 एसएम3		Total Quantity (incl. Canteen) Total Cost Rate	SM³ (N-II) (N-III) Rs. in Lakhs Rs./1000 SM³	29190069 70763957 4933.7 4935.97	25370723 78481914 5529.27 5324.15
(ग)	फीड भंडारण के लिए		(c)	For Feed Stock			
	दय ek=k दय यलर दर	, l, e3 ¼ u-II½ (एन-III) #i, ykHaea रुपए/1000 एसएम3		Total Quantity Total Cost Rate	SM³ (N-II) (N-III) Rs. in Lakhs Rs./1000 SM³	58132786 90701223 7346.40 4935.97	47841262 107849532 8289.22 5324.15
(घ)	रिफॉर्मर ईंधन के लिए		(d)	For Reformer Fuel*			
	दय ek=k दय यलर दर	, l, e3 ¼ u-II½ (एन-III) #i, ykHaea रुपए/1000 एसएम3		Total Quantity Total Cost Rate	SM³ (N-II) (N-III) Rs. in Lakhs Rs./1000 SM³	66341008 90498182 7741.53 4935.97	54486997 108823196 8694.89 5324.15

उर्वरक उत्पादन हेतु आवश्यक वस्तुओं का उपभोग B. Consumption per MT of production of Urea

		इकाई			Unit	2017-18	2016-17
1.	प्राकृतिक गैस		1.	Natural Gas			
(i)	फीड स्टॉक	एसएम३/मी. टन (एन-II) (एन-III)	(i)	Feed Stock	SM ³ / MT (N-II) (N-III)	1006.98 428.13	795.19 430.64
(ii)	बिजली (सीपीपी)	एसएम३/मी. टन (एन-II) (एन-III)	(ii)	Electricity (CPP)	SM ³ /MT (N-II) (N-III)	595.70 136.92	476.69 114.89
(iii)	बॉयलर	एसएम३/मी. टन (एन-II) (एन-III)	(iii)	Boilers	SM ³ / MT (N-II) (N-III)	505.63 334.02	421.71 313.37
(iv)	रिफॉर्मर ईंधन	एसएम३/मी. टन (एन-II) (एन-III)	(iv)	Reformer Fuel*	SM ³ / MT (N-II) (N-III)	1149.16 427.17	905.67 434.51
2.	विद्युत		2.	Electricity			
(i)	खरीदी गई	कि.घंटा/मी. टन (एन-II) (एन-III)	(i)	Purchased	Kwh/ MT (N-II) (N-III)	3.13 2.48	4.14 2.36
(ii)	उत्पादित (सीपीपी)	कि.घंटा/मी. टन (एन-II) (एन-III)	(ii)	Generated (CPP)	Kwh/ MT (N-II) (N-III)	0 677.11	0 585.59

* सहायक बॉयलर और सहायक वाष्प सुपर हीटर में एनजी खपत भी शामिल है।

* Includes NG consumption in Aux. Boiler & Aux. Steam Super Heater also.

अनुसूची 1 (B) दिरेक्टर्स' रिपोर्ट:

फॉर्म B

DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

इस खंड में लक्ष्य, वास्तविक, विदेशी मुद्रा अर्जन और बाह्य व्यय का विवरण दिया गया है।

1. ऊर्जा संरक्षण उपाय: %

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय ने निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद नामरूप-II और III के लिए क्रमशः 17.40 और 12.69 जी.कैल/मी.टन यूरिया की लक्ष्य ऊर्जा निर्धारित की है जिसे आकलन वर्ष 2014-15 में प्राप्त किया जाएगा। नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्र दोनों ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2014-15 में नामरूप-II और नामरूप-III में वास्तविक ऊर्जा खपत क्रमशः 14.795 और 11.302 जी.कैल/मी.टन यूरिया है।

बीईई की सिफारिश के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने नामरूप-II और नामरूप-III को 16.02.2017 को क्रमशः 18977 और 28315 ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ईएससीर्ट्स) जारी किए हैं। ये प्रमाणपत्र व्यापार योग्य हैं और उन उद्योगों द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो लक्ष्य प्राप्त करने में नाकाम रहे हैं। मैसर्स मणिकरण पावर लिमिटेड, कोलकाता को आईईएक्स एक्सचेंज में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से व्यापार निष्पादित करने के लिए 'व्यापार सदस्य' के रूप में नियुक्त किया गया था। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप-II और नामरूप-III दोनों को 29.07.2017 को पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम), जो इस उद्देश्य के लिए रजिस्टर्ड है, पर पात्रता कंपनी के रूप में विधिवत पंजीकृत किया गया था। दिनांक 26.09.2017 को आईईसी पावर एक्सचेंज में ईएससीर्ट्स की ट्रेडिंग शुरू हुई और अंतिम ट्रेडिंग 16.01.2018 को हुई थी। तथापि, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित न्यूनतम बिक्री मूल्य से कम वास्तविक मूल्य होने के कारण ईएससीर्ट नहीं बेचे जा सके। इन ईएससीर्ट्स का उपयोग पीएटी-II चक्र में ऊर्जा लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है।

बीईई द्वारा अगले पीएटी चक्र को 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए 2018-19 के रूप में लक्षित वर्ष के

ANNEXURE -1 (B) TO DIRECTORS' REPORT:

FORM B

DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

A. ENERGY CONSERVATION MEASURES:

As per the provision in Energy Conservation Act 2001, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power had set a target energy consumption of 17.40 and 12.69 Gcal/MT of Urea in Namrup-II and Namrup-III respectively to be achieved in the assessment year i.e. 2014-15 after completion of 1st Cycle of Perform, Achieve & Trade (PAT). Both, BVFCL Namrup-II and Namrup-III has successfully achieved the target and actual energy consumption in 2014-15 in Namrup-II and Namrup-III were 14.795 and 11.302 Gcal/MT of Urea respectively.

On the basis of recommendation of BEE, Ministry of Power has issued 18977 Nos. and 28315 Nos. of Energy Saving Certificates (ESCCerts) for Namrup-II and Namrup-III respectively on 16.02.2017. These certificates are tradable and to be purchased by the industries which have failed to achieve the target. M/s Manikaran Power Limited, Kolkata was engaged as "Trade Member" to execute trading on behalf of BVFCL in IEX Exchange. Both BVFCL Namrup-II and Namrup-III were duly registered on 29.07.2017 as Eligible Entity at Power System Operation Corporation Limited (A Govt. of India Enterprise), which is the registrar for this purpose. Trading of ESCerts started in IEX Power Exchange on 26.09.2017 and the last trading was done on 16.01.2018. However, the ESCerts could not be sold due to actual price remaining below the Minimum Selling Price fixed by BVFCL. These ESCerts could be used to compensate any non-fulfillment of energy target in PAT-II Cycle.

Next PAT cycle has been notified by BEE for the period 2016-17 to 2018-19 with target year as 2018-19 and

साथ अधिसूचित किया गया है और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप-III और नामरूप-II के लिए ऊर्जा खपत लक्ष्य क्रमशः 10.302 और 12.959 जीसीएल/मी.टन है।

भारत सरकार ने नई यूरिया नीति 2015 को अधिसूचित किया है जो 01.06.2015 से 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी। नई नीति के अनुसार, मौजूदा गैस आधारित यूरिया उत्पादन इकाइयों को इन इकाइयों के लिए निर्धारित पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानदंडों के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप-II और नामरूप-III को नीति के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये इकाइयां नेशनल गैस ग्रिड से जुड़ी नहीं हैं। नामरूप-IV की स्थापना के साथ इन दोनों इकाइयों को बंद करने का प्रस्ताव है। तब तक इन दोनों इकाइयों को संशोधित एनपीएस-III के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

आपकी कंपनी के दोनों संयंत्र पुराने पड़ चुके हैं जो कि पुरानी अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं अतः ऊर्जा संरक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन होने की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए इन संयंत्रों को जहाँ तक संभव हो, बिना किसी बड़े निवेश चलाए जाने के साथ ही खेती के लिए यूरिया की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्राप्य उत्पादकता बनाये रखने का लक्ष्य है।

1.3.2. ऊर्जा और पर्यावरण

सभी नवीकरणीय और प्रतिस्थापन कार्यों में नवीनतम उपलब्ध उन्नयन प्रौद्योगिकी के उत्पाद खरीदे गए। कुछ उदाहरणों में प्राथमिक रिफार्मर में मल्टीपल होल कैटेलिस्ट, आंतरिक विशेषज्ञता द्वारा नीम लेपित सुविधा की स्थापना, ऑनलाइन प्रदूषण निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।

x. **ऊर्जा खपत** : 'किलोवाट-घंटा'

?k **ऊर्जा खपत**, **मल्टीपल होल कैटेलिस्ट** : 'किलोवाट-घंटा'

M. **ऊर्जा खपत**;

vt **ऊर्जा खपत** **ऊर्जा खपत** % समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है बल्कि पूंजीगत उपकरण के लिए विदेशी वस्तुओं की खरीद के लिए 96.16 लाख रुपए का व्यय किया है।

energy consumption target for BVFCL Namrup-III and Namrup-II being 10.302 and 12.995 GCal/MT respectively.

Gol has notified New Urea Policy 2015 which will remain effective from 01.06.2015 to 31.03.2019. As per the new policy, existing gas based urea producing units have been classified into three groups on the basis of pre-set energy norms fixed for these units. However, BVFCL Namrup-II and Namrup-III has been kept outside the purview of the policy, as these units are not connected to National Gas Grid. These two units are proposed to be closed down with the commissioning of Namrup-IV. Till then these two units will continued to be governed by the provisions of Modified NPS-III.

Both the plants of BVFCL being old and based on obsolete technology, there is little scope of implementing energy conservation schemes. So the aim is to run these plants with no major capital investment as much as possible and at the same time maintaining best achievable productivity to cater to the needs of farmers by ensuring availability of urea for agriculture.

B. Technology Absorption:

In all the renewal and replacement jobs executed periodically, products with latest available upgraded technology are procured. Some examples are, procurement of multi hole catalyst in primary reformer, setting-up of Neem coated urea facility by in-house expertise, implementation of Online Pollution Monitoring System etc.

C. **R & D Efforts** : Nil

D. **Benefit derived as a result of R & D** : Nil

E. **Foreign Exchange**

Earning and Outgo : During the year under review, company has not earned any foreign exchange but expend Rs. 96.16 Lacs towards purchase of foreign goods for Capital equipment.



ब्रह्मपुत्रा घाटी उर्वरक लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

1 तुओज 2018 दसवतक वततक वलह वलह ih, p dk çfruf/Ro vls fiNysdšsMj o"lžds nšku dh xbZfu; fä; ladh l q; k n' lžds ołk ol' lžl foj. k

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs, OBCs and PHs AS ON 1ST JANUARY, 2018
AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING CALENDAR YEAR.

1 lžfud {s= dsm| e dk ule% cāi q ošh QfVz/ht j d, i lžs ku fyfeVš uke: i
NAME OF THE PUBLIC ENTERPRISES: BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED, NAMRUP.

l eg Groups	01-01-2018 dšv-t k@v-t-t k@ vti fi NMk oxZdk i fruf/Ro Representation of SCs / STs / OBCs as on 01.01.2018				2017 dšsMj o"lždsnšku dh xbZfu; qDr; ladh l q; k Number of appointments made during the calendar year 2017						vti rjlds} lžk By Other Methods			
	Total No. of employees	SCs	STs	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k	v-t-t k v-t-t k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17
युप क Group A	307	28	25	86	*45	7	3	16	49	10	2	16	-	-
युप ख Group B	208	12	41	77	-	-	-	-	37	-	10	12	-	-
युप ग Group C	90	8	14	28	-	-	-	-	2	-	1	0	-	-
युप घ Group D (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) (Excluding Safai Karmachari)	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
युप घ Group D सफाई कर्मचारी (Safai Karmachari)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
; lž Total	613	52	80	192	45	7	3	16	88	10	13	28	-	-

* o"lž2017 dšnšku 45 çdaku ç' k lž/ lždš m dš l ž/ lž' fo" k eal e gš & , esafu; fer fd; k x; k gš
* 45 nos. Management Trainee have been regularized in Group – A in their respective discipline during 2017.

' lžfjd : i l sfody/ lž q fDr; ladh çfruf/Ro fu lžk lž gš/ mi; qä foj. k ea' lžey/ %
The representation of physically handicapped manpower as under (included in the above statement):

xq Group	; lž Total	v-t-t k SCs	v-t-t k STs	v-t-t k OBCs
युप ख Group B	-	-	-	-
युप ग Group C	1	-	-	1
युप घ Group D	-	-	-	-

अनुसूची-२ दिग्दर्शक रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन की नीति

आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट अधिशासन एक सतत प्रयास रहा है जो प्रणाली के सभी घटकों की सम्पूर्ण भलाई और कल्याण को ध्यान में रखता है और प्रत्येक कारोबार के सभी निर्णयों में भागीदारों के हितों का ख्याल रखता है। आपकी कंपनी कॉर्पोरेट अधिशासन के उच्चतम मानकों का पालन करके विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मूल उद्देश्य सभी स्तरों पर निगमित दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और ओजपूर्ण उर्जावान तथा उद्यमशीलता के प्रति जागरूक कॉर्पोरेशन संस्कृति, पारदर्शिता और उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना और उसका पालन करना है। आपकी कंपनी का मानना है कि गवर्नेंस को कॉर्पोरेशन लक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत हितों में संतुलन बनाना चाहिए तथा गरीबी, समानता, उचित और न्यायोचित के स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार प्रचालन करना चाहिए। आपकी कंपनी में निर्णय लेने में सुधार करने और ऐसे निर्णयों के पीछे तर्कसंगतता के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता पर बल दिया जाता है ताकि भागीदारों का विश्वास जीता जा सके।

I- गवर्नेंस

द- कानून

बी.वी.एफ.सी.एल. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के प्रावधानों के अनुसरण में एक 'सरकारी कंपनी' है, जिसकी 100% प्रदत्त शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

[क] तत्कालीन कानून

बोर्ड का उत्तरदायित्व कंपनी की रणनीतिक नीतियों का पर्यवेक्षण करना और कॉर्पोरेशन निष्पादन की समीक्षा और निगरानी करना तथा कंपनी के प्रचालन में कार्यपालक प्रबंधन के जोखिम को कम करने वाले प्रयासों की समीक्षा करना है। बोर्ड समिति/बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली पर विचार कर रहा है।

ANNEXURE - II TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance has been a continuous endeavor in your company that cares for an overall well-being and welfare of all the constituent of the system and takes into account the stakeholder's interest at every business decision. Your company is committed to pursue growth by adhering to the highest standards of corporate governance. The primary objective is to create and adhere to a corporate culture of consciousness, transparency and openness in creating awareness of corporate vision and spark dynamism and entrepreneurship at all levels. Your company believes that governance must balance individual interest with corporate goals and operate within the accepted norms of propriety, equity, fair play and a sense of justice. In your company, accountability and transparency are key drivers to improve decision making and rationale behind such decisions to create stakeholders confidence.

I. BOARD OF DIRECTORS:

A. CONSTITUTION OF BOARD

Pursuant to the provisions of Section 2 (45) of the Companies Act, 2013, BVFCL is a "Government Company" holding 100% of its paid up share capital by the President of India. Members of the Board of Directors are appointed by the President of India.

B. RESPONSIBILITIES AND EVALUATION PROCESS OF BOARD / COMMITTEE

The responsibilities of Board is to oversee the company's strategic policies, review and monitor corporate performance, ensure regulatory compliance and reviewing the risk minimizing efforts of executive management in the operation of Company. Board is considering appropriate mechanism for evaluating performance of Committees/Board.

x- कम्पली फेब्रि दह चडवल्सि ईड; क अ

I. फु.ल. यूसुधईड; कडल ईफर चुक

सभी कॉर्पोरेट मामलों को संस्थागत बनाने और बोर्ड द्वारा अपेक्षित चर्चा/निष्कर्षों के मामलों हेतु अग्रिम योजना बनाने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना करने हेतु आपकी कंपनी ने निदेशक मण्डल और उसकी समिति की बैठकों के लिए दिशा-निर्देश परिभाषित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में बोर्ड/समिति की बैठकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित और कारगर ढंग से कारगर बनाने की अपेक्षा की गई है। बोर्ड बैठकों से संबंधित कंपनी के दिशानिर्देशों जहां तक व्यावहारिक हो, समिति की बैठकों के लिए लागू होते हैं।

II- कम्पली फेब्रि दह चडल दस फु, वुड फरफकड; ल फेनकडप; उ

क. बोर्ड/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त अग्रिम नोटिस देते हुए बैठकें बुलाई जाती हैं। विशिष्ट तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्प नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं। तात्कालिकता या आकस्मिकता के मामले में संकल्प परिचालन के द्वारा पारित किए जाते हैं।

ख. बैठकों में अर्थपूर्ण, सुविचारित और केन्द्रित निर्णय होने में सहायता के लिए प्रबंधन रिपोर्टों और अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों वाली विस्तृत कार्यसूची अग्रिम रूप में सदस्यों के मध्य परिचालित कर दी जाती है। जहां किसी दस्तावेज को परिचालित करना व्यावहारिक न हो अथवा कार्य सूची गोपनीय प्रकृति की हो वहां उसे सीएमडी के अनुमोदन और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्तुत किया जाता है। विशेष और आपवादिक परिस्थितियों में सीएमडी की अनुमति और निदेशक मंडल/समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अधीन अतिरिक्त अथवा अनुपूरक कार्य सूची पर विचार किया जाता है।

C. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEDURES

I. Institutionalize decision making process

With a view to institutionalize all corporate affairs and set up systems and procedures for advance planning for matters requiring discussion/ decisions by the Board, your company has defined guidelines for the meetings of the Board of Directors and Committee thereof. These guidelines seek to systematize the decision making process at the meetings of Board/ Committees, in an informed and efficient manner. Company's guidelines relating to Board meetings are applicable to Committee Meetings as far as practicable.

II. Scheduling and selection of Agenda items for Board/Committee Meetings.

a. The meetings are convened by giving appropriate advance notice after obtaining approval of the Chairman of the Board/ Committee. To address the specific urgent need, meetings are also being called at a shorter notice. In case of exigencies or urgency, resolutions are passed in circulation.

b. Detailed agenda containing the management reports and other explanatory statements are circulated in advance amongst the members of the Board/Committee for facilitating meaningful, informed and focused decisions at the meetings. Where it is not practicable to circulate any document or the agenda is of confidential nature, the same is tabled with the approval of CMD and majority of members present in the meeting. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary agenda are being considered subject to the permission of CMD and majority of members present in the meeting of Board/ Committee.

- ग. बोर्ड के सदस्य कंपनी की सभी सूचना प्राप्त करने तथा चर्चा हेतु एजेंडा में किसी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए मुक्त है। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ प्रबंधन को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि बोर्ड में चर्चा किए जा रहे और/या प्रस्तुत की जा रही मदों के संबंध में अतिरिक्त सूचना आदान उपलब्ध करायी जा सके।
- घ. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड/समिति की बैठकें नामरूप में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गईं।
- ङ. संबंधित विभागों के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा कार्यसूची दस्तावेज तैयार किए जाते हैं जिन्हें कार्यात्मक निदेशकों और सीएमडी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कंपनी के सचिव द्वारा बोर्ड/समिति के सदस्यों में विधिवत अनुमोदित कार्यसूची दस्तावेज अग्रिम में परिचालित किए जाते हैं।
- च. कंपनी सचिव पिछली बोर्ड/समिति की बैठकों के निर्णयों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों से संबंधित विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है तथा बैठक की कार्यसूची में शामिल करने से पहले कार्यात्मक निदेशकों और सीएमडी के साथ परामर्श करके रिपोर्ट का समेकन करता है।
- छ. प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को निर्धारित समय के अंदर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सचिवालय मानक के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने के बाद, कंपनी के सचिव द्वारा बोर्ड/समिति के सभी सदस्यों को कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रति परिचालित की जाती है। बोर्ड/समिति के इन कार्यवृत्त को बोर्ड/समिति की अगली बैठकों में नोट किया जाता है।
- c. The members of the Board are entitled to access all the information of the company and are free to recommend inclusion of any matter in agenda for discussion. In case of need, the senior officials of the company are invited to attend the Board/Committee meetings to provide additional inputs relating to the items being discussed and / or giving presentation to the Board/Committee.
- d. During the year under review, all the meetings of Board/ Committee were held at the registered office of the company in Namrup.
- e. The agenda papers are prepared by the Sr. executives of concern departments, sponsored by the functional Directors and approved by the CMD. Duly approved agenda papers are circulated amongst the members of the Board/ Committee by the Company Secretary well in advance.
- f. Company Secretary follow up with the concern Department for the action taken reports based on the decisions of earlier Board/ Committee meetings and compiled the reports in consultation with Functional Directors and CMD before including in the agenda of the Board/ Committee meetings.
- g. Minutes of the proceedings of each Board/ Committee meeting are finalized as per the provisions of Secretarial Standard approved by the Central Government within stipulated time. After the finalisation of minutes by the chairman, certified copy of minutes are circulated to all the members of the Board/ Committee by the company secretary. These minutes of Board / Committee are noted in the next Board/ Committee meetings, respectively.

- ज. बोर्ड/समिति के निर्णयों का सार कंपनी सचिव द्वारा उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को परिचालित किया जाता है।
- झ. निदेशकों की प्रशिक्षण प्रणाली के संबंध में डीपीई द्वारा जारी नियमित अधिशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक प्रशिक्षित नीति अनुमोदित की है और कम से कम एक सरकारी निदेशक, एक गैर सरकारी निदेशक तथा एक कार्यात्मक निदेशक को प्रत्येक वर्ष संबंधित निदेशकों की सुविधा अनुसार ऐसे प्रशिक्षण, संगोष्ठी, सम्मेलन, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों में नामित करने का निर्णय लिया है।

III. दिशा-निर्देश

कार्यपालक प्रबंधन कानून, नियमों और दिशानिर्देशों आदि के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सभी लागू कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तिमाही सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट (सभी विभागों से एकत्रित) की बोर्ड द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

क. निरीक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 6 (छह) बैठकें आयोजित की गई थीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	दिनांक	हजेरा
86	8.06.2017	6
87	6.07.2017	4
88	28.08.2017	6
89	28.09.2017	4
90	18.12.2017	4
91	17.03.2018	4

- h. The extract of decisions of Board/ Committee are circulated by the Company Secretary to the HODs of concerned Departments for taking necessary actions thereon.
- i. As per the Corporate Governance Guidelines issued by DPE regarding training mechanism of Directors, Board of Directors has approved a Training Policy and undertake to nominate every year at least One Govt. Director, One non official Director and One Functional Director at the convenience of concerned Directors for such training, seminar, conference, conventions sponsored by the prestigious institutions.

III. COMPLIANCE OF LAWS

Executive management is responsible to ensure adherence to all the applicable provisions of laws, rules and guidelines, etc. A quarterly statutory compliance report (collected from all the departments) confirming adherence to all the applicable laws, rules, guidelines, etc. are being reviewed by the Board on quarterly basis.

D. BOARD MEETINGS

During the year under review, 6 (six) meetings of Board of Directors were held, details of which are as under :

Board Meeting No.	Date	No. of Directors attended
86	8.06.2017	6
87	6.07.2017	4
88	28.08.2017	6
89	28.09.2017	4
90	18.12.2017	4
91	17.03.2018	4

M कर्मचारी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल में पांच (05) निदेशक हैं जिनमें श्री एस.डी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक वित्त, श्री सत्य मोहन गुप्ता, सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग), श्री राकेश कुमार, सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग) और प्रोफेसर अलक कुमार बुरागोहेन, गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) शामिल हैं।

निदेशकों के गठन और श्रेणी, बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, कंपनी के प्रत्येक निदेशक के लिए अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशकों और सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है:

E. COMPOSITION OF BOARD

During the year under Review, there were Five (05) Directors on the Board of the Company, comprises Shri S.D. Singh, Chairman & Managing Director, Shri Sanjai Maheshwari, Director Finance, Shri Satya Mohan Gupta, Govt. Director (DOF), Shri Rakesh Kumar, Govt. Director (DOF) and Professor Alak Kumar Buragohain, Non Official Director (Independent).

The details of composition and category of Directors, attendance of each Director at the Board Meetings and the last AGM, directorship and membership in committees of other companies for each director of the company are given below.

नाम S/Shri	आवृत्ति Attendance particulars	विवरण Details of Directorship and committee members/ chairman
नाम S/Shri	आवृत्ति Attendance particulars	विवरण Details of Directorship and committee members/ chairman
श्री धर्म पाल, आईएएस (*) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) Shri Dharam Pal IAS (*) Chairman & Managing Director (Additional Charge)	4	हां YES
श्री एस.डी. सिंह (**) निदेशक (उत्पादन)/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S.D.Singh (**) Director (Production) /Chairman & Managing Director	6	हां Yes

श्री राजीव कुमार चंडोक (***) निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार Shri Rajiv Kumar Chandiock (***) Director (Finance) Additional charge	5	लागू नहीं NA	एनएफएल आरएफसीएल NFL RFCL	- सीएसआर समिति में सदस्य - Member in CSR Committee
श्री संजय माहेश्वरी (****) निदेशक (वित्त) Shri Sanjai Maheshwari(****) Director (Finance)	1	लागू नहीं NA	एफएसीटी FACT	- सीएसआर समिति में सदस्य - Member in CSR Committee
वाक्य 1 जल्द फुल Part Time Official Directors				
श्री सत्य मोहन गुप्ता, सरकारी निदेशक Shri Satya Mohan Gupta Govt. Director	2	No	शून्य Nil	- लेखा परीक्षा समिति में सदस्य - पारिश्रमिक समिति में सदस्य - Member of Audit Committee - Member in Remuneration Committee
श्री राकेश कुमार, सरकारी निदेशक Shri Rakesh Kumar Govt. Director	6	Yes	शून्य Nil	- लेखा परीक्षा समिति में सदस्य - पारिश्रमिक समिति में सदस्य - सीएसआर समिति में सदस्य - Member of Audit Committee - Member in Remuneration Committee - Member in CSR Committee
वाक्य 2 जल्द फुल Non Official Part Time Director				
प्रोफेसर अलक कुमार बुरागोहेन, तेजपुर विश्वविद्यालय Professor Alak Kumar Buragohain, Tezpur University	4	नहीं No	शून्य Nil	- लेखा परीक्षा समिति में अध्यक्ष - पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष - सीएसआर समिति में अध्यक्ष - Chairman of Audit Committee - Chairman of Remuneration Committee - Chairman of CSR Committee

(*) 29.09.2017 तक सीएमडी, बीवीएफसीएल का अतिरिक्त प्रभार धारित।

(**) 28.09.2017 तक निदेशक (उत्पादन) का नियमित पद पर रहे। दिनांक 29.09.2017 से सीएमडी, बीवीएफसीएल के नियमित पद पर रहे और 29.09.2017 से 11.09.2018 तक निदेशक (उत्पादन), बीवीएफसीएल के पद का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया।

(***) 28.02.2018 तक निदेशक (वित्त), बीवीएफसीएल का अतिरिक्त प्रभार धारित।

(****) 01.03.2018 से निदेशक (वित्त), बीवीएफसीएल के नियमित पद ग्रहण किया।

(*) Hold additional charge of CMD, BVFCL upto 29.09.2017

(**) Hold the regular post of Director (Production) upto 28.09.2017. from 29.09.2017 hold the regular post of CMD, BVFCL and also hold additional charge of the post of Director (Production), BVFCL from 29-09-2017 to 11.09.2018.

(***) Hold additional charge of Director (Finance), BVFCL upto 28.02.2018

(****) Holding regular post of Director (Finance), BVFCL from 1.03.2018

कंपनी का कोई निदेशक उन सभी कम्पनियों में, जिसका वह निदेशक है, 10 (दस) से अधिक समितियों में सदस्य या 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

No Director of the company is a member in more than 10 (ten) committee or is a Chairman of more than five (5) committees across all companies in which he is a Director.

p- vlpj.k l fgrk

ब्राह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बाद लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालक के लिए आचरण संहिता नियमावली निर्धारित की है। कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.bvfcl.com पर आचरण संहिता भी प्रदर्शित की गई है।

आचरण संहिता का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक घोषणा वृत्त में दी गई है।

N- funskd e. My ds l e{ k j [k h t kus okyh l puk

कार्यपालक प्रबंधन, निदेशक मण्डल के समक्ष निम्नलिखित सूचनाएं या तो कार्यसूची पत्र के भाग के रूप में रखेगा या बोर्ड की बैठक के दौरान प्रस्तुत करेगा:

- वार्षिक प्रचालन योजना और बजट तथा अन्य अद्यतन स्थिति।
- पूंजी बजट और कोई अद्यतन स्थिति।
- कंपनी और इसके प्रचालन प्रभागों या कारोबार के हिस्से का तिमाही परिणाम।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक सहित मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या निष्कासन की सूचना।

F. CODE OF CONDUCT

As per the guidelines on Corporate Governance released by Department of Public Enterprises, after approval of the Board of Directors of BVFCL, the Company has laid down its Code of Conduct Rules for the Board Members and Senior Management Executives. The Code of Conduct is also posted on the website of the Corporation, www.bvfcl.com.

The Compliance of the Code of Conduct has been affirmed on the basis of confirmation received from all the Board members and senior management executives for the financial year 2017-18. A declaration to this effect, duly signed by the Chairman and Managing Director is placed at **Annexure -II (A)**.

G. INFORMATION PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

Executive Management shall present following information before the Board of Directors, either as part of the agenda papers or are tabled/ presented during the course of Board meeting :

- Annual operating plans and budgets and any updates.
- Capital budgets and any updates.
- Quarterly results for the company and its operating divisions or business segments.
- Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board.
- The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the board level, including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.

- कारण बताओ, मांग, मुकदमा चलाए जाने की सूचनाएं और दण्ड की सूचनाएं, जो वस्तुतः महत्वपूर्ण हों।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई द्रव्यात्मक बहिस्त्राव या पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं।
- कंपनी के लिए या कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई सामग्री चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल का पर्याप्त भुगतान नहीं होना।
- ऐसा कोई मामला, जिसमें भौतिक प्रकृति के संभावित जनता या उत्पाद दायित्व के दावे शामिल हों, किसी निर्णय या आदेश सहित जिसमें कंपनी के आचरण पर निर्देश दिया गया हो या दूसरे उद्यम के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया हो जिस पर कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हो।
- किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण।
- ऐसा लेन-देन जिसमें साख, ब्राण्ड इक्विटी या बौद्धिक सम्पदा के लिए पर्याप्त भुगतान किया गया हो।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनका प्रस्तावित समाधान, मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे, वेतन समझौता पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना आदि।
- निवेश की अनुशंगी परिसम्पत्तियों के वस्तुगत प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य कारोबार का हिस्सा नहीं होता।
- विदेशी मुद्रा विनिमय के खुलासा का तिमाही विवरण और मुद्रा विनिमय दर के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण हों।
- किसी भी विनियामक, संवैधानिक या सूचीबद्ध आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवाएं जैसे लाभांश का भुगतान नहीं होना, शेयर हस्तांतरण में विलम्ब, आदि का अनुपालन न होना।
- Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- Any material default in financial obligations to and by the company or substantial non-payment for goods sold by the company.
- Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which may have passed strictures on the conduct of the company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the company.
- Details of any joint venture or collaboration agreement.
- Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- Sale of material nature of investments, subsidiaries, assets, which is not in normal course of business.
- Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- Non-compliance of any regulatory, statutory requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

2- यल्लक इजल्लक ल फेर%

1. xBu vll l llWu

वर्तमान में, लेखा परीक्षा समिति में चार सदस्य नामतः प्रोफेसर अलक कुमार बुरागोहेन, गैर सरकारी निदेशक, श्री एस.डी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक

2. AUDIT COMMITTEE:

1. Constitution and Composition

Presently Audit Committee comprises four members i.e. Professor Alak Kumar Buragohain, Non Official Director, Shri S.D.Singh, CMD & Director

(उत्पादन), श्री सत्य मोहन गुप्ता, सरकारी निदेशक और श्री राकेश कुमार, सरकारी निदेशक शामिल हैं। प्रोफेसर अलक कुमार बुरागोहेन, गैर सरकारी निदेशक ने लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता की।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति ने बैठकों में निम्नलिखित कार्यों की समीक्षा की है:

- i) कच्ची सामग्रियां, मध्यवर्ती, तैयार उत्पाद तथा पैकिंग सामग्रियों के भौतिक सत्यापन की तिमाही रिपोर्टें;
- ii) तिमाही आंतरिक लेखा परीक्षा (तकनीकी) रिपोर्ट;
- iii) समीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट;
- iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पूर्व कंपनी की वार्षिक लेखा परीक्षा की समीक्षा;
- v) सांविधिक लेखा परीक्षाओं की लेखा परीक्षा टिप्पणियों की समीक्षा तथा उस पर प्रबंधन का उत्तर;
- vi) सीएण्डएजी की समीक्षा टिप्पणियां;
- vii) सांविधिक लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक की समीक्षा;
- viii) लेखा परीक्षा समिति की पिछली बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा;
- ix) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
- x) कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय विवरणों का समीक्षा प्रमाणन/घोषणा।

कॉर्पोरेशन के निदेशक मण्डल ने 06.06.2003 को आयोजित अपनी 12वीं वार्षिक बैठक में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया था। लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों को गठन के समय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा उसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेशन गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुरूप 03.06.2011 को आयोजित

(Production), Shri Satya Mohan Gupta, Govt. Director and Shri Rakesh Kumar, Govt. Director. Professor Alak Kumar Buragohain, Non Official Director chaired the Audit Committee meetings.

During the year under review, Audit Committee has reviewed the followings business in the meetings:

- i) Quarterly reports of physical verification of Raw Materials, Intermediate, Finished product and Packing materials ;
- ii) Quarterly Internal Audit (Technical) Reports;
- iii) Review Internal Audit Reports
- iv) Review of Annual Accounts of the Company before approval by the Board;
- v) Review of Audit observations of Statutory Auditors and management replies thereon;
- vi) Review comments of C & AG ;
- vii) Review remuneration of Statutory Auditors;
- viii) Review of action taken reports on the decisions of earlier Audit Committee meetings.
- ix) Management Discussions and Analysis Report
- x) Review Certification/declaration of financial statements by the Chairman and Managing Director and Director (Finance) of the Company.

Board of Directors of the Corporation has constituted Audit Committee initially in their 12th meeting held on 6.06.2003. The terms of reference of the Audit Committee has been approved by the Board at the time of constitution and modified in 57th meeting of Board of Directors held on 3.06.2011 in line

निदेशक मण्डल की 57वीं बैठक में संशोधित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार आगे संशोधन 10.04.2016 को आयोजित 76वीं बैठक (आस्थगित) में किया गया था।

with the guidelines of corporate governance issued by the Department of Public Enterprises (DPE) and Further modified in 76th (Adjourned) meeting held on 10.04.2016 in line with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013.

II. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:

II. TERMS OF REFERENCE FOR AUDIT COMMITTEE OF BVFCL

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:

The following are terms of reference of Audit Committee :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना, इसकी वित्तीय सूचनाओं का खुलासा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
2. बोर्ड को लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण की सिफारिश करना;
3. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रदत्त अन्य किसी सेवा के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन करना।
4. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले, तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में समीक्षा की जाती है:
 - क. निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामलों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 (5) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा;
 - ख. लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, तथा उसके कारण;
 - ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर शामिल अनुमान की मुख्य लेखांकन प्राविष्टियां;
 - घ. लेखा परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - ड. वित्तीय विवरणों के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं सहित अनुपालन;

1. Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
2. Recommending to the Board the fixation of audit fees.
3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
4. Reviewing with the management quarterly, half yearly and the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - a. Matters required to be included in the Directors Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of section 144 (5) of the Companies Act, 2013;
 - b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - e. Compliance with legal requirements relating to financial statements;

- | | |
|---|--|
| च. किसी संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा करना; और | f. Disclosure of any related party transactions; and |
| छ. लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में अर्हकता; | g. Qualifications in the draft audit report. |
| ज. कंपनी के भविष्य में बने रहने का अनुमान; | h. The going concern assumption. |
| झ. लेखांकन मानक के साथ अनुपालन | i. Compliance with Accounting Standard. |
| ञ. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना। | j. Reviewing the company's financial and risk management policies. |
| ट. आईसीएआई के लेखांकन मानक का अनुपालन | k. Compliance of Accounting Standard of ICAI |
5. आंतरिक लेखा-परीक्षकों के प्रबंधन निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा।
 5. Reviewing with the management performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.
 6. आंतरिक लेखा परीक्षा की कार्यप्रणाली की पर्याप्तता सहित आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के गठन, स्टाफिंग और विभागाध्यक्षों की वरीयता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की बारंबारता की समीक्षा करना।
 6. Reviewing the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
 7. आंतरिक लेखा-परीक्षकों और/या लेखा-परीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उसका पालन करना।
 7. Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up there on.
 8. ऐसे मामलों, जहां संदिग्ध हेराफेरी या अनियमितता या महत्वपूर्ण प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली असफल हो जाए, वहाँ आंतरिक लेखा-परीक्षकों/लेखा-परीक्षकों/ एजेंसियों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों की समीक्षा कर मामले को बोर्ड को सूचित करना।
 8. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/ auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
 9. लेखा परीक्षा प्रारंभ करने से पहले सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और संभावना पर चर्चा तथा किसी समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा उपरांत चर्चा।
 9. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
 10. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के गैर-भुगतान के मामले में) तथा ऋणदाताओं को भुगतान में हुई पर्याप्त चूक के कारणों पर विचार करना।
 10. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of nonpayment of declared dividends) and creditors.

- | | |
|--|--|
| <p>11. भ्रष्टाचार को उजागर करने की प्रणाली के कार्यों की समीक्षा करना।</p> <p>12. सीएण्डएजी लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।</p> <p>13. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संसदीय समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए समीक्षा करना।</p> <p>14. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक तथा निदेशक मण्डल के बीच संचार के खुले अवसर उपलब्ध कराना।</p> <p>15. कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा समिति किसी सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी विशिष्ट वर्ष में किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण को विभिन्न शेयरधारकों के खुलासे के लिए उस वर्ष की बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।</p> <p>Li "Vhdj. l% ^l af/kr i kVhZ ysnsu^ शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 में निहित अनुसार समान अर्थ होगा।</p> <p>16. कवरेज को पूरा करने, अनावश्यक प्रयासों में कमी लाने, और सभी लेखा-परीक्षकों के संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए लेखा-परीक्षक प्रयासों का समन्वय करने हेतु स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के साथ समीक्षा करना।</p> <p>17. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्नलिखित की समीक्षा करने पर विचार करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> - कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और - आंतरिक लेखा-परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक सहित निम्नलिखित निष्कर्षों और | <p>11. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.</p> <p>12. To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.</p> <p>13. To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.</p> <p>14. Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.</p> <p>15. Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions. A statement in the prescribed format giving details about all related party transactions taken place in a particular year should be included in the Board's report for that year for disclosure to various stakeholders.</p> <p>Explanation: The term “related party transactions” shall have the same meaning as contained in the Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.</p> <p>16. Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.</p> <p>17. Consider and review the following with the independent auditor and the management:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and - Related findings and recommendations of the independent auditor and internal |
|--|--|

सिफारिशों के साथ प्रबंधन के उत्तर और उन पर विचार एवं समीक्षा करना;

auditor, together with the management responses.

18. आंतरिक लेखा परिक्षक, स्वतंत्र लेखा-परीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार एवं समीक्षा करना :

18. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor :

- पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षों का पता लगाना।
- कार्यकलापों के दायरे पर कोई प्रतिबंध लगाने या अपेक्षित सूचना तक पहुंच बनाने के दौरान सामने आई कोई कठिनाइयां।

- Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
- Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.

Li "Vhdj. % यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुशरण में कोई लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है तो उक्त लेखा परीक्षा समिति को इन निर्देशों में निहित अनुसार ऐसे अतिरिक्त कार्यों/विशेषताएं होंगी।

Explanation: If the company has set up an Audit Committee pursuant to provision of the Companies Act, the said Audit Committee shall have such additional functions/features as contained in these guidelines.

19. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लिखित अनुसार अन्य कोई कार्य करना।

19. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

20. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करना।

20. Reviewing the company's financial and risk management policies.

21. कंपनी की वचनबद्धता या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां-कहीं आवश्यक हो।

21. Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary.

22. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का मूल्यांकन

22. Evaluation of internal financial controls

23. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच

23. Scrutiny of inter-corporate loans and investments.

24. संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन या बाद में किसी आशोधन का अनुमोदन।

24. Approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties.

III. ys[k i jh[k l fefr dh 'kDr; ka

III. POWERS OF AUDIT COMMITTEE

अपनी भूमिका के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा अधिकार प्राप्त लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये गये हैं:

Commensurate with its role, the Audit Committee empowered by the Board of Directors the following:

(i) अपने विचारार्थ विषय में किसी कार्यकलाप की जांच करना।

(i) To investigate any activity within its terms of reference.

- (ii) किसी कर्मचारी से सूचना प्राप्त करना तथा कंपनी के अभिलेखों में निहित सूचना का जायज़ा लेना।
- (iii) निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अधीन बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
- (iv) बाहरी व्यक्तियों से संगत विशेषज्ञता प्राप्त करना, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए।
- (v) पिछले कार्यालय का स्वतंत्र समर्थन तथा कंपनी से अन्य स्रोत।
- (vi) भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा देना।

IV. यशक i j h k l f e f r d h c B d e a h k x y u s d h l q ; k

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पांच (5) बैठकें आयोजित की गईं।

Ø- l a	fun s k d e a k u k e	y s k i j h k l f e f r c B d e a h k x y u s d h l q ; k
1	श्री धर्म पाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1
2	श्री एस.डी. सिंह, निदेशक (उत्पादन) / सीएमडी	5
3	श्री राकेश कुमार, सरकारी निदेशक	4
4	श्री सत्य मोहन गुप्ता, सरकारी निदेशक	2
5	प्रोफेसर अलक कुमार बुरगोहैन, गैर सरकारी निदेशक	4

V. d a u h d k d a u h l f p o y s k i j h k l f e f r d s l f p o d s : i e a d k Z d j r k g A

3- fun s k d e a k d k Z l k y

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा साठ वर्ष है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक

- (ii) To seek information on and from any employee and assess to information contained in the records of the Company.
- (iii) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors.
- (iv) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.
- (v) To have independent back office support and other resources from the company.
- (vi) To protect whistle blowers.

IV. ATTENDANCE OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS

During the year under review, Five (5) Audit Committee Meetings were held.

S.No.	Name of the Directors	No. of Audit Committee Meeting attended.
1	Shri Dharam Pal, CMD (additional charge)	1
2	Shri S.D.Singh, Director (Production) /CMD	5
3	Shri Rakesh Kumar, Govt. Director	4
4	Shri Satya Mohan Gupta, Govt. Director	2
5	Professor Alak Kumar Buragohain, Non Official Director	4

V. Company Secretary of the Company acts as the Secretary to the Audit Committee.

3. Tenure of Directors

The age limit of Chairman & Managing Director and other Whole Time Functional Directors is sixty years. The Chairman and Managing Director and the

कार्यात्मक निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उर्वरक विभाग के माध्यम से उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की तारीख तक या भारत सरकार से अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है। उर्वरक विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी निदेशक उर्वरक विभाग के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को एक बार में तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

4- फंक्शनल डायरेक्टर्स

आपकी कंपनी पूर्णतया स्वामित्व वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है। इस प्रकार, नियुक्त कार्यात्मक निदेशक वेतनमानों के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) पैटर्न के अंतर्गत तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी (सरकारी नामिति) निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। वे सरकारी कर्मचारियों के रूप में उर्वरक विभाग से नियमित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। कॉर्पोरेशन के निदेशक मण्डल के अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक बोर्ड और/या उनकी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 10,000/- रुपए का उपस्थिति शुल्क का भुगतान पाने के पात्र होते हैं और उन्हें वास्तविक यात्रा व्यय, आवास, भोजन सुविधा तथा कंपनी के व्यवसाय से संबंधित अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

कॉर्पोरेशन कार्य मंत्रालय (एमसीए) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेशन ने समय-समय पर निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का गठन / पुनर्गठन किया है।

Whole Time Functional Directors of the Company are appointed by the President of India through the Department of Fertilizers for a period of five years from the date of taking charge or till the date of superannuation or till further instructions from the Government of India, whichever event occurs earlier. The Government Directors representing the Department of Fertilizers, Government of India, retires from the Board on ceasing to be officials of the Department of Fertilizers. Independent Directors are appointed by the Government of India for a tenure of three years at a time.

4. Remuneration of Directors

Your company is a wholly owned Central Public Sector Undertaking and being the Government Company under the provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under, the Functional Directors of the Company are appointed /nominated by President of India through the Ministry of Chemicals and Fertilizers. The Functional Directors so appointed, draw remuneration under Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern of pay scales and as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time. The part-time official (Government Nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Company. They only draw regular remuneration from the Department of Fertilizers as Government officials. The Part Time Non Official Directors (Independent) on the Board of the Company entitled for the payment of sitting fee of Rs. 10,000/- for each meeting of the Board and/or Committee and reimbursement of actual travelling, boarding, lodging and other expenses incurred in connection with the business of the Corporation.

In compliance with the conditions of guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Department of Public enterprises (DPE), Corporation has constituted/re-constituted remuneration

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पारिश्रमिक समिति में चार सदस्य नामतः प्रोफेसर अलक कुमार बुरागोहेन, गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष), श्री एस.डी. सिंह, निदेशक (उत्पादन)/सीएमडी, श्री सत्य मोहन गुप्ता, सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग) और श्री राकेश कुमार, सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग) वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन पूल और कार्यपालक और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों में उनके वितरण संबंधी नीति पर निर्णय लेते हैं। आपकी कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक समिति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किसी पारिश्रमिक की समीक्षा नहीं की है, अतः इन परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किसी पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकी थी।

5- दलित व निरक्षरों के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने 28.08.2017 को आयोजित 88वीं बैठक में सीएसआर समिति गठित की है। इसके बाद, सीएसआर समिति को समय-समय पर पुनः गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सीएसआर समिति में चार सदस्य शामिल हैं अर्थात् प्रोफेसर अलक कुमार बुरागोहेन, गैर सरकारी निदेशक (अध्यक्ष), श्री एस.डी. सिंह, निदेशक (उत्पादन)/सीएमडी, श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त) और श्री राकेश कुमार, सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग)। उपर्युक्त समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति बनाना और उसकी बोर्ड को सिफारिश करना जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाया जाएगा;
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; तथा
- (ग) समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक

committee of Directors from time to time. During the period under review, Remuneration Committee comprises four members i.e. Professor Alak Kumar Buragohain, Non Official Director (Chairman), Shri S.D.Singh, Director (Production)/CMD, Shri Satya Mohan Gupta, Govt. Director (DOF) and Shri Rakesh Kumar, Govt. Director (DOF) to decide the Annual Bonus, Variable pay pool and policy for its distribution across the executive and non- unionized supervisors. Your company has not reviewed any remuneration as per the terms of reference of Remuneration Committee approved by the Board, under the circumstances, no remuneration committee meeting could be convened during the financial year 2017-18.

5. Corporate Social Responsibility Committee

In compliance with the provisions of section 135 (1) of the Companies Act, 2013 and rules made there under, the Board of Directors of the company have constituted a CSR Committee in their 88th meeting held on 28.08.2017. Thereafter, CSR Committee have been re-constituted from time to time. During the period under review, CSR Committee comprises of four members i.e. Professor Alak Kumar Buragohain, Non official Director (Chairman), Shri S.D.Singh, Director (Production)/CMD, Shri Sanjai Maheshawari, Director (Finance) and Shri Rakesh Kumar, Govt. Director (DOF). The terms of reference of above committee shall, inter-alia, include the following:

- (a) To formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company as specified in Schedule VII;
- (b) To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (a); and
- (c) To monitor the Corporate Social Responsibility

उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना;

- (घ) सीएसआर समिति के रूप में अन्य कोई मामला, जिसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद उचित समझा जा सकता है या समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

उपर्युक्त समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी और कोरम इसकी कुल संख्या का एक-तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा। कंपनी का कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।”

18 दिसंबर, 2017 को आयोजित बोर्ड की 90वीं बैठक में, सीएसआर की एक संचालन समिति गठित की गई है, जिसमें बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों अर्थात् महाप्रबंधक (विपणन), उप महाप्रबंधक (वित्त) और उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) शामिल हैं। उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) उपर्युक्त समिति का संयोजक होगा। उपर्युक्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:

- क) बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की सिफारिशों के लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार और प्रस्तुत करना, जिसमें कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाया जाएगा;
- ख) कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का समय-समय पर निष्पादन, कार्यान्वयन और निगरानी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना;
- ग) प्रचालनात्मक सीएसआर समिति के रूप में अन्य कोई मामला, जो बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति/निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद उचित समझा जा सकता है या समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति से नीचे के स्तर की कोई बैठक नहीं हुई।

Policy of the company from time to time;

- (d) Any other matter as the CSR Committee may deem appropriate after approval of the Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

The above Committee shall meet at least once in a financial year and the quorum shall be one-third of its total strength or two members, whichever is higher. The Company Secretary of the company acts as Secretary of the CSR Committee.”

In 90th Board meeting held on 18th December, 2017, an operation committee of CSR has been constituted by the Board comprising the below board level executives of the company i.e. GM (Marketing), DGM (Finance) and DGM (HR) . DGM (HR) shall be the convener of the above committee. The terms of reference of above committee shall be as under :

- a) To formulate and place a Corporate Social Responsibility Policy for the recommendations of Board level CSR Committee, which shall indicate the activities to be undertaken by the company ;
- b) To take necessary action towards execution, implementation and monitoring the Corporate Social Responsibility Policy of the Company from time to time;
- c) Any other matter as the Operational CSR Committee may deemed appropriate after approval of the Board level CSR Committee/ Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

During the financial year 2017-18, no meeting of Board level and below Board level CSR Committee were held.

6- l fpoky; ysfkk ijhkk fjiWZ

कॉर्पोरेशन कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी स्वैच्छिक कॉर्पोरेशन शासन दिशानिर्देशों की शर्त V के अनुपालन में मैसर्स अमित पारीक एंड एसोसिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के **Annexure- II (B) (D)** में संलग्न है।

7- dkkV 'kk u fn'WfunZkaij vuqkyu iek&i =

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में मैसर्स अमित पारीक एंड एसोसिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है और यह निदेशक की रिपोर्ट के **Annexure- II (B) (D)** में संलग्न है और अनुपालन प्रमाण-पत्र में उल्लिखित टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के **Annexure- II (B) (D)** में संलग्न हैं।

8- l lbZ/k@l h Qvks çek ku

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित अधिशासन पर दिशानिर्देशों के खंड सं. 4.5 (vi) के अनुपालन में, कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर वार्षिक प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-II (ड.) में संलग्न किया गया है।

9- Qgh y Gykwj ulfr

आपकी कंपनी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी कंपनी होने के नाते मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अधीन है। इसलिए सीसीवी दिशानिर्देशों

6 Secretarial Audit report

Secretarial Audit Report have been obtained from M/s. Amit Pareek & Associates, Practicing Company Secretary, Guwahati regarding compliance of the conditions V of Voluntary Corporate Governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the management replies on the observations stated in the report are enclosed at **Annexure- II (B) (D)** to the Directors' Report.

7 Compliance Certificate on Corporate Governance guidelines

Compliance Certificate have been obtained from M/s. Amit Pareek & Associates, Practicing Company Secretary, Guwahati regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) is enclosed at **Annexure- II (C)** to the Directors' Report and the management replies to the observations stated in the Compliance Certificate is enclosed at **Annexure- II (D)** to the Directors' Report.

8. CEO /CFO Certification

In compliance of clause no. 4.5 (vi) of the guidelines on corporate governance for CPSEs, 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Chairman & Managing Director and Director (Finance) of the Company give annual certificate on financial reporting and internal controls to the Board of Directors of the Company. The certificate given by the Chairman & Managing Director and Director (Finance) is enclosed at Annexure-II (E) to the Directors' Report.

9 WHISTLE BLOWER POLICY

Your company being a Government Company under the administrative control by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers

के अनुसार सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए कंपनी में एक प्रणाली स्थापित की गई है कि वे मुख्य सर्तकता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में सीधे तौर पर रिपोर्ट करें। निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को किसी कर्मचारी से मिलने के लिए नहीं रोका जाता है।

10- i dVu%

- कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधियों के साथ कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है (निदेशकों द्वारा उद्घाटन व्यक्तिगत रूप से कंपनी अधिनियम की धारा 184 के अनुसरण में किया गया है) जिनका कंपनी में संभावित हित है, जिसे बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में नोट किया गया था। संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन को नोट सं. 2.26 में दर्शाया गया है जो संबंधित पार्टी लेनदेन पर लेखांकन मानक-18 के अनुसार वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है)
- कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमों के अंतर्गत गैर-अनुपालन के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर दण्ड नहीं लगाया गया है।
- कंपनी ने वर्ष 2010 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए हैं।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- बही खातों में व्यय संबंधी ऐसी कोई मद नहीं डाली गई है जो व्यवसाय के प्रयोजन के लिए न हो।
- ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया है जिसकी प्रकृति व्यक्तिगत हो और निदेशक मण्डल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च की गई हो।
- वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारण निम्नानुसार हैं:

is covered under Central Vigilance Commission (CVC). Therefore, as per CVC guidelines, a mechanism has been established in the Company for all its stakeholders to report about any unethical/corruptible behavior, actual or suspected fraud to the CVC or the Chairman and Managing Director directly. No employee has been denied access to the Chairman of the Audit Committee of the BVFCL Board.

10. DISCLOSURES :

- The Company has not entered into any related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 184 of Companies Act) having potential interest with the Company at large, which were noted by the Board in its meeting. Transactions with related parties are disclosed in Note No. 2.26 forming part of the Annual Accounts, in line with the Accounting Standard -18 on Related Party Transactions.
- The Company has not been imposed penalty by any statutory authority owing to non-compliance under laws, during the last three years.
- The Company has taken adequate steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), 2010.
- The Company has complied with the Presidential directive received during the financial year 2017-18.
- No items of expenditure debited in the books of accounts, which are not for the purpose of the business.
- No expenditure incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and top Management.
- Details of Administrative and Office expenses as a percentage of total expenses vis – a vis financial expenses and reasons for increase are as under :

	2017-18		2016-17		
	कुल व्यय का प्रतिशत	प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत	विवरण
प्रशासनिक (*)	1.77	शून्य	1.25	शून्य	
कार्यालय व्यय	0.03	शून्य	0.03	शून्य	

(*) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल व्यय में कमी के कारण कुल व्यय के प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत बढ़ गया।

	2017-18		2016-17		
	% of Total Exp.	% of Total Finance Exp. (Int.)	% of Total Exp.	% of Total Finance Exp. (Int.)	Remarks
Administrative (*)	1.77	Nil	1.25	Nil	
Office Exp.	0.03	Nil	0.03	Nil	

(*) Percentage of Administrative expenses of total expenses increased due to decreased in total expenses during F.Y. 2017-18.

ANNEXURE-IV, FORMING PART OF DIRECTORS' REPORT

QkeZl a , et hWh&9

Form No. MGT-9

31 ekpZ 2018 dks l ekr foYkr o"Zds vuq kj
ok"Zd foqj.k dk l kj

Extract of Annual Return as on the Financial Year ended 31st March, 2018

[dā uh vf/ku; e] 2013 dh /kjk 92³/₄r Fk dā uh
¹/₄zaku v¹/₅ izkkl u¹/₂fu; e] 2014 dsfu; e
 12¹/₄ds vud j. k ed

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

l. i a h d j . k r F k k v U , f o o j . k %

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	U24123AS2002G0I006786
ii)	पंजीकरण की तारीख	5 अप्रैल, 2002
iii)	कंपनी का नाम	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/ उप-श्रेणी	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी – भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में।
v)	पंजीकृत कार्यालय और संपर्क ब्यौरा का पता	नामरूप, डाकघर: पर्वतपुर, जिला: डिब्रूगढ़, असम दूरभाष: 0374-2500618, फ़ैक्स: 0374-2500317, 2502777 ई-मेल: info@bvfc.co.in; वेबसाइट: www.bvfc.com
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है (हां/नहीं)	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा	नहीं

i)	Corporate Identification Number (CIN)	U24123AS2002GOI006786
ii)	Date of Registration	5 th April, 2002
iii)	Name of the Company	Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Private Limited Company – wholly owned by Govt. of India.
v)	Address of the Registered office and contact details	Namrup, P.O.: Parbatpur, Dist. : Dibrugarh, Assam Tel: 0374-2500618, Fax: 0374-2500317, 2502777 E-mail: info@bvfc.co.in ; Website: www.bvfc.co.in
vi)	Whether listed company Yes / No	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	No

II. dā uh dk iz/ku Ō ol k; dk Zlyki

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Ø- l a	eq; mRi nk@ l skvkdk ule vls fooj.k	mRi nk@l sk clk, uvkz h dkM	dáuh ds dý dkjkdj dk %
	यरिया	31021000	100 %

Sl.No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
	Urea	31021000	100 %

iii. /kɪd l gk d rFlk l æ) dāfu; kɔdk
fooj.k

शून्य

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Nil

IV. गैर वित्तिय बंधन के स्तर :

100 इक्विटी शेयर, जो उर्वरक विभाग के आठ (08) अधिकारियों में विभाजित हैं, को छोड़कर कॉर्पोरेशन की संपूर्ण शेयरधारिता भारत के राष्ट्रपति की है।

V. ऋण

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सुरक्षित ऋण और जमा राशि का लाभ नहीं लिया है। तथापि, 31.03.2018 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल बकाया असुरक्षित ऋण 57275.00 लाख रुपए है।

VI. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकों, कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सरकारी कंपनी) है और कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों, दोनों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा उन्हें उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।

VII. अपराधों के दण्ड/सजा/जबती

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपराध के कारण कोई दण्ड/सजा/जबती नहीं हुई है।

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

Entire shareholding of the Corporation is with the President of India except 100 equity shares only, which are spread among eight (08) officials of Department of Fertilizers.

V. INDEBTEDNESS

The Company has not availed any secured loan and Deposit during the year. However, total outstanding unsecured loan sanctioned by the Govt. of India as on 31.03.2018 is Rs. 57275.00 Lacs.

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

BVFC is a Central Public Sector Undertaking (Government Company) and the appointment of Directors both Executive and Non-Executive are made by the President of India and are being paid remuneration as per the terms of their appointment.

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES

There were no penalties/punishment/compounding of offences for the financial year ended 31st March, 2018.

अनुसूची-१ (अ) निदेशकों के प्रति

व्यवहार और निदेशकों के प्रति

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के दिशानिर्देशों के खण्ड 3.4.2 के अनुपालन में बोर्ड ने कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए आचार-संहिता का अनुमोदन किया है जिसे कंपनी के वेबसाइट www.bvfcl.com पर प्रदर्शित किया गया है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालक एतद्वारा उपर्युक्त आचार-संहिता के अनुपालन का समर्थन करते हैं।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

g-@&
1/4 l - Mh fl g 1/2
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 27 सितंबर, 2018
स्थान : नामरूप

ANNEXURE –II (A) TO DIRECTORS' REPORT

DECLARATION OF COMPLIANCE OF CODE OF CONDUCT

In compliance with the clause 3.4.2 of guidelines of Corporate Governance for CPSUs issued by the Department of Public Enterprises, Board has approved the Code of Conduct Rules for all members of Board of Directors and Senior Management of the company, which has been posted on company's website www.bvfcl.com.

All the members of Board of Directors and the Senior Management Executives do hereby affirms the compliance with the above Code of Conduct Rules.

For and on behalf of Board of Directors of
Brahmaputra Valley Fertilizer Corpn. Ltd.

Sd/-
S.D. Singh
Chairman and Managing Director

Date : 27th September, 2018
Place : Namrup



अनुसूची II के तहत

लेखा, वित्त

लेखा, वित्त

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और
कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014
के नियम सं. 9 के अनुसरण में

लेखा

सदस्य,

ब्राह्मपुत्र घाटी उर्वरक लिमिटेड

CIN: U24123AS2002601006786

डाकघर: पर्वतपुर, नामरूप, जिला: डिब्रूगढ़ (असम)-786 623

हमने विद्यमान सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालय
लेखा परीक्षा की है और ब्राह्मपुत्र घाटी उर्वरक लिमिटेड
लेखा परीक्षा (इसके बाद से कंपनी के रूप में
उल्लेख किया गया है) द्वारा उत्कृष्ट कार्पोरेट पद्धति का
अनुपालन किया गया है। सचिवालय लेखा परीक्षा इस तरह
से की गई थी कि इसने हमें कार्पोरेट आचरण/सांविधिक
अनुपालन मूल्यांकन करने और उस पर हमारा मत व्यक्त
करने का उचित आधार दिया है।

लेखा परीक्षा

क. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन
की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा
के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त
करना है।

ख. हमने लेखापरीक्षा अभिलेखों और प्रक्रियाओं का पालन
किया है जो कि सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की
सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के
लिए उपयुक्त थे। हमारा मानना है कि हमने जिन
प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी
राय को तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।

ग. हमने कंपनी के वित्तीय विवरण के सही होने और
उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

ANNEXURE-II (B) TO DIRECTORS' REPORT

FORM MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and
Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration
Personnel) Rules, 2014

To,

The Members,

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

CIN: U24123AS2002601006786

P.O.: Parbatpur, Namrup, Dist: Dibrugarh (Assam)-786623

We have conducted the secretarial audit of the compliance
of applicable statutory provisions and the adherence to
good corporate practices by **BRAHMAPUTRA VALLEY
FERTILIZER CORPORATION LIMITED** (hereinafter called
the company). Secretarial Audit was conducted in a
manner that provided us a reasonable basis for evaluating
the corporate conducts/statutory compliances and
expressing our opinion thereon.

We report that:-

a. Maintenance of Secretarial records is the
responsibility of the management of the Company.
Our responsibility is to express an opinion on these
secretarial records based on our Audit.

b. We have followed the Audit practices and processes
as were appropriate to obtain reasonable assurance
about the correctness of the contents of the
secretarial records. We believe that the processes
and practices, we followed provide a reasonable
basis for our opinion.

c. We have not verified the correctness and
appropriateness of the financial statement of the
Company.

घ. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच केवल प्रायोगिक आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक ही सीमित थी।

ड. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए कोई आश्वासन है जिस से कम्पनी प्रबंधन ने कार्यों का संचालन किया है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कंपनी द्वारा रखे गए बही-खाते, कागजात, लघु बही-खाते, प्रपत्र और दायर विवरणियां तथा अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन तथा इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालय की लेखा परीक्षा करने के दौरान दी गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने 31 एप्रिल 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखा परीक्षा अवधि के दौरान इसमें शामिल सांविधिक प्रावधानों की सूची का समेकन किया है तथा यह कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली है जो यहां आगे की गई रिपोर्ट के अधीन है:

हमने 31 एप्रिल 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रखे गए बही खातों, कागजातों, लघु बही-खातों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) अन्य कानून, जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं।

हमने निम्नलिखित से संबंधित लागू खण्डों के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

- क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- ख) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन स्वैच्छिक दिशा-निर्देश, 2009;

d. The compliance of the provisions of the Corporate and other applicable Laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the management. Our examination was limited to the verifications of procedures on test basis.

e. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st day of March, 2018 ("audit period")**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED. ("The Company")** for the financial year ended on **31st March, 2018** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) Other Laws specifically applicable to the Company.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:-

- a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- b) Corporate Governance Voluntary Guidelines, 2009 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

ग) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए जारी कॉर्पोरेशन अधिशासन दिशा निदेश।

c) Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणी के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का पालन किया है;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to observation as under:

- 1) वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति की संरचना वैध नहीं है क्योंकि बोर्डों में स्वतंत्र निदेशक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं।
- 2) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने पारिश्रमिक और सीएसआर समितियों की कोई बैठकें आयोजित नहीं की है।

- 1) The Composition of Board & Audit Committee during the financial year is not valid as there is insufficient number of independent Directors on the Boards.
- 2) During the financial year the Company has not held any meeting of Remuneration and CSR Committee.

ge vkxfj iWZdjrs g\$fd%&

We further report that:-

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की स्थिति एक असूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उर्वरक विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों के नाम पर हैं।

The status of the Company during the financial year has been that of an Unlisted Public sector Company and all the shares are held in the name of President of India and officials of Department of Fertilizers, Govt. of India.

कंपनी के निदेशक मंडल को, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या को छोड़कर, विधिवत रूप से गठित किया गया है जो भारत सरकार के भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, 2010 के लिए कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है।

The Board of Directors of the Company is duly constituted except inadequate number of Independent Directors on the board which is not as per guidelines of Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

बोर्ड की बैठकों, कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत टिप्पणियों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को अग्रिम में, कम से कम सात दिन पहले पर्याप्त नोटिस भेजा गया था, और बैठक से पहले एजेंडा वस्तुओं पर आगे और जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं और इसलिए, कार्यवृत्त के भाग के रूप में कोई विरोध नहीं हुआ और न ही उसे कार्यवृत्त में दर्ज किया गया।

ge vkxs ; g Hh fj iWZdjrs gsfद विद्यमान कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

ge vkxs fj iWZdjrs gsfद लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में ऐसी कोई घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी जिसका उपरोक्त निर्दिष्ट कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई प्रभाव पड़ा हो।

ge vkxs fj iWZdjrs gsfद लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित का कोई मामला सामने नहीं आया:

- (i) शेयर/डिबेंचर/स्वेट इक्विटी आदि का सार्वजनिक/अधिकार/अधिमान्य मुद्दा
- (ii) प्रतिभूतियों का ऋण मुक्ति/वापस खरीद
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुपालन में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय
- (iv) विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण, आदि
- (v) विदेशी तकनीकी सहयोग।

Board decisions are carried out with unanimous consent and therefore, no dissenting views were required to be captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the company had no specific events / actions which is having a major bearing on the company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.).

We further report that during the audit period there were no instances of:

- (i) Public/Right/Preferential issue of shares / debentures/sweat equity, etc.
- (ii) Redemption / buy-back of securities
- (iii) Major decisions taken by the members in pursuance to section 180 of the Companies Act, 2013
- (iv) Merger / amalgamation / reconstruction, etc.
- (v) Foreign technical collaborations.

कृते अमित पारीक एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

FOR AMIT PAREEK & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

ह. / -
fer i jhd^{1/2}
प्रोपराईटर
एफसीएस: 5714
सीओपी: 4289

Sd/-
(AMIT PAREEK)
Proprietor
FCS: 5714
COP: 4289

स्थान : गुवाहाटी
दिनांक : 23.07.2018

Place: GUWAHATI
Date: 23.07.2018



अनुपालन की जांच दिली

सेवा में

सदस्य,

ब्राह्मपुत्र घाटी उर्वरक लिमिटेड

CIN: U24123AS2002GOI006786

डाकघर: पर्वतपुर, नामरूप, जिला: डिब्रूगढ़ (असम)-786 623

हमने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यथासंशोधित केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए कॉर्पोरेट अधिशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ब्राह्मपुत्र घाटी उर्वरक लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को छोड़कर कंपनी ने भारी उद्योग और लोक क्षेत्र उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित लागू अनुसार केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम, 2010 की ऊपर उल्लिखित निगमित शासन में निर्धारित शर्तों का पालन किया है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए कोई आश्वासन है जिससे कम्पनी प्रबंधन ने इसके कार्यों का संचालन किया है।

ANNEXURE-II (C) TO DIRECTORS' REPORT CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,

The Members,

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

CIN: U24123AS2002GOI006786

P.O.: Parbatpur, Namrup, Dist: Dibrugarh (Assam)-786623

We have examined the Compliance of Conditions of Corporate Governance by **BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED ("The Company")** for the year ended on **31st March 2018** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 as amended issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

The Compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the Compliance of the Conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the Conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 as amended issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India, as applicable except few observations made during the course of our Audit.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम, 2010 के कॉर्पोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

- 1) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम, 2010 के कॉर्पोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।
- 2) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समितियों की कोई बैठक प्रायोजित नहीं की है।

All mandatory conditions of the said guidelines were complied subject to following observations:-

- 1) During the course of our Audit, it was observed that the number of Independent Directors on the Board of Directors & Audit committee of the Company were not as per the guidelines issued on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.
- 2) During the financial year the Company has not held any meeting of remuneration Committee and CSR Committee.

कृते अमित पारीक एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

FOR AMIT PAREEK & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

ह. / -
अमित पारीक
प्रोपराईटर
एफसीएस: 5714
सीओपी: 4289

Sd/-
(AMIT PAREEK)
Proprietor
FCS: 5714
COP: 4289

स्थान : गुवाहाटी
दिनांक : 23.07.2018

Place: GUWAHATI
Date: 23.07.2018

अनुसूची 2: निदेशकों के विवरण

हमारे 31 मार्च 2018 के वित्तीय वर्ष के निदेशकों के विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पद
1	हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम, 2010 के कॉर्पोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।	कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में उर्वरक विभाग को विद्यमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड में कम से कम दो गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए सूचित किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के बोर्ड में एक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया है।
2	वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति और सीएसआर समितियों की कोई बैठकें आयोजित नहीं की हैं।	पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति की बैठकें 24.08.2018 को आयोजित की गई थी।

अनुसूची 2 (D) TO DIRECTORS' REPORT

MANAGEMENT REPLIES ON THE OBSERVATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE AND SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 31ST MARCH, 2018

S. No.	Observations	Management replies
1	During the course of our Audit, it was observed that the number of Independent Directors on the Board of the Company were not as per the guidelines issued on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.	The Corporation has informed the Department of Fertilizers for appointment of at least two Non official Directors on the Board as per the applicable Govt. Guidelines in this regard. Govt. of India has appointed one Non official Director on the Board of the company during the year 2016-17.
2	During the financial year the Company has not held any meeting of Remuneration Committee and CSR Committee.	The meeting of Remuneration Committee and CSR Committee were held on 24.08.2018, respectively.

अनुसूची- II (E) डायरेक्टर्स' रिपोर्ट

ANNEXURE- II (E) TO DIRECTORS' REPORT

हम, श्री श्याम देव सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीपीएसई, 2010 के कॉर्पोरेट अधिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 4.5 (vi) के अनुसार एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि:

Certification of Chief Executive Officer and Chief Finance Officer in compliance of Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, 2010

सेवा में,
निदेशक मंडल,
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
नामरूप

To,
The Board of Directors
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Namrup

हम, श्री श्याम देव सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीपीएसई, 2010 के कॉर्पोरेट अधिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 4.5 (vi) के अनुसार एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि:

We, Shri Shyam Deo Singh, Chairman and Managing Director and Shri Sanjai Maheshwari, Director (Finance) of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited do hereby give certification as per Clause 4.5 (vi) of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, 2010, that:

(क) हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(a) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the financial year ended 31st March, 2018 and that to the best of my knowledge and belief:

(i) इन विवरणों में कोई वास्तविक रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है या किसी वास्तविक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण शामिल नहीं है जो भ्रामक हो सकता है;

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ii) These statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and Regulations.

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया जो कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन या धोखाधड़ी, अवैध हो।

(b) To the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the financial year ended 31st March, 2018 which are fraudulent, illegal or violates the company's code of conduct.

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी

(c) We accept the responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of internal

की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को प्रचालन या ऐसे आंतरिक नियंत्रण, की रूपरेखा में कमी, का खुलासा कर दिया है यदि कोई हो, जिनके बारे में हमें जानकारी है, और इन उपायों को सुधारने के लिए हमारे द्वारा किए गए या प्रस्तावित उपायों के बारे में बताया है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को बताया है कि:

- (i) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है;
- (ii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है;
- (iii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हमें किसी बड़ी धोखाधड़ी का पता नहीं चला है जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की महत्वपूर्ण संलिप्तता हो और जिसमें कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में कोई भूमिका हो।

g-@&

1/4 t ; elgsojl1/2
निदेशक (वित्त)

g-@&

1/4; le no fl g1/2
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नामरूप

दिनांक : 27.09.2018

control systems of the company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation or such internal control, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit committee that :

- (i) there was no significant change in internal control over financial reporting during the financial year ended 31st March, 2018;
- (ii) There was no significant change in accounting policies during the financial year ended 31st March, 2018; and
- (iii) We have not come across any instance during the financial year ended 31st March, 2018 of any significant fraud and the involvement of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.

sd/-

(Sanjai Maheshwari)
Director (Finance)

sd/-

(Shyam Deo Singh)
Chairman and Managing Director

Place: Namrup

Date : 27.09.2018

DIRECTORS' PROFILES

**1. Shri S.D.Singh, Chairman & Managing Director
(DIN-06386219)**

Shri S.D.Singh is a Chemical Engineer from BIT Sindri, Dhanbad of 1984 batch. He has done Post Graduate Diploma in Mineral Engineering from the Indian Institute of Mines, Dhanbad in 1985. Shri Singh started his career from HFCL, Barauni in November, 1985 as Management Trainee and joined Namrup Fertilizer Unit in January 2002.

During his tenure of 32 years in HFCL and BVFCL, he has rich experience in the Purchase, Stores, Inventory Control, Transportation and Disposal functions of Material Management Department of BVFCL. He is instrumental in implementing e-procurement, preparation of purchase manual and updating the database of pre-qualified vendors of BVFCL.

The Govt. of India has appointed Shri Singh, as Director (Production) of BVFCL w.e.f. 1.10.2012. He has also assumed the additional charge of Chairman and Managing Director (CMD) of BVFCL w.e.f. 1.10.2012. Thereafter, he has been appointed by the Govt. of India as regular CMD, BVFCL w.e.f. 29.09.2017.

He is also a member of the Board of Directors of The Fertilizer Association of India.

**2. Shri Rajiv Kumar Chandiok, Director (Finance)
(DIN -05146544) (Additional charge) upto
28.02.2018]**

Shri Rajiv Kumar Chandiok, has taken over additional charge of the post of Director (Finance) of the company w.e.f. 19th December, 2016.

पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट, श्री चंडोक को उर्वरक और विद्युत क्षेत्र में 23 वर्षों से अधिक का विशद अनुभव है।

श्री चंडोक वर्तमान में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) और संगठन के वित्त एवं लेखा कार्यों के समग्र प्रभारी हैं और संबंधित नीतियों, उनके कार्यान्वयन को विकसित करने और तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे बैंकों, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार और बाहरी वाणिज्यिक उधार, वित्तीय नियंत्रण, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सांविधिक और कॉर्पोरेट मानदंडों के अनुपालन के लिए वित्तीय नियोजन, बजट, लागत, संसाधन जुटाने के लिए भी जिम्मेदार है। वित्त के अलावा, वे कंपनी सचिवालय, विधि विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन सेवा कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है। एक टीम के नेता के रूप में, वे विचारों के बेहतर आदान-प्रदान के लिए टीम के सदस्यों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उच्च उत्पादकता बढ़ती है।

एनएफएल से पहले, वे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) में महाप्रबंधक (वित्त) थे, तथा पीएफसी से पहले उन्होंने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) में भी काम किया है।

विद्युत और उर्वरक उद्योग में व्यापक व्यावसायिक अनुभव के साथ, श्री चंडोक उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों से परिचित हैं और उनके नेतृत्व में एनएफएल ने उच्चतम यूरिया उत्पादन प्राप्त किया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान कर पूर्व उच्चतम लाभ अर्जित किया है और अन्य उपलब्धियां भी हासिल की है।

परियोजना मूल्यांकन तकनीक में श्री चंडोक की विशेषज्ञता उद्योग और प्रबंधन तथा पीएमआई, एससीआई, आईआईएफटी, सीआईआई, फिक्की जैसे पेशेवर संगठनों में विख्यात है। उन्होंने विशेष रूप से परियोजना वित्तपोषण, जोखिम विश्लेषण और नेतृत्व पर भारत और विदेशों में विभिन्न पेशेवर कार्यक्रमों में भाग लिया है।

A Chartered Accountant by profession, Shri Chandiook embodies an extensive experience spanning over 23 years in the Fertilizers and Power Sector.

Shri Chandiook is presently Director (Finance) of National Fertilizers Limited and overall incharge of Finance & Accounts functions of the organisation and is responsible for evolving and formulating related policies, their implementation, He is also responsible for financial planning, budgeting, costing, resource mobilization from banks, Financial Institutions, capital market and External Commercial borrowings, financial control, preparation of monthly, quarterly and annual financial statements and compliance with statutory and corporate norms. In addition to Finance he is also responsible for Company Sectt., Legal Deptt., Information Technology, Internal Audit and Management Services functions. As a team leader, he encourages interaction among team members for better exchange of ideas, leading to higher productivity.

Prior to NFL, he was General Manager (Finance) in Power Finance Corporation Limited (PFC) and before PFC, he also worked with National Hydro Electric Power Corporation Limited (NHPC).

With an extensive professional experience in power & fertilizer industry, Shri Chandiook is well conversant with various issues related to the industry and under his leadership NFL has achieved ever highest Urea production. Highest Profit Before tax during the last 10 years and other laurels too.

The expertise of Shri Chandiook in Project Appraisal Techniques is well recognized in the industry & management and professional organizations like PMI, ASCI, IIFT, CII, FICCI. He has attended various professional programmes in India and abroad particularly on Project Financing, Risk Analyses and Leadership.

3- Jh l t; elgsojll funskd foUk 3.
[DIN- 006531701]

श्री संजय महेश्वरी ने 1 मार्च, 2018 को ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले, वे भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, (एसपीएमसीआईएल) में अपर महाप्रबंधक (वित्त) थे, जो वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक मिनी-रत्न (अनुसूची-ए) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है।

पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट, श्री माहेश्वरी ने निजी क्षेत्र में चीनी, पैकेजिंग, फुटवियर, सिटी गैस वितरण कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र में मुद्रा, सुरक्षा पेपर प्रिंटिंग और सिक्के के खनन के संप्रभु कार्यों सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उनके पास कंपनी सचिव की पेशेवर योग्यता भी है। एसपीएमसीआईएल में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री माहेश्वरी ने परियोजना मूल्यांकन, निधियां जुटाने, राजकोष एवं जोखिम प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है। उन्हें उत्तम लेखा प्रथाओं, नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं और कॉर्पोरेट शासन प्रथाओं को बनाने का भी व्यापक अनुभव है। उन्होंने विभिन्न कानूनों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण, डीआरटी, एएआईएफआर और अन्य नियामक प्राधिकरणों के समक्ष कानूनी सलाहकारों के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के स्वतंत्र रूप से सचिवीय कार्यों को संभाला है और विभिन्न कंपनियों में प्रतिनिधित्व किया है। वे आरओसी, सीएलबी, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, कैपिटल मार्केट मध्यस्थ, डिपॉजिटरी, डिपोजिटरी प्रतिभागियों और सरकारी एजेंसियों से संबंधित संवैधानिक अनुपालन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं।

श्री माहेश्वरी दिनांक 6 मार्च 2018 से सार्वजनिक क्षेत्र की सूचिवद्ध कंपनी "दी फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड" के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी धारण किये हुए हैं जो कि उर्वरक, कैप्रोलेक्टम, इंजिनियरिंग कंसलटैंसी और उपकरणों के निर्माण व विपणन में संलग्न है।

Shri Sanjai Maheshwari, Director (Finance),
[DIN- 006531701]

Shri Sanjai Maheshwari has joined the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) as Director (Finance) on 1st March, 2018. Earlier, he was Additional General Manager (Finance) in Security Printing & Minting Corporation of India Ltd. (SPMCIL), a Mini-ratna (Schedule-A) Central Public Sector Undertaking (CPSU) under the administrative control of Ministry of Finance.

A Chartered Accountant by profession, Shri Maheshwari embodies an extensive experience spanning over 32 years in various industrial sectors like Sugar, Packaging, Footwear, City Gas Distribution Company in private sector and sovereign functions of currency security papers printing and minting of coins. He also possesses professional qualification of Company Secretary. During his stint at SPMCIL, Shri Maheshwari gained rich experience in various fields like Project Appraisal, Fund raising, Treasury and Risk Management. He is also having vast experience in developing best Accounting Practices, Policies, Systems & Procedures and Corporate Governance practices. He has handled independently secretarial functions of various companies and represented in various companies through legal counsels before High Court/ Tribunals, DRT, AAIFR and other regulatory authorities for resolving critical issues under various statutes. He is also actively involved in statutory compliances pertaining to ROC, CLB, Stock Exchanges, SEBI, Capital Market intermediaries, Depository, Depository participants and Govt. Agencies.

Shri Maheshwari also hold additional charge of Director (Finance) in FACT-a listed public sector company engaged in the manufacturing & marketing of fertilizers, Caprolactam, engineering consultancy & fabrication of equipments, since 6th March, 2018.

**4- Jh vl he døj ?kš funskd ¼mRi knu½ 4.
[DIN - 08222413]**

श्री असीम कुमार घोष एनआईटी दुर्गापुर 1985 बैच से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने एचएफसीएल बरौनी में कनिष्ठ कार्यपालक प्रशिक्षु (मैकेनिकल) के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और एचएफसीएल दुर्गापुर में कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) बन गए। उन्होंने मार्च 2003 में नामरूप उर्वरक इकाई में कार्यभार संभाला। उन्होंने बीवीएफसीएल, नामरूप में महाप्रबंधक (यूनिट) बनने से पहले मैकेनिकल विभाग में विभिन्न पदों पर एचएफसीएल और बीवीएफसीएल में कार्य किया।

लगभग 30 वर्षों का उनका कुल कार्य अनुभव पूरी तरह से क्षमता उपयोग, ऊर्जा खपत और लाभप्रदता के संदर्भ में संयंत्रों का समग्र सुधार करने के लिए अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के रखरखाव, उत्पादन योजना और संचालन के औद्योगिक पहलुओं के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने नामरूप की पुनरुद्धार परियोजना में सक्रिय भूमिका निभाई और संयंत्रों के नामरूप-II समूह के निर्माण और स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई।

उन्होंने संश्लेषण कनवर्टर बॉस्केट के प्रतिस्थापन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें ताप विनिमायक, प्रशीतन टॉवर नवीनीकरण, एन-III के सिन्थेसिस गैस कंप्रेसर के ईएमजी टरबाइन की रेट्रोफिटिंग, संयंत्र में अन्य किफायती उपाय करना शामिल रहा है, जिससे बीवीएफसीएल, नामरूप उर्वरक संयंत्रों की आयु बढ़ गई। श्री घोष ने दिनांक 11/09/2018 से बीवीएफसीएल में निदेशक (उत्पादन) पद का कार्यभार संभाला लिया है।

**5- Jh l R, elgu x¼rk l jdkjh funskd ¼mo½d foHk½
(DIN-07028616)**

श्री सत्य मोहन गुप्ता केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारी हैं और वर्तमान में उर्वरक विभाग में उप सचिव (बजट) के पद पर तैनात हैं। वे प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन से स्नातक हैं।

**Shri Ashim Kumar Ghosh, Director (Production)
[DIN- 08222413]**

Shri Ashim Kumar Ghosh is a graduate in Mechanical Engineering from NIT Durgapur 1985 batch. He started his career as Junior Executive Trainee (Mechanical) at HFCL Barauni & became Junior Engineer (Mechanical) at HFCL Durgapur. He joined Namrup Fertilizer Unit in March 2003. He worked in HFCL and BVFCL at various capacities in Mechanical discipline before becoming GM (Unit) at BVFCL, Namrup.

His total work experience of around 30 years has been dedicated entirely to the industrial aspects of maintenance, Production planning and operations in Ammonia & Urea plants aiming to overall improvement of Plants in terms of capacity utilization, energy consumption & profitability. He played an active role in Namrup Revamp Project and took a lead role in erection & commissioning of Namrup-II group of plants.

He has initiated a number of actions including replacement of Synthesis converter basket, many critical heat exchangers, cooling tower renovation, retrofitting of EMG turbine of Syn. Gas Compressor of N-III, other cost effective measures in the plant leading to the long term sustenance of BVFCL, Namrup Fertilizer plants. W.e.f 11/09/2018, Shri Ghosh took over the charge of Director (Production) of BVFCL.

**Shri Satya Mohan Gupta, Govt. Director (DOF)
(DIN-07028616)**

Shri S.M.Gupta is an officer of Central Secretariat Service (CSS) and is presently holding the post of Deputy Secretary (Budget) in the Department of Fertilizers. He has done his graduation with Zoology,

इसके अलावा, उन्होंने विदेश मामलों में डिप्लोमा किया है और लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से फ्रांसीसी भाषा में प्रवीणता प्राप्त की है।

श्री गुप्ता ने उर्वरक विभाग में उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पहले रक्षा मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों में कार्य किया है। उन्हें 30 से अधिक वर्षों तक सेवा करने का अनुभव है। सर्वप्रथम, रक्षा मंत्रालय में उन्होंने स्थापना; मझगांव डॉक लिमिटेड नामक एक रक्षा पीएसयू, तट रक्षक के लिए पूंजी अधिग्रहण से संबंधित मामले देखे, इसके बाद उन्होंने खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और चावल की खरीद के नीतिगत मामले देखे; और अंत में वित्त मंत्रालय में कार्य किया। उन्हें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का भी विशद अनुभव है।

6. **Jh jkdsk dekj ljdkjh funskd 1nozd foHkx½ (DIN-06940386)**

श्री राकेश कुमार वाणिज्य से स्नातक हैं और उर्वरक विभाग में उप सचिव हैं। उन्होंने भारत सरकार के सीएसएस अधिकारी के रूप में 1987 में कार्यभार संभाला था। उन्हें मानव संसाधन प्रबंधन, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/एनजीओ, आईटी मामलों, संसदीय मामलों, प्रशासनिक मुद्दों, सरकारी खरीद आदि में व्यापक अनुभव है। उन्होंने उर्वरक विभाग में कार्य करने से पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अ.ज.जा. /अ.जा. आयोग, उपभोक्ता कार्य विभाग में कार्य किया है।

7- **čKQlj vyd dekj cjkxgu xš ljdkjh funskd (DIN-07559060)**

अलक कुमार बुरागोहन डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे हैं। इससे पहले, वे तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे और उसी विश्वविद्यालय

Botany and Chemistry. In addition, he did Diploma in Foreign Affairs, and Diplomacy with proficiency in French Language from Lucknow University, Lucknow.

Shri Gupta has served in various ministries like Ministry of Defence, Ministry of Food and Public Distribution and Ministry of Finance before joining the post Deputy Secretary in the Department of Fertilizers. He has experience of more than 30 years of service. Firstly, in Ministry of Defence, he has dealt with establishment, matters relating to one Defence PSU i.e. Mazgaon Dock Ltd. Capital acquisition for Coat Guard, Secondly in Ministry of Food and Public Distribution he has handled policy matters for procurement of wheat and rice for Central Pool; and lastly in Ministry of Finance, He found exposure in Right to Information (RTI) Act, 2005.

6. **Shri Rakesh Kumar, Govt. Director (DOF) (DIN-06940386)**

Shri Rakesh Kumar a Commerce Graduate and Deputy Secretary in Department of Fertilizers joined Govt. of India as CSS Officer in 1987. He has vast experience in HR management, release of Grants in Aid to State Government/UT/NGOs, IT matters, Parliamentary issues, Administrative issues, Government purchases, etc. He has worked in Ministry of Social Justice and Empowerment, Tribal Affairs, National Commission for ST/SC, Department of Consumer Affairs before joining in the Department of Fertilizers.

7. **Professor Alak Kumar Buragohain, Non Official Director (DIN-07559060)**

Alak Kumar Buragohain is the Vice-Chancellor of Dibrugarh University. Earlier, he was the Registrar of Tezpur Central University and a Professor in the

में आण्विक जीवविज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर बुरागोहन तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आण्विक जीवविज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थापक प्रमुख थे। प्रोफेसर बुरागोहन ने सेंट एंथनी कॉलेज, शिलांग में अध्ययन किया, जहां से उन्होंने विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपनी एमएससी गौहाटी विश्वविद्यालय से साइटोजेनेटिक्स और पादप प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में की। उन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, लंदन में जीवविज्ञान और एप्लाइड बायोलॉजी विभाग में कार्यभार ग्रहण किया, जहां से उन्होंने पादप आण्विक जीवविज्ञान में डिग्री हासिल की।

प्रोफेसर बुरागोहन तीन दशकों से अधिक समय तक शिक्षण और शोध कार्य में लगे हुए हैं। उनके शोध विषयों में प्राकृतिक उत्पादों, जीवाणु विकासक्रम जीनोमिक्स और नैनोबियो सामग्री से तपेदिक के लिए दवा की खोज करना शामिल है।

उनके कई लेख विभिन्न पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित हुए हैं। उप कुलपति के रूप में, प्रोफेसर बुरागोहन डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

प्रोफेसर बुरागोहनेन वर्तमान में तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

Department of Molecular Biology and Biotechnology in the same University. Professor Buragohain was the founder head of the Department of Molecular Biology and Biotechnology at Tezpur Central University. Professor Buragohain studied at St. Anthony's College, Shillong, from where he graduated in Science. He obtained his M.Sc. in Botany with specialization in Cytogenetics and Plant Breeding from Gauhati University. He joined the Department of Biology and Applied Biology at Imperial College of Science, Technology and Medicine, London from where he gained the Ph.D. degree in Plant Molecular Biology.

Professor Buragohain has been engaged in teaching and research for over three decades. His research interests are drug discovery for tuberculosis from natural products, bacterial evolutionary genomics and nanobio material.

A number of his articles have been published in various journals and books. As the Vice-Chancellor, Professor Buragohain focuses on enhancing the quality of higher education and research at Dibrugarh University.

Professor buragohain is presently working on the post of Professor in Tezpur University Tezpur.

Annexure-IV to Director Report



214
No. ____/DGCA/MAB-II/Kol/BVFC/Accts/2017-18

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा चदेन सदस्य लेखापरीक्षा
बोर्ड - II कोलकाता
पुराना निज़ाम महल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता - 700 020
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER
AUDIT BOARD - II, KOLKATA
Old Nizam Palace, 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road,
Kolkata-700 020

Date: 12 SEP 2018

To
The Chairman-cum-Managing Director,
Brahmaputra Valley Fertiliser Corporation Limited,
P.O. Parbatpur,
Distt: Dibrugarh,
Assam - 786 623

Sub: Comments on the Financial Statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 March 2018 under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013

Sir,

I forward herewith the Comments under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 March 2018.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Encl: As stated.
Place: Kolkata
Dated: 26 September, 2018

Yours faithfully,


(Mausumi Ray Bhattacharyya)

Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board - II
Kolkata



31 मार्च 2018 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2018 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की ओर से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों के कार्यशील कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा-परीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक ही सीमित है। अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जिस पर सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह. / -

हस्ताक्षर

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 26 सितम्बर, 2018

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

The preparation of financial statement of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statement under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 24th August 2018.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the Act of the financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31st March 2018. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

(Mausumi Ray Bhattacharyya)

Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board – II, Kolkata

Place: Kolkata

Dated: 26th September, 2018

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

गुवाहाटी

पंजीकृत कार्यालय

आर्शीवाद, नामघर पथ, नतून छाछल, सिक्स माईल,
गुवाहाटी-781022

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सेवा में,

सदस्य

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय : डाकघर: पर्वतपुर, नामरूप,
जिला: डिब्रुगढ़, असम

1- ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
("द कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की
है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) 31 मार्च, 2018 तक का तुलन-पत्र;
- ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
लाभ और हानि विवरण;
- ग) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
नकद प्रवाह विवरण;

तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार एवं अन्य
व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

2- ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार
करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की
धारा 134(5) में मामलों के लिए जिम्मेदार होता है जो भारत
में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें संगत
नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत
विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं, की वित्तीय स्थिति,
वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष
दृष्टिकाण प्रदान करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा

M/S PARIK & CO

Guwahati

CHARTERED ACCOUNTANTS

Aasheerwad, Namghar Path, Natun Chachal, Six Mille,
Guwahati-781022

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members,

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited,
Registered Office: P.O.: Parbatpur, Namrup,
District : Dibrugarh Assam

1. Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying Financial Statements
of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
('the Company'), which comprise:

- a) the Balance Sheet as at March 31, 2018;
- b) the Statement of Profit and Loss for the
Financial Year ended as at 31st March 2018;
- c) the statement of Cash Flow for the Financial
Year ended as at 31st March 2018;

along with the summary of Significant Accounting Policies
and Other Explanatory Information.

2. Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the
matters stated in Section 134(5) of the Companies Act,
2013 ("the Act") with respect to the preparation and
presentation of these financial statements that give a true
and fair view of the financial position, financial performance
and cash flows of the Company in accordance with the
accounting principles generally accepted in India, including
the Accounting Standards specified under Section 133 of
the Act, read with relevant rules issued there under.

This responsibility also includes the maintenance of adequate

करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखने; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना, जो उचित और विवेकपूर्ण हों; तथा वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करता हो, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू हो तथा सही और उचित दृष्टिकोण उपलब्ध कराता हो तथा इसमें सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या किसी त्रुटि के कारण हो, शामिल है।

3- लेखा परीक्षा की प्रक्रिया

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

अपनी लेखा परीक्षा करते समय, हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा में शामिल करना आवश्यक होता है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित होता है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण गलत विवरण सामग्री से मुक्त है।

लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया शामिल होती है ताकि राशि और वित्तीय विवरणों में खुलासे के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जा सके। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षा के निर्णय पर आधारित होती है, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का आकलन करना शामिल होता हो, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। ऐसा जोखिम आकलन करने के लिए लेखा-परीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित रूप से प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि उन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाया जा सके जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त

accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

In conducting our audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the Auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial controls relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating

लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमान की उपयुक्तता, तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति शामिल होती है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे लेखा परीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4- वगड जक

हमारे विचार में और हमारी उत्कृष्ट सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं:

- (क) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के मामले में कंपनी के कार्य स्वरूप की स्थिति दर्शाई गई है;
- (ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लाभ एवं हानि विवरण के मामले में; और
- (ग) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण के मामले में इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह।

fo' ksk egRo okys ekeys

अपनी रिपोर्ट को दोष रहित मानते हुए हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

- क) 31 मार्च, 2018 को संचित हानि 28650.53 लाख रुपए है जो इसके निवल मूल्य के 50% प्रतिशत से अधिक है।
- ख) कंपनी ने भारत सरकार द्वारा दिनांक 12/06/2015 के पत्र सं. 18017/9/2008-एफसीए द्वारा 2196 लाख रुपए के ऋण, जिसे नामरूप-। के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार से लिया गया

the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

4. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

- a) in the case of the Balance Sheet, of the State of Affairs of the Company as at 31st March 2018;
- b) in the case of the Statement of Profit and Loss, of the Profit for the Financial Year ended as at 31st March 2018; and
- c) in the case of the Cash Flow Statement, of the Cash Flows for the Financial Year ended as at 31st March 2018;

Emphasis of Matters

Without qualifying our Report, we draw attention to read this audited Financial Statements with under mentioned emphasis:

- a) The Company has accumulated loss of Rs. 28650.53 Lakhs as at 31st March 2018, which exceeds 50% of its net worth.
- b) The Company has booked Rs. 2196 Lakhs as extra ordinary income in the Financial Year 2017-18 on account of waiver of loan of Rs. 2196 Lakhs by GOI vide letter No.

था (वित्तीय वर्ष 2003-04 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निपटाया गया था), को माफ करने के कारण, 2196 लाख रुपए को असाधारण आय के रूप में दर्ज किया है। नामरूप-। के संबंध में 2196 लाख रुपए के ऋण की छूट के लिए भारत सरकार के दिनांक 12/06/2015 के पत्र सं. 18017/9/2008-एफसीए द्वारा अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने इसे लाभ एवं हानि विवरण के जरिए भेजने या परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु की तुलना में आवश्यक ऋण परिशोधन करने की बजाय वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 2196/- लाख रुपए तक अपने पूंजीगत रिजर्व खाते को क्रेडिट किया था। लेकिन चूंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नामरूप-। के पुनरुद्धार के संबंध में सभी संबंधित परिसंपत्तियां का पहले ही निपटान किया जा चुका था, अतः नामरूप-। से संबंधित परिसंपत्तियों के संबंध में सरकारी सहायता को वित्तीय वर्ष 2017-18 की असाधारण आय माना गया है और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लाभ एवं हानि विवरण को पूंजी रिजर्व खाते में से घटाकर 2196 लाख रुपए तक जोड़ा गया है। यद्यपि 2196 लाख रुपए की इस हस्तांतरण प्रविष्टि को पूंजीगत रिजर्व खाते से लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित करने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में 78.61 लाख रुपए का लाभ हुआ है लेकिन कंपनी के निवल मूल्य में 31 मार्च 2017 की तुलना में 31 मार्च 2018 को 2117.39 लाख रुपए की कुल कमी हुई है।

- ग) कंपनी ने निर्यात पर लाभ अंश के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2013-14 तक संबंधित दीर्घावधि दावा न की गई 2170.26 लाख रुपए की देयता को शीर्ष अन्य आय के अंतर्गत बट्टे खाते में दर्शाया है।
- घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (टिप्पणी 2.14) में रेलवे साइडिंग के नवीनीकरण और रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में किए गए

18017/9/2008-FCA dated 12/06/2015, which was taken from Government of India for revamp of Namrup-I (permanently stopped during Financial Year 2003-04 and disposed off during the Financial Year 2017-18). As per approval of GOI vide letter No. 18017/9/2008-FCA dated 12/06/2015 with respect to waiver of loan amounting to Rs. 2196/- Lakhs relating to Namrup -I, the Company had credited its Capital Reserve Account by Rs. 2196/- Lakhs during the Financial Year 2014-15 instead of routing of the same through Statement of Profit & Loss or necessary amortisation over the useful life of the assets. But since during Financial Year 2017-18 all of the related assets with respect to revamp of Namrup-I have already been disposed off therefore the Govt. Assistance with respect to assets related to Namrup -I has been treated as extra ordinary income of Financial Year 2017-18 and accordingly Statement of Profit & Loss of Financial Year 2017-18 has been credited by Rs. 2196 Lakhs by debiting the Capital Reserve Account. Although this transfer entry of Rs. 2196 Lakhs from Capital Reserve A/c. to Statement of Profit & Loss has resulted into Book Profit of Rs. 78.61 Lakhs during the Financial Year 2017-18 but there is overall decrease in net worth of Company by Rs. 2117.39 Lakhs as at 31st March 2018 in comparison of 31st March 2017.

- c) The Company has shown Rs. 2170.26 Lakhs as Income under the head Other Income on account of write off of long pending unclaimed liability related to Financial Year 2006-07 to 2013-14 in respect of Share of Profit on Export.
- d) Short Term Loans and Advances (Note 2.14) includes Rs. 151.89 Lakhs shown as receivables from Indian Railway on account of

भुगतान के कारण भारतीय रेलवे से प्राप्तियां के रूप में 151.89 लाख रुपए दिशाए गए हैं, जिसे भारतीय रेलवे ने 08/08/2016 को कंपनी को सौंप दिया है, लेकिन कंपनी ने न तो पूंजीकृत किया है और न ही भारतीय रेलवे से संबंधित बिलों की प्राप्ति को देखते हुए व्यय के रूप में उल्लेख किया है।

payment made in Financial Year 2012-13 for renovation and maintenance of Railway Sidings which the Indian Railway has already handed over to the Company on 08/08/2016, but the Company has neither capitalised nor booked the said amount as expenditure in view of non receipt of related bills from Indian Railway.

ड.) 38116.12 लाख रुपये (टिप्पणी 2.16) की बिक्री में मूल्य भिन्नता के कारण 20315.06 लाख रुपए की राजसहायता शामिल है। कंपनी ने दिनांक 12 जनवरी 2018 के पत्र सं. 12012/34/2015-एफपीपी और 12012/35/2015-एफपीपी दोनों में निर्धारित प्रति मी.टन अस्थायी तदर्थ रियायती दर के आधार पर उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) से प्राप्तियों को 31 मार्च 2018 तक बेचे गए अपने तैयार माल पर राजसहायता के अपने दावे को विधिवत दर्ज किया है और तदनुसार 81.46 करोड़ रुपए के राजसहायता दावे की तुलना में अपनी आय को भी दर्ज किया है, जो लेखापरीक्षा, संशोधन और पुष्टि के अधधीन है।

e) Sales Rs. 38116.12 Lakhs (Note 2.16) is inclusive of Subsidy Rs. 20315.06 Lakhs on account of price variance. The company has duly accounted its claim of subsidy on its sold finished goods till 31st March 2018, receivables from Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) on the basis of provisional adhoc concession rate per MT prescribed in the Letter No. 12012/34/2015-FPP & 12012/35/2015-FPP both dated 12th January 2018 issued by Ministry of Chemicals & Fertilizers and accordingly the Company has also accounted in its income against the due subsidy claim of Rs. 81.46 Cr, which is subject to audit, revision and confirmations by the FICC.

च) अन्य व्यय (टिप्पणी 2.26) में 901.68 लाख रुपए की अवधि-पूर्व समायोजित वस्तुओं के बटटे खाते के संबंध में क्रेडिट शामिल है, जिसके लिए कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

f) Other Expenses (Note 2.26) is inclusive of credit in respect write off of prior period adjusted items amounting to Rs.901.68 Lakhs, for which no confirmation is available.

छ) कर्मचारी लाभ व्यय (टिप्पणी 2.21) में 345.86 लाख रुपए की उपदान देयता के लिए प्रावधान है, जिसे वास्तव में मैसर्स भूदेव चटर्जी से प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रदान किया गया है। हालांकि, दिनांक 29.03.2018 से 20 लाख रुपए की उक्त अधिकतम सीमा में संशोधन के बावजूद उक्त बीमांकिक को केवल 10 लाख रुपए की अधिकतम निगरानी सीमा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

g) Employee Benefit Expenses (Note 2.21) includes Provision for Gratuity Liability Rs. 345.86 Lakhs, which has been provided on the basis of Actuarial Valuation Report obtained from Actuari M/s. Bhudev Chatterjee, however the said valuation has been made taking into account maximum monetary ceiling of Rs. 10 Lakhs only, in spite of revision in said ceiling to Rs. 20 lakhs with effect from 29.03.2018.

5- vU dkuwh vK fofu; led vko'; drkva ij
fjiK%

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2015 की अपेक्षानुसार हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर यथा लागू एक विवरण **vuyXud ^d^** में दिया है।
2. धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे,
 - ख) हमारे विचार में कंपनी द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बही खाते रखे गए हैं जैसा कि इन बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - ग) इस रिपोर्ट द्वारा तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण बही खातों के अनुरूप हैं;
 - घ) हमारे विचार में उपर्युक्त वित्तीय विवरण संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक के अनुरूप हैं; और
 - ड.) कंपनी मामले विभाग द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना सं. जीएसई 829(अ.) के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।
 - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के पुनरुत्थान के साथ, **vuyXud&[k** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, और
 - छ) हमारी राय में और हमारी उत्कृष्ट जानकारी

5. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure "A", a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as it appears from our examination of those books;
 - c) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the Books of Account;
 - d) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with relevant rules issued there under.
 - e) in pursuance to the notification No GSE 829(E) dated 21.10.2003, issued by the Department of Company Affairs; section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors is not applicable to a Government Company.
 - f) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure B. and
 - g) with respect to the other matters to be

के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य मामलों को दोबारा शामिल किया जाना चाहिए:

- कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है;
- कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदा सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई सामग्री पूर्ववर्ती हानि नहीं हुई थी;
- कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक धनराशि में कोई विलंब नहीं हुआ है,

3. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रक्रियाओं के अनुसार कंपनी के बही खातों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देशों और उप-निर्देशों में विनिर्दिष्ट मामलों पर **vugyXud 'x'** में विवरण देते हैं।

कृते **ikjd, M dāuh**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन: 302147ई

सीएजी एमपैनलमेंट सं. ईआर0855

g-@&

¼ h fcfi u dēkj ½

भागीदार

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805

स्थान : नामरूप में शिविर

तिथि : 24.08.2018

included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- the Company has disclosed the impact of pending litigation on its financial position in its financial statements;
- the Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
- there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection fund by the Company.

3. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in terms of the directions of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(5) of the Act and on the basis of our examination of the books and records of the Company carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanations given to us, we give in the **Annexure 'C'** statements on the matters specified in the Directions and Sub-directions of Comptroller & Auditor General of India.

For **PARIK & CO**

Chartered Accountants

FRN: 302147E

CAG Empanelment No: ER0855

Sd/-

(CA Bipin Kumar)

Partner

ICAI Membership No. 059805

Place: Camp in Namrup

Date: 24.08.2018

foUkr o"Z2017&18 dsfy, Loræ ysfkk
ijhkd fjikWZdk vuyXud&d

foUkr fooj.kaij dâuh dsl nL; kâdk Loræ
ysfkk ijhkd dh fjikWZdsišk 5-1 eal afHkZ

ge fjikWZdjrs gâfd%

- i) क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरणों और अपनी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले उचित रिकार्ड नहीं रखे हैं।
- ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के फर्नीचर और फिक्सचरों को प्रबंधन द्वारा वास्तविक रूप से सत्यापित किया गया है, तथापि, इसका नियत परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ समाधान नहीं किया जा सका था। कंपनी ने अपने संयंत्र और मशीनरियों का वास्तविक सत्यापन किया है। इसलिए हम बही खातों और वास्तविक स्थिति, जैसी भी हो, के बीच किसी गंभीर अतिरिक्तताओं पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- ग) 1 बीघा, 18 लेसा भूमि, जो मूल कंपनी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम में है, को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों के अधिकार विलेख कंपनी के नाम पर हैं।
- ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा सूची का समय-समय पर भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और माल-सूची के भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियों का बही खातों में उचित प्रकार से निपटान किया गया है।
- iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, एलएलपी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iii) (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होता।

Annexure A to the Independent Auditor's Report for the Financial Year 2017-18

Referred to in paragraph 5.1 of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statements.

We report that:

- i) a) The company has not maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation its fixed assets.
- b) As per information and explanations given to us, furniture's & fixtures of the Company have been physically verified by the management however it reconciliation with Fixed Assets Register could not be made. The Company has not physically verified its Plant & Machineries. Therefore we are unable to comment on any serious discrepancies between the book records and physical position, if it may be.
- c) The title deeds of all immovable properties are in the name of the company except for 1 Bigha, 18 lessa of land which is in the name of parent company Fertilizer Corporation of India.
- ii) As per informations and explanations given to us, the inventories has been physically verified by the management at reasonable intervals and the discrepancies noticed in physical verification of inventory has been properly dealt with in the books of accounts.
- iii) The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, LLPs or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly paragraph 3(iii) (a), (b) & (c) of the Order is not applicable.

- | | |
|--|---|
| <p>iv) कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और इसके द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है।</p> <p>v) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं किया है और इसलिए जनता से स्वीकार की गई जमा राशि के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और कंपनी (जमा राशि स्वीकार्यता) नियम, 2015 लागू नहीं होते।</p> <p>vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और रिकार्ड बनाए और रखे गए हैं।</p> <p>vii) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, गैर-विवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में बही खातों में कटौती/अर्जित राशि जिसमें भविष्य निधि, आय-कर, बिक्री-कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर और अन्य किसी भी सांविधिक देयता शामिल है, को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकारियों के साथ जमा किया गया है। प्रबंधन द्वारा उल्लेख किए गए अनुसार, कंपनी ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक अनुपालन के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को ऐसी कोई गैर-विवादित सांविधिक देयताओं का बकाया नहीं था जो देय तारीख से छः माह से अधिक अवधि का हो।</p> <p>ख) हमें हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को कंपनी के खिलाफ</p> | <p>iv) The Company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act 2013 in respect of loans, investments, guarantees and security provided by it.</p> <p>v) The company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and Provisions of Section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regards to deposits accepted from the public are not applicable.</p> <p>vi) We have broadly reviewed the Cost Records maintained by the Company pursuant to the rules made by the Central Government for maintenance of Cost Records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and we are of the opinion that prima facie the prescribed accounts and records have been made and maintained.</p> <p>vii) a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted / accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including Provident Fund, Income-tax, Sales-tax, Service-tax, Goods and Service Tax, Duty of customs, Duty of Central Excise, Value added tax and any other material statutory dues have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities. As stated by the management the Company's is not covered under the purview of statutory compliance prescribed under ESI Act. According to the informations and explanations given to us no such undisputed arrears of statutory dues were outstanding as at 31st March, 2018, for a period of more than six months from the date they became payable.</p> <p>b) According to the information and explanations given to us, no disputed dues against</p> |
|--|---|

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और कोई अन्य सामग्री सांविधिक देयता के संबंध में कोई विवादित बकाया नहीं है।

viii) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक, वित्तीय संस्थान या डिबेंचर धारक को मूल और ऋण पर ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं की है। तथापि, कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 572.75 करोड़ रुपए की मूल ऋण राशि के भुगतान में चूक की है, जो लाभ अर्जित करने पर वित्तीय वर्ष 2014-15 से चुकाया जाना था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 12.06.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18017/9/2008-एफसीए में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, कंपनी को उक्त कार्यालय ज्ञापन में लाभ अर्जित करने पर भारत सरकार के ऋण चुकाने का निर्देश दिया गया था लेकिन कंपनी ने बही खातों में वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 646.12 करोड़ रुपए, 28.50 करोड़ रुपए, 7.50 करोड़ रुपए, और 0.79 करोड़ रुपए की राशि का लाभ अर्जित करने के बावजूद भारत सरकार के ऋण को नहीं चुकाया है। तथापि, प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि 12.06.2015 के भारत सरकार के पत्र का आशय यह है कि भारत सरकार के ऋण को नकद लाभ से चुकाया जाए और इन चार संदर्भित वर्षों में कोई नकद लाभ नहीं हुआ है क्योंकि इन चार संदर्भित वित्तीय वर्ष में बही खाता लाभ मूल रूप से ब्याज में छूट और भारत सरकार द्वारा मूल राशि के कारण है।

ix) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरण सहित) और आवधिक ऋण के माध्यम से धन नहीं बढ़ाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

x) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में कोई धोखाधड़ी

the Company are outstanding as at 31st March, 2018, in respect of Provident fund, Employee State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Service-tax, Goods and Service Tax, Duty of customs, Duty of excise, Value added tax and any other material statutory dues.

viii) Based on our audit procedures, and as per the information & explanation given by the management, the company has not defaulted in the repayment of dues of principal or interest on loan to the bank, financial institution or debenture holder. However the Company has defaulted in payment of principal loan amount of Rs. 572.75 Cr. taken from Government of India which was repayable from financial year 2014-15 onwards on attaining the profit. As per terms and conditions specified in Office Memorandum No. 18017/9/2008-FCA dated 12/06/2015 of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Govt. of India, the Company has been directed in the said Office Memorandum to service the GOI Loan on attaining the Profit but the Company has not serviced the GOI Loan inspite of having Book Profit in Financial Year 2014-15, 2015-16, 2016-17 & 2017-18 amounting to Rs. 646.12 Cr, Rs. 28.50 Cr, 7.50 Cr and 0.79 Cr. respectively. However, the management has explained that the spirit of the GOI letter dated 12/06/2015 is to service the GOI Loan from cash profit and there is no Cash Profit in these referred four financial years as the book profit in these referred four financial year are basically on account of waiver of interest and principal amount by GOI.

ix) During the Financial Year 2017-18, the Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and terms loans. Accordingly, the provision of clause 3 (ix) of the Order is not applicable on the Company.

x) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, there was

नहीं हुई है या वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने की सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली थी।

- xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया/प्रदान किया है।
- xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3 (xii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xiii) संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188, जहां-कहीं लागू होते हैं, के अनुपालन में हैं, और विवरण का लागू लेखा मानक द्वारा अपेक्षित अनुसार वित्तीय विवरण आदि में खुलासा किया गया है।
- xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान आवंटन नहीं किया है या शेयरों के पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर निजी तौर पर जारी नहीं किए हैं।
- xv) कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।
- xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत रजिस्टर होना अपेक्षित नहीं है।

no fraud committed by company or any fraud on the company by its officers/employees noticed or reported during the year.

- xii) According to informations and explanations given to us and based on our examination of record of the Company, the company has paid/ provided managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act.
- xiii) The company is not a Nidhi company. Therefore the provision of clause 3 (xii) of the Order are not applicable on the Company.
- xiv) All transactions entered by the company with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of the Companies Act, 2013, wherever applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc, as required by the applicable accounting standards.
- xv) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review.
- xvi) The company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him.
- xvii) The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

कृते **ikjd, M dāuh**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन: 302147ई

सीएजी एमपैनलमेंट सं. ईआर0855

g-@&

1/2 h fci u dēkj 1/2

भागीदार

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805

स्थान : नामरूप में शिविर

तिथि : 24.08.2018

Place: Camp in Namrup

Date: 24.08.2018

For **PAIRK & CO**

Chartered Accountants

FRN: 302147E

CAG Empanelment No: ER0855

Sd/-

(CA Bipin Kumar)

Partner

ICAI Membership No. 059805

यस कि जहलद फिजिकल वुग्युदक

फोर्क, 01/2017-18 दस्य, फोर्क, फोर्क. क
ij दाह दसलन; कदल लोरा यस कि जहलद
dh फिजिकल दसि 5-2 एल अफ

दाह व/फु; ए 2013 1/2 व/फु; ए 1/2 ध /क
143 धमि & /क 3 दस [क 1/2 दस्रग्र व/फु
फोर्क, फु; ए. क ij फिजिकल

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के
वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ ब्राह्मपुत्र
घाटी उर्वरक लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय
रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

व/फु फोर्क, फु; ए. क दसि एका दस
म/क; रो

कंपनी प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा
के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य
घटकों पर विचार किए जाने के साथ कंपनी द्वारा स्थापित
वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार
पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के
प्रति उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम,
2013 में की गई अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी की नीतियों के
अनुपालन, परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी एवं गलतियों
से बचाव एवं उनके संज्ञान, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता
एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर
प्रस्तुति सहित नियमित एवं कार्यकुशल व्यवसाय संव्यवहार के
सुनिश्चय के लिए प्रभावी प्रचालनात्मकता से युक्त आंतरिक
वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं पर्याप्तता के
अनुरक्षण के दायित्व शामिल हैं।

यस कि जहलद दसम/क; रो

हमारा उत्तरदायित्व, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक
वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर
राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों

Annexure –B to the Auditors' Report

Referred to in paragraph 5.2 of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statements for the Financial Year 2017-18

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub- section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act'):

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Brahmaputra Valley Corporation Limited** (the Company') as of 31st March, 2018 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls:

The Company management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit to Internal Financial Controls over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the

(‘मार्गदर्शी टिप्पणी’) की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी टिप्पणी तथा लेखापरीक्षा के मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(10) में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण के प्रसार के लिए निर्धारित विचारणा के अनुसार लेखापरीक्षण किया है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हमने नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन किया है तथा लेखापरीक्षा के निष्पादन की योजना इस औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति के लिए तैयार की है कि क्या वित्तीय संरचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित किए गए हैं तथा प्रत्येक वस्तुगत दृष्टिकोण में ऐसे नियंत्रणों से प्रभावपूर्ण प्रचालनात्मकता हुई है।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में प्रक्रियात्मक निष्पादन द्वारा लेखापरीक्षा प्रमाणों की प्राप्ति निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली के लिए हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली के संबंध में वचनपत्र की प्राप्ति, वस्तुपरक दोष पाए जाने के जोखिम का मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के परीक्षण शामिल हैं। इसके लिए वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक गलत बयानी, जालसाजी अथवा चूकवश, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित चयन की जाने वाली प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर है।

हमारा यह मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त तथा यथोचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control bases on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting:

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that"

1. रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो तर्कसंगत ब्यौरे के रूप में, कंपनी की परिसंपत्तियों के सही और उचित ब्यौरे के लेनदेन को दर्शाती हैं;
2. यह तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यकता अनुसार दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है; तथा
3. अनधिकृत अधिग्रहण को रोकने या समय पर पता लगाने, कंपनी की परिसंपत्तियों का उपयोग या निपटान करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

1. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
2. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorization of the Management of the Company; and
3. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण के लिए मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और जिसका पता न लगाया जा सकता हो। इसके अलावा, भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी अनुमान इस जोखिम के अधीन होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा को बिगाड़ सकता है।

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting:

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

जका %

हमारी राय में, कंपनी में सभी सामग्री के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2018 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित है और जिसे

Opinion:

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2018 which is based on internal control over

कंपनी द्वारा भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए स्थापित किया गया है।

financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते **ikjd , M dāuh**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 302147ई
सीएजी एमपैनलमेंट सं. ईआर0855

g-@&
1/2 h fcfi u dely 1/2
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता सं. 059805

For **PARIK & CO**
Chartered Accountants
FRN: 302147E
CAG Empanelment No: ER0855

Sd/-
(CA Bipin Kumar)
Partner
ICAI Membership No. 059805

स्थान : नामरूप में शिविर
तिथि : 24.08.2018

Place: Camp in Namrup
Date: 24.08.2018



foÜk, o"Z2017&18 dsfy, Loræ
ys{k ijhkd fjiWZdk vuqYud&x

foÜk, fooj.kk ij dāuh ds lnl; k dks
Loræ ys{k ijhkd dh fjiWZ ds i\$ k 5-3
eal nfHk

vuqkyu çek&i =

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत
भारत के सीएंडएजी द्वारा जारी दिशा-निर्देश/उप निर्देशों
के अनुसार ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के खातों की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा
परीक्षा की है और प्रमाणित किया है हमने हमें दिए गए सभी
निर्देशों/उप निर्देशों का पालन किया है।

कृते ikjd , M dāuh

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन: 302147ई

सीएजी एमपैनलमेंट सं. ईआर0855

g-@&

¼ h fcfi u dēkj ½

भागीदार

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805

स्थान : नामरूप में शिविर

तिथि : 24.08.2018

l yXud% कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के
तहत भारत के सीएंडएजी द्वारा हमें जारी दिशानिर्देशों/उप
निर्देशों पर उत्तर।

Annexure–C to the Independent Auditor's Report for the Financial Year 2017-18

Referred to in paragraph 5.3 of Independent
Auditor's Report to the members of the
Company on the Financial Statements.

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit of accounts of Brahmaputra
Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended
31st March 2018 in accordance with the directions/ sub
directions issued by C&AG of India under Section 143(5)
of the Companies Act, 2013 and certify that we have
complied with all the directions/ sub directions issued to
us.

For **PARIK & CO**

Chartered Accountants

FRN: 302147E

CAG Empanelment No: ER0855

Sd/-

(CA Bipin Kumar)

Partner

ICAI Membership No. 059805

Place: Camp in Namrup

Date: 24.08.2018

Enclosed: Reply on directions/ sub directions issued to us
by C&AG of India under Section 143(5) of the Companies
Act, 2013.

foÜh, o"Z 2017&18 dsfy, Loræ
ys[k ijhkd fjikWZdk vuyXud&x ds
vuyXud

foÜh, foøj.kaij dāuh dsl nL; k dks
Loræ ys[k ijhkd dh fjikWZdsišk 5-3 ea
l nfhZ

dāuh vfkfu; e| 2013 dh ekjk 143 ½ ds rgr
Hj r dsl h, M, th } jk t kjh fd, x, funZk @
mi fn'kvkaij mÜjA

d- foÜh, o"Z 2017&18 ds fy, dāuh
vf/fu; e| 2013 dh /kj k 143½ ds rgr
funZk%

1. D; k dāuh us YlgkM vls ylt gkM Hfe
ds fy, Øe'l% vf/kdjk@iVvk foy[k
dks vuoknr dj fn; k gS ; fn ugh rks
dī; k YlgkM vls ylt gkM Hfe ds {k-
dk mYys[k dja ft l ds fy, vf/kdjk@iVvk
foys[k mi yC'k ughagS

कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण
तथा भूमि के संबंध में रिकार्डों से संबंधित सत्यापन के
अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) मंडल अधिकारी कार्यालय, नाहरकटिया रेवेन्यू
सर्किल द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2015 को जारी
जमाबंदी आकलन रिकार्डों के अनुसार, कंपनी
2611 बीघा 2 कोटाह 13.5 लेसा फ्रीहोल्ड भूमि
की रिकार्डेड पट्टादार है।

ख) कंपनी के पास 1 बीघा, 18 लेसा फ्रीहोल्ड
भूमि है जो इसकी मूल कंपनी फर्टिलाइज़र
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर अंतरित है।

2- D; k _ .kk@m/kj@C; kt vln dks ekQ dju@
cVVs [krseamYusdk dkbZeYk gS ; fn gh
rksml ds djk.k vls bl ea'Wey jk'k crk %

Enclosures to Annexure C of the Independent Auditor's Report for the Financial Year 2017-18

Referred to in paragraph 5.3 of Independent
Auditor's Report to the members of the Company
on the Financial Statements.

Reply on directions/ sub directions issued to
us by C&AG of India under Section 143(5) of
the Companies Act, 2013.

A. Directions under section 143(5) of the Companies
Act, 2013 for the Financial Year 2017-18:

1. Whether the company has clear titles/
lease deeds for freehold and leasehold land
respectively ? If not, please state the area of
freehold and leasehold land for which the title/
lease deeds are not available?

As per informations and explanations produced
by the Company management and verification of
related records with respect to land, we report
that:

a) As per Jamabandi Assessment Records
dated 7th February 2015 issued by Office
of the Circle Officer, Naharkatia Rev. Circle,
the Company is the recorded pattadar of
freehold land measuring 2611 Bighas 2
Kottah 13.5 Lessa.

b) The Company is stated to be in possession of
freehold land measuring 1 Bigha, 18 lessa,
which is mutated in the name of its parent
company Fertilizer Corporation of India.

2. Whether there are any cases of waiver/ write
off of debts/ loans/ interest etc. If yes, the
reasons thereof and the amounts involved:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ऋणों/उधार/ब्याज आदि को माफ नहीं किया है/बट्टे खाते में नहीं डाला है।

3- D; kr r h i { k d j d s i k j [h x b Z e k y & l p h r F k l j d k j ; k v U i f / k d f j ; k a l s m i g k j @ v u o k u d s : i e a i h r i f j l a f y k k a d k m f p r f j d k M Z j [k t k r k g A

आम तौर पर कंपनी अपनी निजी माल-सूची को स्वयं ही रखती है और तृतीय पक्षकार की अभिरक्षक के अंतर्गत माल-सूची को रखने की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है, तथापि मार्ग में आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली माल-सूची परिवहनकर्ता के पास होती हैं और कंपनी मार्ग में अपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है।

कंपनी ने सरकार और अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई विशिष्ट परिसंपत्तियां प्राप्त नहीं की हैं, तथापि कंपनी नियंत्रित मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री पर खर्च की गई प्रचालन संबंधी हानि की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से भारत सरकार से आवर्ती राजसहायता प्राप्त करती है। कंपनी ने ऐसी आवर्ती राजसहायता की प्राप्तियों/वसूली का उचित रिकार्ड रखा है। कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकारियों से कोई उपहार/अनुदान के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

2- fo Y k h o " k Z 2017 & 18 d s f y , d a u h v f / k u ; e j 2013 d h / k j k 143 1 / 2 d s v a x z m i & f u n s k

1- v f r O e . k ; f n d k o Z g k d s r g r H f e d s { k d k m Y y s k d j k v k b l s g V k u s d s f y , d a u h } k j k m B k x , d n e k a d k l k i e a L i " V d j A

नाहरकटिया राजस्व सर्कल के अधिकारियों के साथ किये गए बीवीएफसीएल भूमि (टाइप V क्षेत्र के पिछली ओर) के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार, दिनांक 23.11.2016 का, अतिक्रमण के अधीन कंपनी की कुल भूमि की 8 बीघा, 1 कट्टा और 12.50 लेसा (कुल 119880 वर्ग फीट) के रूप में पहचान की गई थी।

The Company has not waived / written off of debts/ loans/ interest etc. during the Financial Year 2017-18.

Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift(s) / grant (s) from Govt. or other authorities.

The Company is generally itself custodian of its own inventory and there is no prevalent system of keeping the inventories under the custodian of third parties, however inventories in transit is generally used to be in custody of transporter and the company is maintaining proper records of its inventories in transit.

The Company has not received any specific assets as gift(s)/ grants from Govt. or other authorities, however the company is in receipts of recurring subsidies from Govt. of India for the purpose to compensate the operational loss incurred on sale of Fertilizers at controlled price. The company has maintained proper records with respect to receipts/ receivables of such recurring subsidies. The Company has not received any assets as gift(s)/ grants from Govt. or other authorities, during the reporting period.

Sub- Directions under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2017-18

State the area of land under encroachment, if any, and briefly explain the steps taken by the company to remove the same.

As per Joint survey of BVFCL land (Back side of Type V Area) along with officials of Naharkatia revenue circle on 23.11.2016, total land of Company under encroachment was identified as 8 Bigha, 1 Katha and 12.50 lessa (Total 119880 Sq Ft.).

कंपनी ने अतिक्रमण को हटाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और दिनांक 31.03.2018 तक नाहरकटिया राजस्व मंडल अधिकारियों की मदद से 2 बीघा 8 लेसा भूमि (अर्थात् 29952 वर्ग फीट भूमि) पर अतिक्रमण हटाया गया है। अतः 31 मार्च 2018 को अतिक्रमण के तहत कंपनी की रिक्त भूमि का क्षेत्र 6 बीघा, 1 कोट्टा 4.50 लेसा है। (89928 वर्ग फुट) और कंपनी अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में अतिक्रमित भूमि को वापस लेने के लिए मामले को स्थानीय राज्य तंत्र के साथ निरंतर उठा रही है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन के साथ हुई विस्तृत चर्चा के अनुसार, और 31 मार्च 2018 को कंपनी के निजी टाउनशिप स्टॉफ क्वार्टरों की स्थिति के सत्यापन के अनुसार कंपनी के पास 2736 स्टॉफ क्वार्टर और इससे संबद्ध भूमि है तथा उक्त 2736 कर्मचारी क्वार्टरों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

Particulars	No. of Staffs Quarters and land appertains thereto
नियमित कर्मचारी को आवंटित	620
बाहरी लोगों, बीएसएनएल, सीआईएसएफ स्टाफ और केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ आदि को आवंटित	1420
प्रतिधारकों, तदर्थ, और संविदात्मक कर्मचारी को आवंटित	249
अयोग्य और खाली क्वार्टर	405
सार्वजनिक भवन	9
सेवा-निवृत्त/पूर्व कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत रूप से रखे गए क्वार्टर	28
कंपनी से असंबद्ध अनधिकृत कब्जाधारी	5
Total	2736

Company has initiated steps to remove the encroachment and with the help of Naharkatia Revenue Circle Official till 31.03.2018, 2 Bigha 8 lessa land (i.e. 29952 sq ft Land) has been recovered. Hence, as on 31st March 2018, area of Company's vacant land under encroachment is 6 bigha 1 kotta 4.50 lessa. (89928 sq ft.) and the company is in constant perusal with local State Machineries for getting back the encroached land under its safe custody.

As per detailed discussions with management of BVFCL and the verification of status records to Company's owned Township Staff Quarters, as on 31st March 2018 the Company has 2736 Nos. of Staff quarters and land appertains thereto and the present status of the said 2736 Nos. of Staff quarters are as under:

Particulars	No. of Staffs Quarters and land appertains thereto
Allotted to Regular Employee	620
Allotted to outsiders, BSNL, CISF Staff & Kendriya Vidyalay Staff etc.	1420
Allotted to Retainers, Adhoc & Contractual Employees	249
Unfit & Vacant Quarters	405
Public Building	9
Quarters retained in unauthorised way by Retired/ Ex Employee	28
Unauthorised Occupants not related with Company	5
Total	2736



कंपनी ऊपर उल्लिखित 33 क्वार्टरों के संबंध में अनधिकृत स्टॉफ क्वार्टरों और उससे संबद्ध भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए मामले को स्थानीय राज्य तंत्र के साथ निरंतर उठा रही है।

इसके अलावा, 31 मार्च 2018 को बीएसएनएल, पुलिस विभाग, सरकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य बाहरी व्यक्तियों को दिए गए क्वार्टरों और परिसर के संबंध में 283.83 लाख रुपए का किराया काफी समय से लंबित है।

2- D; k fd, x, nkos ds: i eaHkj r l jdkj l s i Mr@ol y hxbZjkt l gk rk dh x. kuk mfr izlkj l s dh x bZg%

कंपनी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी 2018 को जारी पत्र सं. 12012/34/2015-एफपीपी और 12012/35/2015-एफपीपी में निर्धारित प्रति मी.टन अनंतिम तदर्थ रियायत दर के आधार पर उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) से प्राप्त प्राप्ति को 31 मार्च 2018 तक अपनी बेची गई वस्तुओं पर मूल्य राजसहायता का अपना दावा उचित प्रकार से रखा है और तदनुसार कंपनी ने 81.46 करोड़ रुपए के देय राजसहायता दावे के खिलाफ टिप्पणी सं. 2.16 में अपनी आय का भी लेखा-जोखा रखा है, जो लेखा परीक्षा, संशोधन और एफआईसीसी द्वारा पुष्टि के अधीन है।

कृते ikjd , M dāuh

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन: 302147ई

सीएजी एमपैनलमेंट सं. ईआर0855

g-@&

1/2 h fci u dēkj 1/2

भागीदार

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805

स्थान : नामरूप में शिविर

तिथि : 24.08.2018

The company is in constant perusal with local state machineries for getting back the unauthorised staffs quarters and land appertains thereto in respect of above referred 33 quarters.

Further to that there is substantial and long pending arrear of Rent amounting to Rs. 283.83 lakhs as on 31st March 2018 in respect of Quarters and Premises let out to outsiders like BSNL, Police Department, Govt. Department, Health Department and other individuals.

2. **Whether subsidy received/ recoverable from Government of India has been properly accounted for as per claims admitted.:**

The company has duly accounted its claim of price subsidy on its sold finished goods till 31st March 2018, receivables from Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) on the basis of provisional adhoc concession rate per MT prescribed in the Letter No. 12012/34/2015-FPP & 12012/35/2015-FPP both dated 12th January 2018 issued by Ministry of Chemicals & Fertilizers and accordingly the Company has also accounted in its income in Note No. 2.16 against the due subsidy claim of Rs. 81.46 Cr, which is subject to audit, revision and confirmations by the FICC.

For **PAIRK & CO**

Chartered Accountants

FRN: 302147E

CAG Empanelment No: ER0855

Sd/-

(CA Bipin Kumar)

Partner

ICAI Membership No. 059805

Place: Camp in Namrup

Date: 24.08.2018

ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक सं. लि.
31 मार्च 2018 तक का =

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
Balance Sheet as at 31st March, 2018

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	fooj.k		PARTICULARS	fVli.f.k l a Note No.	31 ekpZ 2018 dks as at 31st March, 2018	31 ekpZ 2017 dks as at 31st March, 2017
I	bfDoVh vls ns rk a	I	EQUITY AND LIABILITIES			
d	'ks j/kj d fuf/k	A	Shareholders' Funds			
	(क) शेयर पूंजी		(a) Share Capital	2.1	36,583.24	36,583.24
	(ख) रिजर्व व अधिशेष		(b) Reserves and Surplus	2.2	(28,650.53)	(26,533.14)
					7,932.71	10,050.10
[k	xj&orZku ns rk a	B	Non-Current Liabilities			
	(क) दीर्घावधि उधार		(a) Long-Term Borrowings	2.3	57,275.00	57,275.00
	(ख) आस्थगित कर देनदारियां		(b) Deferred Tax Liabilities	2.4	-	132.18
	(ग) अन्य दीर्घावधि देनदारियां		(c) Other Long-Term Liabilities	2.5	1,478.87	1,349.96
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान		(d) Long-Term Provisions	2.6	3,848.72	3,298.10
					62,602.59	62,055.24
x	orZku nsinkj; ka	C	Current Liabilities			
	(क) व्यापार भुगतान		(a) Trade Payables	2.7	3,452.13	3,334.17
	(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां		(b) Other Current Liabilities	2.8	4,690.94	8,793.55
					8,143.07	12,127.72
	; ks 1/2 [ks x 1/2		TOTAL (A + B + C)		78,678.37	84,233.06
II	ifj l á fYk ka	II	ASSETS			
?k	xj&orZku ifj l á fYk ka	D	Non-Current Assets			
	(क) स्थायी परिसंपत्तियां		(a) Fixed Assets			
	(i) मूर्त संपत्तियां		(i) Tangible Assets	2.9	31,050.75	33,242.55
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		(ii) Intangible Assets	2.9	1.70	1.70
	(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		(iii) Capital Work-in-Progress	2.9	423.89	723.64
	(iv) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियां		(iv) Assets held for sale	2.9	-	846.80
	(v) अमूर्त संपत्तियां (परियोजना)		(v) Intangible Assets (Project)	2.9	712.99	725.67
	(ख) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		(b) Long-Term Loans and Advances	2.10	5.84	6.47
					32,195.17	35,546.83



p	orZku ifl á fñk la	E	Current Assets			
	(क) माल-सूची		(a) Inventories	2.11	4,978.86	6,056.92
	(ख) व्यापार प्राप्तियां		(b) Trade Receivables	2.12	8,740.44	27,560.69
	(ग) नकदी एवं नकदी समकक्ष		(c) Cash and Cash Equivalents	2.13	30,678.40	13,818.98
	(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम		(d) Short-Term Loans and Advances	2.14	1,377.54	1,038.06
	(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		(e) Other Current Assets	2.15	707.96	211.58
					46,483.20	48,686.23
	; ló ½k \$ p½		TOTAL (D + E)		78,678.37	84,233.06
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		Significant Accounting Policies	1		
	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां		Notes on Financial Statements	2.1 to 2.32		

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./—

vkj-ds xqrk
कंपनी सचिव

Sd/-

R.K. Gupta
Company Secretary

ह./—

l t; elgsojh
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 653170
Sd/-
Sanjai Maheshwari
Director (Finance)
डीआईएन DIN - 653170

ह./—

, l -Mh fl g
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 6386219
Sd/-
S.D. Singh
Chairman & Managing Director
डीआईएन DIN - 6386219

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed.

ðrs ikjd , M dáuh
For Parik & Co

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants,

ह./—

l h fcfiu dqlj
भागीदार

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805

सीएण्डएजी एमपैनलमेंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855

स्थान : नामरूप
Place : Namrup

Sd/-

CA Bipin Kumar
Partner

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E

दिनांक : 24.08.2018
Date : 24.08.2018

ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक सं. लि.
31 अप्रैल 2018 तक का वार्षिक, आगामी दि. 31 मार्च, 2018

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2018

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	दि. 31 मार्च, 2018	दि. 31 मार्च, 2017
विवरण	31 अप्रैल 2018 का अवधि समाप्त 31 मार्च, 2018	31 अप्रैल 2017 का अवधि समाप्त 31 मार्च, 2017
A REVENUE		
प्रचालनों से राजस्व (सकल)	38,146.03	44,720.74
घटाएं : उत्पाद शुल्क	29.91	158.89
प्रचालनों से राजस्व (निवल)	38,116.12	44,561.85
अन्य आय	4,198.48	1,711.81
; कुल 1/2	42,314.60	46,273.66
B EXPENSES		
उपभोग्य सामग्रियों की लागत	9,326.15	10,758.15
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	805.70	366.99
तैयार वस्तुओं की माल-सूची में परिवर्तन और मध्यवर्ती उत्पाद (अमोनिया) / वस्तुएं और स्टॉक-इन-ट्रेड	860.77	(1,990.00)
कर्मचारी हित लाभ व्यय	6,109.52	6,212.25
वित्तीय लागत	-	10.43
मरम्मत व अनुरक्षण	1,282.27	1,052.49
विद्युत और ईंधन	15,857.40	17,352.77
भाड़ा और हैंडलिंग व्यय	4,061.67	4,921.23
मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	3,632.43	3,561.41
अन्य व्यय	2,628.26	3,278.31
; कुल 1/2	44,564.17	45,524.03
C Profit / (Loss) before extraordinary item (A-B)	(2,249.57)	749.63
D Extra ordinary item transfer of Capital Reserve	2,196.00	-
E Loss after Extra Ordinary Item	(53.57)	749.63
F Tax Expense:		
(क) वर्तमान कर	-	-
(ख) आस्थगित कर	(132.18)	-
G Profit / (Loss) for the year	78.61	749.63



आय प्रति शेयर (1,000/- रुपए के प्रत्येक)	Earnings per share (of ₹ 1,000/- each):	2.28		
मूल और मिश्रित	Basic and Diluted		2.15	20.49
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant Accounting Policies	1		
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	Notes on Financial Statements	2.1 to 2.32		

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./—
वकील-सचिव
कंपनी सचिव

Sd/-
R.K. Gupta
Company Secretary

ह./—
ल. महेश्वरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 653170
Sd/-
Sanjai Maheshwari
Director (Finance)
डीआईएन DIN - 653170

ह./—
डी.एस. सिंग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 6386219
Sd/-
S.D. Singh
Chairman & Managing Director
डीआईएन DIN - 6386219

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed.

डॉ. पारिक & कौ
For Parik & Co

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants,

ह./—
ल. बीपीन कुमार
भागीदार

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805

सीएण्डएजी एमपैलनमेंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855

स्थान : नामरूप
Place : Namrup

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E

दिनांक : 24.08.2018
Date : 24.08.2018

Sd/-
CA Bipin Kumar
Partner

ब्राह्मपुत्र घाटी उर्वरक संयंत्र लिमिटेड
31 अप्रैल 2018 तक की वित्तीय वर्ष, उद्घाटन तिथि तक

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2018

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
वित्तीय वर्ष में प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त नकद	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
प्रति वर्ष	Profit/(Loss) before tax :	78.61	749.63
जमा: प्रचालन कार्यकलाप के अलावा तथा गैर-नकद मदों और अन्य के लिए समायोजन	Add: Adjustments for Non Cash items & other than Operating Activities		
— मूल्य ह्रास	- Depreciation	3,632.43	3,562.10
— भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों के पुरानेपन के लिए प्रावधान	- Provision for Obsolescence of stores & Spares	82.85	(97.23)
— छुट्टी के नकद भुगतान के लिए प्रावधान	- Provision for Leave Encashment	223.02	309.76
— संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	Provision for doubtful advances	-	21.22
— उपदान के लिए प्रावधान	- Provision for Gratuity	345.86	150.76
— खुले औजारों के लिए मूल्य ह्रास	- Depreciation on Loose Tools	-	0.26
— प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों की तुलना में बट्टे खाते में डाली गई नियत परिसंपत्तियां	- Fixed Assets written off against replaced assets	85.42	81.30
— नियत परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए प्रावधान भंडार और अतिरिक्त पुर्जों	- Provision for Impairment of fixed assets & stores and spares	-	(422.54)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts	61.51	20.22
वापस लिखी गई परिसंपत्तियों हेतु कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं	Provision no longer required written back	(2,232.58)	(12.05)
आस्थगित कर देयताएं	Deferred Tax Liabilities	(132.18)	
		2,066.33	-
वित्तीय वर्ष में प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त नकद	Cash flow from Operation Before Working Capital Changes, Taxes & Extraordinary Items	2,144.94	4,363.43
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के लिए समायोजन:	Adjustments for Working Capital changes :		
— व्यापार और अन्य प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	- (Increase)/Decrease in Trade and Other Receivable	18,820.25	14,623.07
— माल-सूची में (वृद्धि)/कमी	- (Increase)/ Decrease in Inventory	995.21	(1,664.16)
— व्यापार देयता और अन्य देयता में वृद्धि/कमी	- Increase/(Decrease) in Trade Payable and other payables	(665.53)	(3,820.60)
— अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि	- Increase in Advance & other Current Assets	(897.37)	
— उपदान और छुट्टी का नकद भुगतान	- Gratuity and Leave encashment paid	(995.61)	17,256.95
		19,401.89	12,655.72
— असाधारण सामान्य मदें	- Extra Ordinary Items	-	-
— पूंजी रिजर्व का अंतरण	- Transfer of Capital Reserve	(2,196.00)	
वित्तीय वर्ष में प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त नकद	Cash Inflow from Operating Activities (A)	17,205.89	12,655.72
वित्तीय वर्ष में निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकद	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
नियत परिसंपत्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(1,526.05)	(2,327.25)



सीडब्ल्यूआईपी के लिए अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Advances for CWIP		1,179.58		1,756.13
fuosk dk Zlyki l sudn i mlg ¼ k½	Cash Outflow from Investing Activities (B)		(346.47)		(571.12)
foñr dk Zlyki l sudn i mlg %	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :				
udn vñs udn led{k ea fuoy udn of) %d + [k+ x½	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS: (A + B + C)		16,859.42		12,084.60
o"lZds' h ea udn vñs udn led{k%	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR :		13,818.98		1,734.38
o"lZds va ea udn vñs udn led{k%	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR:		30,678.40		13,818.98

विवरण :-

- नकदी और नकदी समकक्ष में शामिल है: नकदी और बैंक बकाया, अल्पावधि और अन्य जमा राशि, जो अत्यधिक तरल और नकदी हैं, और इसे आवश्यकता पड़ने पर निकाला जा सकता है।
- नियत परिसंपत्तियों की खरीद निवल समायोजन के रूप में दर्शाई गई है।
- नकद प्रवाह विवरण लेखांकन में निर्धारित अनुसार "अप्रत्यक्ष पद्धति" के अंतर्गत तैयार किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर मानक (एएस) - 3
- पिछले वर्ष के आंकड़ों का, जहां-कहीं आवश्यक पाया गया, पुनः समूह/पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि की जा सके।

Notes:

- Cash and Cash Equivalents include : Cash & Bank Balances, Short term and other deposits, which are highly liquid and encashable as and when needed.
- Purchase of fixed assets has been shown net of adjustments.
- Cash Flow Statement has been prepared under the "Indirect method" as set-out in Accounting Standard (AS) - 3 on Cash Flow Statement issued by ICAI
- Previous Year's figures have been regrouped / rearranged, wherever found necessary to confirm to current year's presentation.

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./-
vñj-ds xñrk
कंपनी सचिव

Sd/-
R.K. Gupta
Company Secretary

ह./-
l a ; elgñojh
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 653170
Sd/-
Sanjai Maheshwari
Director (Finance)
डीआईएन DIN - 653170

ह./-
l -Mñ fl g
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 6386219
Sd/-
S.D. Singh
Chairman & Managing Director
डीआईएन DIN - 6386219

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed.

For Parik & Co

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants,

ह./-
l h fcfiu dñkj
भागीदार

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805

सीएण्डएजी एमपैनलमेंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855

स्थान : नामरूप
Place : Namrup

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E

दिनांक : 24.08.2018
Date : 24.08.2018

Sd/-
CA Bipin Kumar
Partner

वित्तीय विवरणों का हिस्सा: वित्तीय विवरणों का हिस्सा
Notes forming part of the financial statements

वित्तीय विवरणों का हिस्सा: वित्तीय विवरणों का हिस्सा

वित्तीय विवरणों का हिस्सा: वित्तीय विवरणों का हिस्सा

- (i) नियत परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्य ह्रास घटा कर दिखाया जाता है।
- (ii) लागत में क्रय तथा समस्त खर्च जैसे संस्थापन लागत, आवक मालभाड़ा, गैर धनवापसी योग्य कर, तथा इसके वर्तमान स्थान पर इसके प्रयोग में लाए जाने तक के लिए कोई अन्य खर्च शामिल हैं।
- (iii) नियत परिसंपत्तियों की लागत के अलावा, निर्माण और स्थापना अवधि के दौरान खर्च राजस्व व्यय वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने तक पूंजी में परिणत किया जाता है। वाणिज्यिक उत्पाद के शुरू होने से पूर्व आनुशंगिक आय को परियोजना की लागत में शामिल किया जाता है।
- (iv) संयंत्र और मशीनरी के संयोजन में प्रमुख मरम्मत और नवीकरण और प्रतिस्थापन शामिल है जो संयंत्र की आयु और दक्षता बढ़ा देगा। ऐसे मामलों में, यदि बदली गई परिसंपत्ति का लिखित न्यूनतम मूल्य पता न लगाया जा सकता हो तो लेखाओं में समायोजन के लिए तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है।
- (v) मशीनरी पुर्जे, जिन्हें केवल नियत परिसंपत्तियों की मरम्मत के संबंध में ही इस्तेमाल किये जा सकते हैं और जिनका उपयोग नियमित होने की संभावना है, को पूंजीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणों का हिस्सा: वित्तीय विवरणों का हिस्सा

- (i) 5,000/- रुपए तक की मशीनरी, उपकरणों का मूल्य ह्रास सम्बंधित किये जाने वाले वर्ष में पूर्णतः किया जाता है।
- (ii) मूल्य ह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II में निर्धारित संशोधित दरों पर "सीधी रेखा पद्धति" पर व उपयोगी जीवन के अनुसार किया जाता है।

NOTE 1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(A) FIXED ASSETS

- (i) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation.
- (ii) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as installation cost, inward freight, non-refundable taxes and any other expenses incurred for bringing the asset in its current location till it is ready to use.
- (iii) Apart from cost of Fixed Assets, Revenue Expenditure incurred during construction and commissioning period is capitalized till commencement of commercial production. Incidental Income prior to commencement of commercial production is set-off against the cost of the Project.
- (iv) Additions to Plant & Machinery include major repairs as well as renewals and replacements which will increase life and efficiency of the Plant. In such cases, if the written down value of the assets replaced is not ascertainable, technical valuation is made for adjustment in the accounts.
- (v) Machinery spares which can be used only in connection with an item of fixed assets and whose use is expected to be irregular are capitalized.

(B) DEPRECIATION AND AMORTISATION

- (i) Machinery, Equipments and Office Appliances costing up to ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.
- (ii) Depreciation is charged on "Straight Line Method", as per useful life and rate of depreciation specified in the Schedule – II of the Companies Act, 2013 .

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

- | | |
|--|--|
| (iii) उपर्युक्त पैरा क (v) में उल्लिखित मशीनरी पुर्जों की लागत मूल संयंत्र में उपयोगी आयु के अनुसार परिशोधित किया जाता है। | (iii) The cost of Machinery spares referred to in Para A (v) above are amortized over the useful life of the Original Plant. |
| (iv) परिसंपत्तियों को स्थापित करने और उनका इस्तेमाल करने पर मूल्य ह्रास का प्रावधान किया जाता है। | (iv) Depreciation is provided on the assets after they are certified to be installed and put to use. |

1/2 1/2 m/kj ykxr

अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन/निर्माण के संबंध में खर्च की गई उधार लागत उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकृत हैं जब ये परिसंपत्तियां वांछित उपयोग करने के लिए तैयार हों। अन्य उधार लागत को वर्ष में खर्च के रूप में लिखा जाता है जिनमें यह खर्च की गई हो।

(C) BORROWING COST

Borrowing costs incurred in relation to the acquisition/construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets up to the date when such assets are ready for intended use. Other borrowing costs are charged as an expense in the year in which these are incurred.

1/2 1/2 eky&l pht ka

(D) INVENTORIES

- | | |
|---|--|
| (i) माल-सूची में कच्ची सामग्रियां, पैकिंग सामग्री, भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे, अर्द्ध-तैयार उत्पाद/वस्तुएं और तैयार स्टॉक शामिल हैं। | (i) Inventory includes Raw Materials, Packaging Material, Stores & Spares, Intermediate product/goods and finished stock. |
| (ii) कच्ची सामग्री का मूल्य लागत पर दिया गया है (मासिक भारित औसत)। | (ii) Raw Materials are valued at cost (monthly weighted average). |
| (iii) पैकिंग सामग्रियों तथा भंडार गृह और अतिरिक्त पुर्जों के मासिक भारित औसत या तकनीकी अनुमान, जो भी कम हो, के आधार पर लागत (जिसमें वर्तमान स्थिति और स्थल को सामग्रियों तक लाने का आनुशंगिक व्यय शामिल है तथा कर प्राधिकारियों से कंपनी द्वारा वसूले गए शुल्क और करों को घटाकर) का मूल्य लिया जाता है। | (iii) Packaging Materials and Stores & Spares are valued at Cost (inclusive of expenses incidental to bring the materials to the present condition and location less duties and taxes recoverable by company from taxing authorities) on the basis of monthly weighted average or technical estimates, whichever is lower. |
| (iv) खुले उपकरणों को तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला गया है। | (iv) Loose tools are written-off over a period of three years. |
| (v) स्टॉक : | (v) Stocks of : |
| (क) तैयार वस्तुएं :- | (a) Finished Goods :- |

यूरिया का मूल्य न्यून लागत पर या निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर लिया जाता है जिसमें

Urea is valued at lower of cost or net realizable value comprising concessional

वित्तीय विवरणों का हिस्सा: वित्तीय विवरणों का हिस्सा
Notes forming part of the financial statements (contd.)

- रियायत मूल्य राजसहायता और भाड़ा राजसहायता शामिल होता है।
- (ख) अमोनिया जैसे मध्यवर्ती उत्पाद/वस्तुओं को लागत के कम मूल्य या निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर लिया जाता है।
- (ग) अग्रणीत खरीदे गये तैयार उत्पादों का मूल्य उसकी न्यून लागत या निवल प्राप्त योग्य मूल्य पर लिया जाता है।
- (घ) कंपनी ने न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य का पता लगाने के लिए पूंजी भंडारों तथा अन्य भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों के लिए माल सूची का वर्ष-वार प्रावधान करने के लिए एक व्यापक नीति बनाई है।
- price subsidy and freight subsidy.
- (b) Intermediate products/ goods like Ammonia is valued at lower of cost or net realizable value.
- (c) Bought out finished products – are valued at lower of cost or net realizable value.
- (d) The company has formulated a comprehensive policy for age wise provisioning of inventory for capital stores and other stores & spares on the book value for determining the lower of cost or net realizable value.

प्रावधान निम्नलिखित आधार पर बनाया जाता है:-

क्र.सं.	विवरण	प्रतिशत
1	3 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मर्दे	शून्य
2	3 से अधिक और 5 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मर्दे	5
3	5 से अधिक और 10 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मर्दे	10
4	10 से अधिक और 15 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मर्दे	25
5	15 से अधिक और 20 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मर्दे	50
6	20 वर्षों से अधिक उपयोग में न लाई गई मर्दे	95

वित्तीय विवरणों का हिस्सा

राजसहायता की बिलिंग और गणना गंतव्य स्थल पर उर्वरक की प्राप्ति के आधार पर की जाती है और खातों में राजसहायता को केवल बेची गई मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है और प्रचालनों से अर्जित राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि

The provision is made on the following basis:-

Sl. No.	Age wise item category	Provision %
1	Items not moved upto 3 years	Nil
2	Items not moved for more than 3 years & upto 5 years	5
3	Items not moved for more than 5 years & upto 10 years	10
4	Items not moved for more than 10 years & upto 15 years	25
5	Items not moved for more than 15 years & upto 20 years	50
6	Items not moved for more than 20 years.	95

(E) SUBSIDIES

The subsidy is billed and accounted for on the basis of receipt of fertilizer at the destination and credit for subsidy in the accounts is taken only for the quantities sold and stated in the Profit and Loss Statement as revenue from operations. However, pending receipt of

foYk, fooj. kds Hk ds: i eafVli.f. k k 1/2 kjh---1/2 Notes forming part of the financial statements (contd.)

विवरण में लिखा जाता है। तथापि, अंतिम निपटान के लिए एफआईसीसी से अधिसूचना के प्राप्त होने तक आदान मूल्यों में परिवर्तन के लिए राजसहायता में समायोजन की गणना दिशानिर्देशों, नीतियों, सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों और स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

notification from FICC for final settlement, the subsidy claim for variations in input prices is provided for in the accounts on the estimate basis taking into account the prevailing method, guidelines, policies, instructions and clarifications given by the Government.

1/2 jkt Lo ekL rk

- (i) एमएमटीसी के साथ समझौता-झापन (करार) के अनुसार तय दर के आधार पर निर्यात बिक्री को लेखा में शामिल किया जाता है बशर्ते कि भारत सरकार की नीति और उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समायोजन किया जाए।
- (ii) डिलीवरी आदेश और उचित बीजक के जारी होने पर स्वदेशी बिक्री को मान्यता दी जाती है।
- (iii) आय/व्यय की सामान्यतः प्रोद्भूत आधार पर गणना की जाती है जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया जाए।
- (iv) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज की गणना मूलधन की पूरी वसूली होने के बाद की जाती है।
- (v) कबाड़/बचे हुए माल/अपशिष्ट सामग्रियों की गणना बेचने पर ही की जाती है।

1/2 i v&inYk Q ;

आने वाले वर्षों से संबंधित अग्रिम के खर्च किए गए प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपए तक व्यय लेखाबद्ध की जाती है जिस वर्ष में खर्च किया गया हो।

1/2 vof/k&iwZl ek kt u

पूर्व अवधि (अवधियों) से संबंधित आय/व्यय की गणना केवल भूल-चूक के मामलों में ही की जाती है।

1/2 vLFkxr jkt Lo vLj fodkl Q ;

निर्माण अवधि के दौरान बिक्री संवर्धन, स्टॉफ प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास, आदि पर खर्च की गई राशि को पांच वर्षों की अवधि के लिए बट्टे खाते में डाला जाता है।

(F) REVENUE RECOGNITION

- (i) Export sale accounted for based on the rate as per Memorandum of Understanding (Agreement) with MMTC subject to the adjustment as per policy and guidelines issued by the Govt. of India.
- (ii) Indigenous Sales is recognized on issue of Delivery Order and proper invoice.
- (iii) Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise specifically stated.
- (iv) Interest on Advances to Employees is accounted for after the principal is fully recovered.
- (v) Scrap/Salvage/Waste Materials are accounted for as and when sold.

(G) PRE-PAID EXPENSES

Expenditure up to ₹ 10,000/- in each case incurred in advances relating to the following year(s), is accounted for in the year in which it is incurred.

(H) PRIOR PERIOD ADJUSTMENT

Income/Expenditure relating to prior period(s) is accounted for only in cases of errors or omissions.

(I) DEFERRED REVENUE AND DEVELOPMENT EXPENDITURE

Expenditure incurred on sales promotion, staff training, Research and Development etc. during construction period is written off over a period of five years.

वित्तीय विवरणों का हिस्सा: वित्तीय विवरणों का हिस्सा-1/2
Notes forming part of the financial statements (contd.)

1/4 1/2 मालाजि 0 ;

उत्प्रेरक की खपत के लिए किए गए व्यय को लेखांकन मानक के साथ समकक्षता बनाए रखने के लिए उसे राजस्व में अंतरित किया जाता है।

(J) EXPENDITURE ON CATALYST

Expenditure incurred towards consumption of catalyst is transferred to revenue to keep parity with relevant Accounting Standard.

1/4 1/2 लालफुल्लक

उपदान और छुट्टी नकदीकरण दायित्वों के लिए बीमांकित देनदारी का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(K) RETIREMENT BENEFITS

Provision for gratuity and leave encashment liability is made on the basis of actuarial valuation.

1/4 1/2 दाह धिक्कजि 1/4 ; लाल दस वरख
हलरकु

कंपनी की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान की गणना भुगतान किए जाने पर दर्ज की जाती है।

(L) PAYMENT UNDER COMPANY'S FAMILY PENSION SCHEME

Payment under Company's Family Pension Scheme is accounted for as and when paid.

1/4 1/2 लाल रक वल्लक & लाल, ल

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के लिए सहायता अनुदान के उपयोग की गणना नकद आधार पर की जाती है।

(M) GRANT IN AID-VRS

Utilization of Grant in Aid against Voluntary Retirement Scheme is accounted for on cash basis.

1/4 1/2 वल्लल्लर दल्लकु

विवेक, समय भिन्नता, करयोग्य तथा लेखांकन आय/व्यय के मध्य ऐसी भिन्नता, जो एक ही अवधि में हुई हो तथा एक अथवा अधिक अनुवर्ती अवधि (अवधियों) में परिवर्तन योग्य होने की शर्त पर आस्थगित कर के लिए अभिज्ञान किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का अभिज्ञान ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों पर पर्याप्त भावी करयोग्य आय प्राप्त होने की "वास्तविक निश्चितता" न होने तक नहीं किया जाता है।

(N) DEFERRED TAXATION

Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence, on timing differences, being difference between taxable and accounting income/expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period(s). Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "Virtual Certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

1/4 1/2 फल्लक लल्लल्ल

भावी ठेकों में शामिल न की गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर लिखा जाता है। नियत परिसंपत्तियों से संबंधित विनिमय अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। अन्य कोई विनिमय अंतर को लाभ और हानि लेखा में डाला जाता है।

(O) FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Foreign currency assets and liabilities not covered by forward contracts are stated at rates ruling at the year end. Exchange differences relating to fixed assets are adjusted in the cost of the assets. Any other exchange differences are dealt with in the Profit and Loss Account.

foYk, fooj. kods Hkx ds: i eafVlif. k la 1/2 kjh---1/2
Notes forming part of the financial statements (contd.)

1/2 ifj1 a fYk kcdk vi{k 1/2 Eijs je1/2

किसी परिसम्पत्ति की वहन लागत, उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर उसे अनर्जक परिसंपत्ति माना गया है। अनर्जक हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है, जिस वर्ष में ऐसी परिसम्पत्ति की पहचान की गई थी तथा उसके अनर्जक होने की घोषणा की गई थी। वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव होने की स्थिति में अभिज्ञात की गई अनर्जक हानि के संबंध में पूर्व लेखांकन अवधि में बदलाव किया जाता है।

1/2 fuosk

सभी निवेशों का उल्लेख लागत पर किया गया है। तथापि, निवेशों के मूल्य में अस्थायी के अलावा गिरावट का पता लगाने के लिए मूल्य अवनति का प्रावधान किया गया है।

1/2 vkdfLed mUjnkf; Ro

किसी प्रावधान को तब पहचाना जाता है जब कंपनी के पास पिछले कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों के बहिष्काव को फिर दायित्व का निपटान करना होगा जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (कर्मचारी के लाभ को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है, और उन्हें तुलनपत्र की तारीख पर दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित उत्कृष्ट अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्कृष्ट अनुमानों को पुनः प्राप्त करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देनदारियों का टिप्पणियों में खुलासा किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है और न ही इनका खुलासा किया जाता है।

कंपनी के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से कर्मचारियों / ग्राहकों / आपूर्तिकर्ताओं, आदि द्वारा कर या अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाही द्वारा

(P) IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Profit & Loss Account in the year in which an asset is identified and declared as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

(Q) INVESTMENTS

All investments are stated at cost. However, a provision for diminution in value is made to recognize a decline other than temporary in the value of investment.

(R) CONTINGENT LIABILITIES

A provision is recognized when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding employee benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

The Company's pending litigations comprise of claims by or against the Company primarily by the employees/ customers/suppliers, etc. and

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

या कंपनी के खिलाफ दावे शामिल होते हैं। कंपनी ने अपने लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और अपने वित्तीय विवरणों में जहां अपेक्षित है और जहां लागू है, वहां आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी का मानना है कि इन कार्यवाहियों के परिणामों का इसके वित्तीय विवरणों पर भौतिक रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और आकस्मिक देनदारियों के लिए उपयुक्त खुलासा टिप्पणी सं. 2.29 में दिया गया है।

proceedings pending with tax and other government authorities. The Company has reviewed its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where Provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements. The Company does not expect the outcome of these proceedings to have a materially adverse effect on its financial statements and appropriate disclosure for contingent liabilities is given refer note no.2.29

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./—
वर्तमान अध्यक्ष
कंपनी सचिव

Sd/-
R.K. Gupta
Company Secretary

ह./—
लक्ष्मी केशव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 653170
Sd/-
Sanjai Maheshwari
Director (Finance)
डीआईएन DIN - 653170

ह./—
लक्ष्मी केशव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 6386219
Sd/-
S.D. Singh
Chairman & Managing Director
डीआईएन DIN - 6386219

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed.

द्वारा परीकृत, एम. दाह
For Parik & Co

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants,

ह./—
लक्ष्मी केशव
भागीदार

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805

सीएण्डएजी एमपैनलमेंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855

स्थान : नामरूप
Place : Namrup

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E

दिनांक : 24.08.2018
Date : 24.08.2018

Sd/-
CA Bipin Kumar
Partner

वित्तीय विवरण के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण 2- वित्तीय विवरण के हिस्से के रूप में
NOTE No. 2. NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

	विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के रूप में	31 मार्च 2017 के रूप में
			as at 31st March, 2018	as at 31st March, 2017
	विवरण 2.1 : शेयर पूंजी	NOTE 2.1 : SHARE CAPITAL		
	अनुमोदित पूंजी	Authorised Capital :		
	प्रत्येक 1000/- रुपए के 51,00,000 इक्विटी शेयर	5,100,000 Equity Shares of ₹ 1,000/- each	51,000.00	51,000.00
	जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी:	Issued, Subscribed & Paid up Capital :		
	— प्रमोटरों का अंशदान	— Promoters' Contribution		
	प्रत्येक 1000/- रुपए के 100 इक्विटी शेयर	100 Equity Shares of ₹ 1,000/- each	1.00	1.00
	पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार से नकद में प्राप्त इक्विटी प्रत्येक 1000/- रुपए के 588000 इक्विटी शेयर	Equity received in cash from Govt. against Revamp 588000 Equity Shares of ₹ 1,000/- each	5,880.00	5880.00
	अन्य	Others		
	प्रत्येक 1000/- रुपए के 3,070,224 इक्विटी शेयर 01.04.02 से हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 05.04.2002 को निवल परिसंपत्तियों के अंतरण के लिए जारी किये गये।	3,070,224 Equity Shares of ₹ 1,000/- each issued against transfer of Net Assets as at 05.04.2002 w.e.f. 01.04.02 from Hindustan Fertilizer Corporation Limited.	30,702.24	30,702.24
			36,583.24	36,583.24
	5% शेयरों से अधिक के शेयरधारक रखने वालों का ब्योरा	The details of shareholders holding more than 5% shares :		
	क्र.सं. शेयरों की संख्या शेयरधारक का नाम	Sl. No. No. of shares Name of Share holders	% held	% held
	1. 3,658,224 भारत सरकार	1. 3,658,224 Govt. of India	100%	100%
	विवरण 2.2 : रिजर्व्स और ब्याज	NOTE 2.2 : RESERVES AND SURPLUS		
	क. भारत सरकार के ऋण को माफ करने के लिए पूंजी रिजर्व	A. Capital Reserve for Waiver of Govt Loan	-	2,196.00
	कुल 'A'	Total of 'A'	-	2,196.00
	प्रतिफल और नुकसान का विवरण	B. Statement of Profit and Loss		
	आरंभिक शेष	Opening Balance	(28,729.14)	(29,478.77)
	जमा: वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	Add: During the year Profit/(Loss)	78.61	749.63
	कुल 'B'	Total of 'B'	(28,650.53)	(28,729.14)
	कुल (A + B)	Total of (A + B)	(28,650.53)	(26,533.14)

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नामरूप-1 संयंत्र के सुधार के लिए भारत सरकार के दिनांक 12.06.2015 के पत्र सं. 18017/9/2008-एफसीए द्वारा 2196 लाख रुपये के ऋण को माफ करने के कारण 2196 लाख रुपये असाधारण आमदनी के रूप में दर्शाए हैं, जिसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निपटाया गया है। जैसा कि भारत सरकार के दिनांक 12.06.2015 के उपर्युक्त पत्र द्वारा पहले से ही अनुमोदित किया जा चुका है, कंपनी ने 2196 लाख रुपये को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इसे लाभ और हानि के विवरण में जमा करने की बजाय गलती से अपने पूंजी आरक्षित खाते में जमा कर दिया था। अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे नामरूप-1 संयंत्र का निपटारा कर दिया गया है, क्योंकि नामरूप-1 संयंत्र के सुधार के संबंध में भारत सरकार के ऋण को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2196 लाख रुपये की पूंजी रिजर्व राशि को असाधारण सामान्य आय माना गया है।

Note : The Company has shown ₹ 2196 Lakhs as extra ordinary income in the Financial Year 2017-18 on account of waiver of loan of ₹ 2196 Lakhs by GOI vide letter No. 18017/9/2008-FCA dated 12/06/2015, for revamp of Namrup - I Plant, which has been disposed off during the Financial Year 2017-18. As already approved by the GOI vide aforesaid letter dated 12/06/2015, company had credited its capital reserve account by ₹ 2196 lakhs during the financial year 2014 - 15 erroneously in place of crediting the same in statement of profit and loss. Now, during the financial year 2017 - 18 entire Namrup - I plant have been disposed off, as such the GOI loan with respect to revamp of Namrup - I Plant has been treated as extra ordinary income in the financial year 2017 - 18 by debiting the capital reserve account of ₹ 2196 lakhs.

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान		NOTE 2.3 : LONG-TERM BORROWINGS		
1-	विवरण	1. Unsecured Loan	31 मार्च 2018 के अंत में	31 मार्च 2017 के अंत में
	भारत सरकार से ऋण (भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण)	Loan from Govt. of India (Interest free loan from Govt)	57,275.00	57,275.00
	कुल	Total	57,275.00	57,275.00

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान		NOTE 2.4 : DEFERRED-TAX LIABILITIES		
	आस्थगित कर देनदारियां	Deferred Tax Liabilities	-	132.18
	कुल	Total	-	132.18

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 132.18 लाख रुपये तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी गई है और उसे मौजूदा आस्थगित कर देयताओं से समायोजित किया गया है।

Note: Deferred tax asset has been recognised to the extent of ₹ 132.18 lakhs during the financial year 2017-18 and adjusted against existing deferred tax liabilities.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान		NOTE 2.5 : OTHER LONG-TERM LIABILITIES		
1.	निम्नलिखित से प्राप्त हुई प्रतिभूति जमा राशि	1. Security Deposit received from		
	क) आपूर्तिकर्ता	a) Suppliers	167.69	142.77
	ख) ठेकेदार	b) Contractors	641.90	536.27
	ग) कर्मचारी	c) Employees	7.13	6.77
	घ) ग्राहक	d) Customer	127.26	129.26
2.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय	2. Payable to Hindustan Fertilizer Corporation Ltd	534.89	534.89
	कुल	Total	1,478.87	1,349.96

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के अंत तक	31 मार्च 2017 के अंत तक
नियमित 2-6% नुकसान/किसानों के लिए	NOTE 2.6 : LONG-TERM PROVISIONS		
1 दीर्घकालीन फंड के लिए, किसानों के लिए	1 Provisions for Employee Benefits		
उपदान के लिए प्रावधान	Provision for Gratuity	2,729.95	2,257.17
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for Leave Encashment	1,118.77	1,040.93
कुल	Total	3,848.72	3,298.10
2, 15 मार्च 2018 के अनुसार वित्तीय विवरणों के अनुसार & दीर्घकालीन फंड के लिए	2 Disclosure pursuant to AS 15 (Revised) 2005)-Employee Benefits:		
कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी कर्मचारी के लाभ के लिए एएस 15 (संशोधित 2005) अपनाया है।	The Company has adopted AS 15 (Revised 2005) for Employee Benefits issued by ICAI.		
अंगीकरण के परिणामस्वरूप, लेखांकन, आदि से संबंधित निम्नलिखित उद्घाटन एएस 15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत व्यवहार्य के अनुसार बनाए गए हैं।	Consequent to the adoption, the following disclosures related to accounting etc. are made as far as practicable under AS 15 (revised 2005) requirement.		
2.1 निश्चित योगदान योजना ; कुल	2.1) Defined Contribution Plans		
कर्मचारियों और कार्यपालकों के लिए भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान 417.04 लाख रुपए है। (पिछले वर्ष 426.07 लाख रुपए)	The Company's contribution to Provident Fund for employees and executives is Rs. 417.04 lakhs (Previous year Rs. 426.07 lakhs)		
2.2 निश्चित लाभ योजना ; कुल	2.2) Defined Benefit Plans		
लाभ परियोजनाएं, जो प्रचालन में हैं, भविष्य निधि और विशेष छुट्टी हैं। बाध्यता का वर्तमान मूल्य परियोजना इकाई क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करके बीमांकिक मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी के लाभ की पात्रता की अतिरिक्त इकाई बढ़ाते हुए मान्यता दी जाती है तथा अंतिम बाध्यता बनाने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा जाता है। विशेष छुट्टी के लिए बाध्यता को उपदान के रूप में उसी ढंग से मान्यता दी जाती है।	The Benefit Plans which are in operation are Gratuity Fund and Privilege Leave. The present value of the obligation is determined based on Actuarial Valuation using the Project Unit Credit (PUC) method, which recognizes each period of service as giving rise to additional unit of employee benefits entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation for Privilege Leave is recognized in the same manner as gratuity.		
2.3 विभिन्न जानकारी ; कुल	2.3) Various data as certified by Actuary :-		
दीर्घकालीन फंड के लिए, कुल वित्तीय विवरणों के अनुसार	A. Reconciliation of opening and closing balance of Defined benefits Obligation	Gratuity	Privilege Leave
वर्ष के शुरू में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	Present value of Obligation at the beginning of the year	3,068.92	1,364.17
अर्जन समायोजन	Acquisition Adjustment	-	-

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

ब्याज लागत	Interest Cost	214.91	88.11
पिछली सेवा लागत	Past Service Cost	-	-
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	148.91	503.67
कटौती लागत	Curtailment Cost	-	-
निपटान लागत	Settlement Cost	-	-
दिए गए लाभ	Benefits Paid	(555.79)	(439.82)
बाध्यताओं का बीमांकिक (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss of obligations	(17.96)	(368.77)
वर्तमान बाध्यता का प्रस्तुत मान वर्ष के अंत में	Present value of obligation at the end of the year	2,858.99	1,147.36
i) दीर्घावधि देनदारी	i) Long term liability	2729.95	1,118.77
ii) वर्तमान देनदारी	ii) Current liability	129.04	28.60
		2858.99	1147.37



(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

140

<p>p- mi ; Pr ij fVlif.k la</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत कंपनी की भविष्य निधि ट्रस्ट को दिनांक 08.09.2007 अधिसूचना सं. एस/620/छूट/सामान्य/1468 के माध्यम से छूट दी गई है। हालांकि, कंपनी की पिछली लाभप्रदता के कारण, ईपीएफओ ने छूट आदेश वापस लेने के लिए दिनांक 20.04.2009 की सं. एस/टीएसके/छूट/एपीसीएल/2008/287 के माध्यम से एक नोटिस जारी किया है। तत्पश्चात्, नामरूप फर्टिलाइजर श्रमिक यूनियन ने आरपीएफसी, तिनसुकिया द्वारा छूट आदेश को वापस लेने/रद्द करने के लिए माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की एक रिट याचिका सं. 5310 दायर की। इसके बाद, माननीय न्यायाधीश श्री आई.ए. अंसारी ने 7 अप्रैल 2010 के निर्णय द्वारा यह आदेश और निर्देश दिए कि अगला आदेश होने तक, प्रतिवादी बीवीएफसीएल के भविष्य निधि खाते को न्यायालय की जानकारी के बिना ईपीएफओ में स्थानांतरित नहीं करेगा। दिनांक 13.03.2018 को माननीय उच्च न्यायालय की अंतिम सुनवाई के दौरान, यह देखा गया था कि ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के पैरा 79 के तहत छूट प्रदान/रद्द करने के लिए आरपीएफसी को दी गई शक्तियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.07.12 के पत्र सं. सी-11/एमआईएससी/02/06/पूर्व/खंड-1/11854 द्वारा वापस ले लिया गया था। न्यायालय के पास भारत सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है अतः 2009 की रिट याचिका सं. 5310 को अनावश्यक मानते हुए तत्काल बंद कर दिया गया है।</p> <p>तथापि, हमारे दिनांक 07.05.2018 के पत्र सं. ए/छठी/पीएफ/छूट/18-19/10042 द्वारा ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के पैरा 17(1)(क) के तहत छूट देने के लिए अतिरिक्त सीपीएफ आयुक्त (छूट), ईपीएफओ, नई दिल्ली को एक अभ्यावेदन दिया गया है जो विचाराधीन है लेकिन अंतिम आदेश अभी प्राप्त होना है।</p>	<p>F. Notes on above</p> <p>The Company's Provident Fund Trust is exempted under section 17 of Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 vide Notification No. AS/620/Exempt / Gen/ 1468 dtd. 08.08.2007. However, due to past profitability of the company, EPFO has issued a notice vide No. AS/ TSK/ EXEMPT/ APCL / 2008 / 287 dtd. 20.04.2009 for withdrawal of relaxation order. Thereafter, Namrup Fertilizer Shramik Union filed a writ Petition No. 5310 of 2009 before the Hon'ble Guwahati High Court for set aside /quash the withdrawal of relaxation order by RPFC, Tinsukia. Subsequently, the Hon'ble Justice Mr. I. A. Ansari vide judgement dated 7th April 2010 has ordered and directed that until further order, the respondents shall not transfer the Provident Fund Account of BVFCL to EPFO without obtaining</p> <p>leave of the Court. During final hearing of the Hon'ble High Court on 13.03.2018, it was viewed that since power delegated to RPFC for grant /cancell of relaxation under para 79 of EPF & MP Act 1952 have been withdrawn by Ministry of Labour & Employment, Gol vide letter No. C - II / MISC/ 02 / 06/ EX / Vol - I / 11854 Date 24.07.12, The Court has no basis to cause interference with the impugned decision of the Gol and the instant Writ petition No. 5310 of 2009 stands closed as having become redundant. However, a representation has been made to Addl. CPF Commissioner (Exemption), EPFO, New Delhi vide our letter No. A/V/PF/ EXEMPT/ 18 - 19 / 10042 Date 07.05.2018 for grant of relaxation under para 17(1) (a) of EPF & MP Act.' 1952 which is under consideration but final order is yet to come.</p>	
--	--	--

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के as at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 के as at 31st March, 2017
वित्तीय विवरण 2-7 : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को देय	NOTE 2.7 : TRADE PAYABLES		
1 क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को देय	1 a) Due to Micro, Small & Medium Enterprises	52.50	67.83
ख. अन्य	b) Others	3,399.63	3,266.34
कुल	Total	3,452.13	3,334.17
2 एमएसएमई की उपर्युक्त राशि उपलब्ध सूचना से पहचान की गई है।	2 Above amount of MSME has been identified from available information.		
उपर्युक्त देयताओं को भुगतान 30 दिनों के अन्दर किया गया है।	Above dues have been paid within 30 days.		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर बकाया राशि का ब्योरा कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है जो निम्न प्रकार है।	The details of amounts outstanding to Micro, Small and Medium Enterprise under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act), based on the available information with the Company are as under:		
विवरण	Particulars	As at 31.03.18	As at 31.03.17
क) मूल देय राशि और भुगतान न की गई बकाया राशि	a. Principal amount due and remaining unpaid	-	-
ख) उपर्युक्त (क) पर देय राशि और भुगतान न किया गया ब्याज	b. Interest due on (a) above and unpaid interest	-	-
ग) एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विलंब से किए गए सभी भुगतानों पर दिया गया ब्याज	c. Interest paid on all delayed payments under the MSMED Act	-	-
घ) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान	d. Payment made beyond the appointed day during the year	-	-
ङ) उपर्युक्त (ग) के अलावा बिलंब की अवधि के लिए देय और दिया गया ब्याज	e. Interest due and payable for the period of delay other than (c) above	-	-
च) प्रोद्भूत ब्याज और भुगतान न की गई शेष राशि	f. Interest accrued and remaining unpaid	-	-
छ) आने वाले वर्षों में आगे देय और दिया जाने वाला ब्याज	g. Amount of further interest remaining due and Payable in succeeding years	-	-

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के as at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 के as at 31st March, 2017
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.8 : OTHER CURRENT LIABILITIES		
सांविधिक प्रेषण (भविष्य निधि, वैट, स्थगित कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि)	Statutory remittances (Contributions to PF, VAT Withholding taxes, Excise Duty, VAT, Service Tax etc)	157.64	336.81
ग्राहकों से अग्रिम	Advances from Customers	975.09	1,680.55
उपदान और अवकाश नकदीकरण की वर्तमान देनदारियाँ	Current dues of Gratuity & Leave encashment	157.64	1,134.99
अन्य	Others		
i) व्यापार देयताओं के अलावा विविध लेनदार	i) Sundry Creditors other than Trade Payables	1,888.10	4,057.13
ii) व्यय देयता	ii) Liability for Expenses	1,459.27	1,553.19
iii) अन्य देयताएं	iii) Other Liabilities	53.20	30.88
		4,690.94	8,793.55

Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में) (₹ in lacs)

NOTE 2.9 : FIXED ASSETS											
fooj. k	PARTICULARS	1 dy (yWl Gross Block			eW: gh @ifj] klu Depreciation / Amortisation			fMr dsk/klu Provision for Impairment		fuoy (yWl Net Block	
		01-04-2017 dls	ifjo/klu	l ek k u dls fy. t ek@ dVlsh	31-03-2018 dls	As at 31.03.2018	For the Year	oW dls fy. t ek@ dVlsh	01-04-2017 dls	31-03-18 dls	31-03-17 dls
		As at 01.04.2017	Additions	Deductions for Write off	As at 31.03.2018	Addition / Deduction for adjustment		Deductions for Write off	As at 01.04.17	As at 31.03.18	As at 31.03.17
A. TANGIBLE ASSETS											
		176.95	-	-	176.95	-	-	-	-	166.12	166.12
		3,971.10	-	-	3,971.10	13.48	-	-	-	333.69	347.17
		252.34	-	-	252.34	1.76	-	-	-	21.21	22.97
		103,662.72	1,489.91	(1,288.85)	103,737.48	3,569.03	(40.88)	(576.79)	-	29,420.50	32,297.10
		495.86	9.08	-	504.94	11.16	-	-	-	81.25	83.33
		228.75	1.33	-	231.08	200.71	4.13	-	-	26.24	29.04
		166.30	7.40	-	173.70	135.22	10.72	-	-	27.76	31.08
		255.96	18.33	-	274.29	227.48	4.40	-	-	42.41	28.48
		225.01	-	-	225.01	201.71	2.46	-	-	20.84	23.30
B. INTANGIBLE ASSETS		799.29	-	-	2,088.14	759.33	-	-	-	752.02	39.96
		583.35	-	-	583.35	409.35	15.29	-	-	158.71	174.00
		110,818.63	1,526.05	(126.30)	112,218.38	77,576.08	3,632.43	(40.88)	-	31,050.75	33,242.55
		34.07	-	-	34.07	32.37	-	-	-	1.70	1.70
		34.07	-	-	34.07	32.37	-	-	-	1.70	1.70
		110,852.70	1,526.05	(126.30)	112,252.45	77,608.45	3,632.43	(40.88)	-	31,052.45	33,244.25
		108,757.42	2,327.25	(231.97)	110,852.70	74,197.03	3,561.41	(150.68)	-	33,244.25	-
		725.67	-	(12.68)	712.99	-	-	-	-	712.99	725.67
		723.64	107.47	(407.22)	423.89	-	-	-	-	723.64	723.64
		723.64	107.47	(407.22)	423.89	-	-	-	-	423.89	723.64
ASSETS HELD FOR SALE											
		512.72	-	(512.72)	-						512.72
		334.08	-	(334.08)	-						334.08
		846.80	-	(846.80)	-						846.80

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण 2.9 : निम्नलिखित के हिस्से के रूप में

NOTE 2.9 : FIXED ASSETS (Contd.)

- दिनांक 05 अप्रैल 2002 को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ली गई नियत परिसंपत्तियों पर मूल लागत और संबंधित एकत्रित मूल्य ह्रास शामिल है।
- मूल्य ह्रास उपलब्ध कराया गया है या अन्यथा नीचे दिए गए अनुसार लिया/पुनः लिखा गया है:-

विवरण	Year	2017-18	2016-17
लाभ हानि का विवरण	Statement of Profit & Loss	3,632.43	3,561.41
जोड़ : पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	Add : Prior period adjustments (net)	0.00	0.69
कुल मूल्यह्रास	Total Depreciation	3,632.43	3,562.10

- कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को आंतरिक तकनीकी समिति में रिपोर्ट के आधार पर प्रतिस्थापित नियत परिसंपत्तियों के बट्टा खाता मूल्य के लिए वर्ष (पिछले वर्ष 81.30 लाख रुपए) के दौरान 85.42 लाख रुपए (मूल्य ह्रास का निवल) को बट्टे खाते में डाल दिया है क्योंकि बही मूल्य ज्ञात नहीं था। ऐसी प्रतिस्थापित अधिकांश परिसंपत्तियां पिछले वर्षों से संबंधित हैं।
- The company has written off ₹ 85.42 lakhs (net of depreciation) during the year (Previous year ₹ 81.30 lakhs) towards written down value of replaced fixed assets on the basis of report dated 03.07.2018 of an inhouse technical committee as on 31st March, 2018 since book value was not ascertainable. Major part of such replaced assets related to earlier years.



वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के अंत में	31 मार्च 2017 के अंत में
दीर्घकालीन ऋण और advances	NOTE 2.10 : LONG-TERM LOAN AND ADVANCES		
पूंजी अग्रिम	Capital Advances		
रक्षित, जिन्हें अच्छा माना गया	Secured, considered good	-	-
अरक्षित, जिन्हें अच्छा माना गया	Unsecured, considered good	5.84	6.47
संदिग्ध	Doubtful	25.60	45.32
घटाए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(25.60)	(45.32)
कुल	Total	5.84	6.47

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के रूप में as at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 के रूप में as at 31st March, 2017
विवरण 2-11 : भंडार	NOTE 2.11 : INVENTORIES		
1. मध्यवर्ती उत्पाद/वस्तुएं (अमोनिया) (न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य पर)	1. Intermediaries product (Ammonia) (valued at lower of cost or net realisable value)	177.34	353.40
2. तैयार वस्तुएं (व्यापार की प्राप्ति के अलावा)	2. Finished (other than those acquired for Trading)		
यूरिया (न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य पर जिसमें रियायत मूल्य राजसहायता के तत्व और भाड़ा राजसहायता शामिल है)	Urea (Valued at lower of cost or net realisable value including element of Concession Price Subsidy)	1,749.66	2434.36
3. अन्य (न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य पर)	3. Others (valued at lower of cost or net realisable value)		
खाद्यान्नों का स्टॉक	Stock of Food Grains	1.50	0.56
निरीक्षण के अधीन भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	Stores & Spares under inspection	1.77	68.45
मार्गस्थ में भंडार	Stores in Transit	428.82	0.91
		432.09	69.92
4. भंडार और अतिरिक्त पुर्जे (लागत पर)	4. Stores and spares (At cost)	4,126.47	4,791.22
पैकिंग सामग्रियों का स्टॉक (लागत पर)	Stock of packing materials (at cost)	65.29	156.06
घटा :	Less :		
क) पुरानेपन और इम्पेयरमेंट के लिए प्रावधान	a) Provision for obsolescence & Impairment	(1,541.32)	(1,717.37)
ख) कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for shortage	(30.67)	(30.67)
		2,619.77	3,199.24
कुल	Total	4,978.86	6,056.92

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तैयार वस्तु, मध्यवर्तियों तथा पैकिंग सामग्रियों (एचडीपीई बैग) का वास्तविक सत्यापन किया गया और पाई गई कमियों/क्षति को खातों में उचित प्रकार से दर्ज किया गया है।
- Physical verification of Finished Goods, Intermediaries, and Packing Materials (HDPE Bags) have been carried out during the financial year 2017-18 and discrepancies/ damages found have been properly dealt with in the accounts.
- कंपनी ने टिप्पणी 1(घ)(v)(घ) में उल्लिखित अनुसार भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों के लिए उनकी आयु के अनुसार प्रावधान करने के लिए एक व्यापक नीति बनाई है।
- The company has formulated a comprehensive policy for age wise provisioning for inventories of Stores and spares as stated in Note 1 (D)(v)(d).



वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के अंत तक	31 मार्च 2017 के अंत तक
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.12 : TRADE RECEIVABLES		
भुगतान के लिए देय तारीख से छः माह से अधिक अवधि की बकाया व्यापार प्राप्तियां	Trade receivables outstanding for a period more than six months from the date they were due for payment		
राजसहायता (भारत सरकार)	Subsidy (Government of India)	-	19,182.48
अन्य	Others	17.48	17.33
		17.48	19,199.81
छः माह से कम अवधि की व्यापार प्राप्तियां	Trade Receivable less than six months		
राजसहायता (भारत सरकार)	Subsidy (Government of India)	8,146.38	8,154.29
अन्य	Others	589.48	219.49
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful receivables	(12.90)	(12.90)
		8,722.96	8,360.88
कुल	Total	8,740.44	27,560.69
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	Aggregate of Trade receivables :		
अरक्षित, जिन्हे अच्छा माना गया	Unsecured, Considered good	8722.96	27560.69
अरक्षित, जिन्हे संदिग्ध माना गया	Unsecured Considered doubtful	12.90	12.90
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful receivables	(12.90)	(12.90)
		8722.96	27560.69

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के अंत में 31st March, 2018	31 मार्च 2017 के अंत में 31st March, 2017
विवरण 2-13 : नकद और नकदी तुल्य	NOTE 2.13 : CASH AND CASH EQUIVALENTS		
क नकद और नकदी तुल्य	A Cash and Cash Equivalent		
हाथ में नकदी	Cash in hand	0.59	2.62
कुल : ₹ 1.18	Total (A)	0.59	2.62
ख बैंक बलें	B Other Bank Balances		
(क) चालू लेखा में	(a) In Current Accounts	164.07	160.71
(ख) सावधि जमा राशि में	(b) In Term deposit accounts	30,026.61	13,648.95
(बारह माह या कम की परिपक्वता वाले)	(Having maturity of twelve months or less)		
(ग) बकाया धनराशि, उधार और अन्य वचनबद्धताओं के लिए मार्जिन धनराशि या सुरक्षा के रूप में रखी गई	(c) Balances held as margin money or security against borrowings, and other commitments.	487.13	6.70
कुल : ₹ 30,677.81	Total (B)	30,677.81	13,816.36
कुल : ₹ 30,678.40	Total (A + B)	30,678.40	13,818.98
विवरण 2-14 : अल्पकालीन ऋण और उधार	NOTE 2.14 : SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES		
व्यवस्थापित, पर्याप्त ऋण	Unsecured, considered good		
कर्मचारियों को ऋण और उधार	Loans and advances to employees	95.14	49.86
ठेकेदारों को उधार	Advance to contractors	151.89	151.89
उत्पाद और सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा राशि	Deposit with Excise & Govt. Authorities	235.79	184.59
आपूर्तिकर्ताओं को उधार	Advance to suppliers	101.66	13.69
अन्य उधार	Other Advances	662.73	540.90
आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध उधार	Doubtful advances to suppliers	44.99	44.99
घटाएँ: संदिग्ध उधार के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(44.99)	(44.99)
पूर्व प्रदत्त व्यय	Prepaid expenses	130.33	97.13
कुल : ₹ 1,377.54	Total	1,377.54	1,038.06

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के रूप में	31 मार्च 2017 के रूप में
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.15 : OTHER CURRENT ASSETS		
अन्य प्राप्तियाँ	Unsecured, considered good Other Receivables	92.71	128.03
अन्य प्राप्तियाँ	Unsecured, considered doubtful Other Receivables	231.53	170.03
घटा: संदिग्ध राशि के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful receivables	(231.53)	(170.03)
जमा पर अर्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	615.25	83.55
कुल	Total	707.96	211.58

अन्य प्राप्तियों में लाइसेंस शुल्क आदि के लिए देय 283.83 लाख रुपए (पिछले वर्ष 257.17 लाख रुपए) की राशि शामिल है। प्रबंधन बीएसएनएल, पुलिस विभाग प्राधिकारियों, सरकारी स्वास्थ्य विभाग और अन्य व्यक्तियों जैसी पार्टियों से बातचीत करके प्राप्त लाइसेंस शुल्क को नियमित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। उपर्युक्त प्रक्रिया के भाग के रूप में कुछ पार्टियों से देयताएं प्राप्त हो गई हैं। इसके अलावा, चूककर्ताओं को चेतावनी पत्र भी जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, काश्तकारी अधिनियम और नियमों के अंतर्गत अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, दोषी किराएदारों के खिलाफ किराए बिल दिए गए हैं। तथापि, लेखा मानक 9 "राजस्व मान्यता" के आधार पर कर्मचारियों के अलावा अन्य से लाइसेंस आदि के लिये 199.08 लाख रुपए (पिछले वर्ष 137.58 लाख रुपए) का प्रावधान किया गया है।

Other receivables include sundry debtors (Estate) amount ₹ 283.83 lakhs (Previous year ₹ 257.17 Lakhs) due against licence fee etc. The management is taking necessary initiatives to recover the licence fee receivables etc., by calling on the parties like BSNL, Police Department authorities, Govt. health department and other individuals. Dues from some of the parties have been received in the process. Moreover, warning letters have also been issued to the defaulters.

Further, in order to protect rights under Tenancy Act and rules, rental bills have been raised against the defaulting tenants. However on the basis of Accounting Standard 9 "Revenue Recognition", Provision has been kept against arrear licence fee etc. from other than employees ₹ 199.08 lakhs (Previous Year ₹ 137.58 lakhs).

वित्तीय विवरणों का हिस्सा: वित्तीय विवरणों का हिस्सा-1/2
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 तक as at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 तक as at 31st March, 2017
वित्तीय विवरणों का हिस्सा-1/2	NOTE 2.16 : REVENUE FROM OPERATIONS		
उत्पादों का बिक्री	A. Sale of Manufactured Products		
यूरिया	Urea	16,944.79	16,887.66
जैविक उर्वरक	Bio Fertilizer	20.98	9.22
कृमि खाद	Vermicompost	12.21	8.73
उत्पाद शुल्क	Excise Duty	29.91	158.89
कुल 'A'	Total of 'A'	17,007.89	17,064.50
व्यापक वस्तुओं का बिक्री	B. Sale of Trading Goods		
सिटी कंपोस्ट	City Compost	3.48	1.32
एसएसपी	SSP	819.60	371.00
कुल 'B'	Total of 'B'	823.08	372.32
कुल (A+B)	Total of (A+B)	17,830.97	17,436.82
सहायता प्राप्त/प्राप्त	Subsidy Received/Recoverable		
क. मूल्य राजसहायता	A. Price Subsidy	16,746.57	22,926.64
ख. भाड़ा राजसहायता	B. Freight Subsidy	3,568.49	4,357.28
		20,315.06	27,283.92
		38,146.03	44,720.74
घटा: उत्पाद शुल्क	Less : Excise Duty	29.91	158.89
वित्तीय विवरणों का हिस्सा-1/2	Revenue from Operations	38,116.12	44,561.85
ग. 20315.06 लाख रुपए (पिछले वर्ष 27,283.92 लाख रुपए) की प्राप्त/प्राप्त राजसहायता को लाभ और हानि में जमा की गई है। यह सरकारी अनुदानों के लिए एएस-12 लेखांकन के अनुसार किया गया है।	C. Subsidy received / receivable of ₹ 20315.06 lakhs (previous year ₹ 27283.92 lakhs) is credited to statement of profit and loss. This is followed as per AS- 12 Accounting for Govt. Grants.		
घ. उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) से अधिसूचना जारी होने तक 1599.76 लाख रुपए (पिछले वर्ष (-) 9370.70 लाख रुपए) के बढ़े हुए प्राप्य मूल्य राजसहायता से संबंधित समायोजन की गणना भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, नीतियों, अनुदशों और स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भूत आधार पर की गई है।	D. Pending notification from Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC), the adjustment relating to deescalation / escalation price subsidy payable / receivable amounting to ₹ 1599.76 lakhs (previous year ₹ (-) 9370.70 lakhs) has been accounted for on accrual basis taking into account the guidelines, policies, instructions and clarifications issued by the Govt. of India.		
ड. इसके अलावा, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2017 तक दिनांक 30 मई 2017 के भारत सरकार के पत्र सं. 12012/1/2016-एफपीपी के अनुसार 31 मार्च 2003 से आगे नामरूप-III पुनःगठित परियोजना में किए गए पूंजीगत व्यय की नियत लागत मान्यता लेखा समीक्षा की बहीयों में शून्य रुपए (पिछले वर्ष 3942.55 लाख रुपए) दिये गये हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा नियत लागत को मान्यता दी गई है और इसे नामरूप-III संयंत्र के रियायत मूल्य में शामिल किया गया है।	E. Further an amount of ₹ Nil (Previous year ₹ 3942.55 lakhs) have been provided in the books of accounts due to review of Capital expenditure incurred in Namrup- III Revamp Project beyond 31st March 2003 as per Gol letter No. 12012/1/2016 - FPP Dated 30th May '17 from 1st April 2014 to 31st March 2017. The fixed cost have been recognized by Department of Fertilizers, Govt. of India during 2017-18 & included in concession price of Namrup - III Plant.		



वित्तीय विवरणों का हिस्सा: वित्तीय विवरणों का हिस्सा
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के अंत तक	31 मार्च 2017 के अंत तक
वित्तीय विवरणों का हिस्सा	NOTE 2.17 : OTHER INCOME		
क. ब्याज आय	A. Interest income		
i) अल्पावधि जमा राशि पर ब्याज (160.37 लाख रुपए के टीडीएस की कटौती (पिछले वर्ष 60.95 लाख रुपए))	i) Interest on short term deposit (TDS deducted ₹ 160.37 lacs Previous year ₹ 60.95 lacs)	1,603.35	622.13
ii) टीडीएस पर प्राप्त ब्याज	ii) Interest received on TDS	17.31	2.56
iii) अन्यो पर ब्याज	iii) Interest on others	2.07	-
iv) बकाया देनदारी पर कर्मचारियों से वसूला गया ब्याज	iv) Interest recovered from employees against outstanding dues.	0.44	0.54
		1,623.17	625.23
ख. कबाड़ और शेष सामग्रियों की बिक्री	B. Sale of Scrap & Salvaged materials	6.90	20.45
ग. कर्मचारियों और अन्यो से लाइसेंस शुल्क, बिजली और पानी प्रभारों आदि की वसूली।	C. Recovery of Licence fee, Electricity & Water charges etc. from employees & others.	201.94	187.18
घ. विविध आय	D. Miscellaneous income	2,366.47	878.95
कुल	Total	4,198.48	1,711.81

वित्तीय विवरणों का हिस्सा Note:

- लाइसेंस शुल्क, पानी और बिजली प्रभारों की वसूली में लाइसेंस शुल्क, पानी और बिजली प्रभारों की मद में अन्य से 166.85 लाख रुपए (पिछले वर्ष 152.94 लाख रुपए) शामिल हैं।
- Recovery of licence fee, electricity & water charges includes ₹ 166.85 lakhs from others on account of licence fee, water & electricity charges (Previous year ₹ 152.94 lakh).
- मैसर्स एमएसटीसी के माध्यम से विक्रेता से प्राप्त दरो के अनुसार, अमोनिया-1 (पुराना एवं पुर्नगठित संयंत्र), सीडब्ल्यूआईपी (पुर्नगठित) तथा पूंजीगत स्टोर (पुर्नगठित) की हानि हेतु परिसम्पत्तियों की हानि के लिए प्रावधान की गई धन राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष 422.54 लाख रुपए) का उत्क्रम होने के कारण, इसे लाभ के रूप में मान्य किया गया है। एएस-28 के प्रावधानों के अनुसार इसे उपर क्रम संख्या ड में वर्णित विविध आय में शामिल किया गया है।
- An amount of Rs. Nil (Previous year ₹ 422.54 lakhs) has been recognized as profit on reversal of the provision for impairment of assets already provided for impairment of Ammonia - I (old and revamp Plant), CWIP (Revamp) and capital Stores (Revamp) on the basis of quotes received from vendors through M/s. MSTC - as provision of AS - 28 and included in Misc. Income SI. No.D above.

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के as at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 के as at 31st March, 2017
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.18 : COST OF MATERIALS CONSUMED		
<u>प्राकृतिक गैस</u>	<u>NATURAL GAS</u>		
प्रारंभिक स्टॉक	Opening stock	-	-
जमा: खरीद	Add: Purchases	7,346.40	8,289.22
प्रारंभिक स्टॉक और खरीद का योग	Total of Opening Stock and Purchase	7,346.40	8,289.22
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	Closing Stock	-	-
<u>उपभोग</u>	<u>CONSUMPTION</u>		
संयंत्र-II	Plant - II	2,869.42	2,547.14
संयंत्र- III	Plant - III	4,476.98	5,742.08
उपभोग का योग	Total of Consumption	7,346.40	8,289.22
भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों की खपत	Consumption of Stores and Spare Parts	1,093.50	1,449.00
		1,093.50	1,449.00
पैकिंग सामग्रियों की खपत	Consumption of Packing Materials	886.25	1,019.93
		886.25	1,019.93
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	Total of Cost of Materials Consumed	9,326.15	10,758.15
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.19 : PURCHASES OF STOCK - IN - TRADE		
सिटी कम्पोस्ट की खरीद	Purchase of City Compost	3.36	1.30
एसएसपी	SSP	802.34	365.69
योग	Total	805.70	366.99

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के अंत में	31 मार्च 2017 के अंत में
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.20 : CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS AND TRADING GOODS		
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	Inventories at the end of the year		
A	Stock of Manufactured goods		
यूरिया*	Urea *	1,747.68	2,431.67
मध्यवर्तियां/अर्द्ध-तैयार वस्तुएं (अमोनिया)	Intermediaries product (Ammonia)/goods	177.33	353.40
जैव उर्वरकों का स्टॉक	Stock of Biofertilizers	1.48	1.95
कृमि खाद का स्टॉक	Stock of Vermicompost	0.50	0.74
कुल	Total	1,926.99	2,787.76
वर्ष के शुरू में माल सूची :	Inventories at the beginning of the year:		
B	Stock of Manufactured goods		
यूरिया	Urea	2,431.67	656.60
मध्यवर्तियां/अर्द्ध-तैयार वस्तुएं (अमोनिया)	Intermediaries product (Ammonia)/goods	353.40	139.72
जैव उर्वरकों का स्टॉक	Stock of Biofertilizers	1.95	1.14
कृमि खाद का स्टॉक	Stock of Vermicompost	0.74	0.30
कुल	Total	2,787.76	797.76
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	Net (Increase) / Decrease in stock	860.77	(1,990.00)
* 31.03.2018 को यूरिया का अंतिम स्टॉक 17312.43 मी.टन (पिछले वर्ष 17734.70 मी.टन)	* The Closing stock of Urea as on 31.03.2018 17312.43 MT (Previous year 17734.70MT)		
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.21 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE		
वेतन और भत्ते	Salaries and wages	4,015.09	4,227.98
भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	Contributions to Provident and other funds	424.98	435.19
स्टॉफ कल्याण व्यय	Staff welfare expenses	1,100.57	1,088.56
उपदान देयता के लिए प्रावधान*	Provision for Gratuity Liability*	345.86	150.76
छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	Provision for Leave Liability	223.02	309.76
कुल	Total	6,109.52	6,212.25

(*) उपदान देयता की गणना अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए के लिए प्रावधान किया गया है, जिसे 29.03.2018 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है।
(*) Provision for Gratuity liability have been calculated considering maximum limit of Gratuity at ₹ 10 lakhs, which has been enhanced to ₹ 20 lakhs w.e.f. 29/03/2018.

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के अंत में	31 मार्च 2017 के अंत में
वित्तीय लागत - 2.22	NOTE 2.22 : FINANCE COST		
ऋण पर ब्याज ; %	Interest expense:		
क) भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर ब्याज	a) Interest on Unsecured loan from Govt of India		
i) सामान्य ब्याज	i) Normal Interest	-	-
ii) दंड ब्याज	ii) Penal Interest	-	-
ख) भारतीय स्टेट बैंक से अरक्षित ऋण पर ब्याज	b) Interest on Unsecured loan from State Bank of India		
विशेष बैंकिंग व्यवस्था के लिए	for Special Banking Arrangements	-	10.43
कुल ; ₹	Total	-	10.43
वित्तीय लागत - 2.23	NOTE 2.23 : REPAIRS & MAINTENANCE		
मरम्मत और अनुरक्षण - भवन	Repairs and Maintenance - Buildings	150.75	156.32
मरम्मत और अनुरक्षण - मशीनरी	Repairs and Maintenance - Machinery	1,040.43	798.37
मरम्मत और अनुरक्षण - अन्य	Repairs and Maintenance - Others	91.09	97.80
कुल ; ₹	Total	1,282.27	1,052.49
वित्तीय लागत - 2.24	NOTE 2.24 : POWER & FUEL		
विद्युत और ईंधन	Power and Fuel	15,857.40	17,352.77
कुल ; ₹	Total	15,857.40	17,352.77
वित्तीय लागत - 2.25	NOTE 2.25 : FREIGHT & HANDLING EXPENSE		
मालभाड़ा	Freight	3,568.49	4,357.28
हैंडलिंग प्रभार	Handling charges	493.18	563.95
कुल ; ₹	Total	4,061.67	4,921.23

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के लिए	31 मार्च 2017 के लिए
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.26 : Other Expenses :		
पट्टा किराया सहित किराया	Rent including Lease Rentals	16.33	12.66
बीमा	Insurance	83.99	76.82
दरें और कर	Rates and taxes	29.99	69.84
भूमि राजस्व	Land Revenue	21.07	21.07
संचार व्यय	Communication Expenses	18.16	19.77
यात्रा और वाहन	Travelling and Conveyance	24.51	28.86
मुद्रण और लेखन-सामग्री	Printing and Stationery	13.91	20.70
व्यवसाय संवर्धन	Business promotion	0.56	4.24
दान और अंशदान	Donations and Contributions	1.67	5.95
विधि और व्यावसायिक शुल्क	Legal and professional fee	12.44	13.29
सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान	Payments to auditors	2.00	2.39
फैक्टरी के अंदर सफाई कार्य	Cleaning work inside Factory	435.19	314.75
फैक्टरी के लिए विविध खर्च	Miscellaneous Expenses for factory	216.16	195.78
सुरक्षा व्यय	Security expenses (CISF)	1,296.37	1,322.06
निदेशक व्यय	Director expenses	15.39	14.14
अप्रचलित सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान	Provision for obsolescence of stores & Spares	82.85	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful advances	-	21.22
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts	61.51	20.22
विविध आकस्मिक मजदूरी टाउनशिप	Miscellaneous Casual labour township	173.68	123.98
विविध प्रशासन व्यय	Miscellaneous Administration expenses	555.77	371.21
निर्यात बिक्री के लिए व्यापार मार्जिन	Trade Margin for export sale	10.00	3.75
प्रतिधारकों को भुगतान	Payment to Retainers	372.97	262.89
खुले में पड़े औजारों का मूल्य ह्रास	Depreciation on loose tools	-	0.26
प्रतिस्थापित नियत परिसंपत्तियों के लिए बट्टे खाते में डाली गई नियत परिसंपत्तियां	Fixed Assets written off for replaced assets	85.42	81.30
पूर्व अवधि समायोजन	Prior Period Adjustment	(901.68)	271.16
कुल	Total	2,628.26	3,278.31

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 तक as at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 तक as at 31st March, 2017
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.26 : OTHER EXPENSES Contd....		
1. संबंधित पक्षों के संबंध में कंपनी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और लेखांकन मानक-18 के पैरा 10.13 के अनुसार राज्य नियंत्रित उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आती है।	Related Party Disclosures: Company is under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India and is within the meaning of state controlled enterprise as per para 10.13 of Accounting Standard -18.		
मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी	Key Management Personnel:		
(1) श्री धर्म पाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (*)	(1) Shri Dharam Pal Chairman & Managing Director (*)		
(2) श्री एस.डी सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**)	(2) Shri S.D.Singh, Chairman & Managing Director (**)		
(3) श्री आर.के. चंडोक, निदेशक (वित्त) (***)	(3) Shri R.K. Chandio Director (Finance) (***)		
(4) श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त) (****)	(4) Shri Sanjai Maheshwari Director (Finance) (****)		
संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन :	Transactions with related Parties :	2017 -18	2016 -17
1. श्री धर्म पाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (*)	1. Shri Dharam Pal Chairman & Managing Director (*)		
क) पारिश्रमिक:	a) Remuneration :	0.00	0.00
ख) यात्रा भत्ता	b) Travelling Allowance	0.05	1.36
ग) चिकित्सा व्यय	c) Medical Expenses	0.00	0.00
; कुल	Total	0.05	1.36
2. श्री एस.डी सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**)	2. Shri S.D.Singh, Chairman & Managing Director (**)		
क) पारिश्रमिक:	a) Remuneration		
वेतन और भत्ते	Salaries & Wages	18.25	16.37
भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contribution	1.76	1.62
ख) यात्रा भत्ता	b) Travelling Allowance	11.47	5.54
ग) चिकित्सा व्यय	c) Medical Expenses	3.48	4.95
; कुल	Total	34.96	28.48
3. श्री आर.के. चंडोक, निदेशक (वित्त) (***)	3. Shri R.K. Chandio Director (Finance) (***)		
क) पारिश्रमिक:	a) Remuneration :	0.00	0.00
ख) यात्रा भत्ता	b) Travelling Allowance	0.20	0.00
ग) चिकित्सा व्यय	c) Medical Expenses	0.00	0.00
; कुल	Total	0.20	0.00
4. श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त) (****)	4. Shri Sanjai Maheshwari Director (Finance) (****)		
क) पारिश्रमिक:	a) Remuneration		
वेतन और भत्ते	Salaries & Wages	1.65	0.00
भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contribution	0.12	0.00
ख) यात्रा भत्ता	b) Travelling Allowance	0.19	0.00
ग) चिकित्सा व्यय	c) Medical Expenses	0.00	0.00
		1.96	0.00
निम्नलिखित के संबंध में देय पारिश्रमिक के लिए देयता	Liability for remuneration payable in respect of		
1. श्री एस.डी सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1. Shri S.D.Singh, Chairman & Managing Director	2.06	1.23
2. श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त)	2. Shri Sanjai Maheshwari Director (Finance)	1.65	0.00
; कुल	Total	3.71	1.23

* दिनांक 29.09.2017 तक सीएमडी के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला

** दिनांक 29.09.2017 तक नियमित निदेशक (उत्पादन) के पद का कार्यभार संभाला और 29.09.2017 से निदेशक (उत्पादन) का अतिरिक्त कार्यभार सहित सीएमडी के नियमित पद धारित किया।

*** दिनांक 28.02.2018 तक निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला

**** दिनांक 01.03.2018 से निदेशक (वित्त) का पद प्रतिस्थापन पर कार्यभार संभाला

* Hold additional charge of the post of CMD upto 29.09.2017

** Hold the regular post of Director (Production) upto 29.09.2017 and assumed the regular post of CMD with additional charge of Director (Production) from 29.09.2017

*** Hold additional charge of the the post of Director (Finance) upto 28.02.2018

**** Assumed the post of Director (Finance) on deputation basis from 01.03.2018



वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	विवरण	PARTICULARS	31 मार्च 2018 के रूप में as at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 के रूप में as at 31st March, 2017
	वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.26 : Other Expenses contd...		
	युद्धांतरित व्यय का प्रतिशत	Auditors Remuneration :		
1.	1. सांविधिक लेखा-परीक्षक	1. Statutory Auditors		
	क) लेखा-परीक्षक के रूप में	a) As Auditor	1.60	1.84
	ख) सलाहकार के रूप में या निम्नलिखित के संबंध में किसी अन्य हैसियत से	b) As advisor or in any other capacity in respect of		
	i) कराधान मामले	i) Taxation matter	-	-
	ii) कंपनी विधि मामले	ii) Company Law matters	-	-
	iii) प्रबंधन सेवाएं	iii) Management Services	-	-
	ग) अन्य किसी ढंग से	c) In any other manner		
	i) कर लेखा-परीक्षक के रूप में	i) As Tax Auditor	0.42	0.27
	ii) यात्रा की प्रतिपूर्ति और जेब से व्यय	ii) Reimbursement of travelling and out of pocket expenses	0.40	0.55
	iii) अन्य सेवाएं	iii) Other Services	-	-
	1 का कुल प्रतिशत	Total of 1 :	2.42	2.66
2.	2. अन्य लेखा-परीक्षक	2. Other Auditors		
	यात्रा व्यय सहित अन्यो को भुगतान	Paid to others including travelling expenses	4.21	6.98
	2 का कुल प्रतिशत	Total of 2 :	4.21	6.98
	कुल प्रतिशत (1+2)	Total (1+2) :	6.63	9.64

	वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में	NOTE 2.26 : Prior Period adjustments.		
	उपभोग के दौरान मूल्य (-)	DEBIT DURING THE YEAR (-)		
	उपभोग की गई सामग्री	Material Consumed	0.38	16.15
	मरम्मत	Repairs	-	-
	मूल्य ह्रास	Depreciation	-	0.68
	मूल्य राजसहायता (निवल)	Price Subsidy (Net)	5.34	251.89
	भाड़ा राजसहायता	Freight Subsidy	1.38	0.13
	भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	Interest on Govt	-	1,268.45
	पिछली अवधि बिक्री	Past Period sales	-	-
	विविध व्यय	Misc Expenses	-	2.31
	भाड़ा	Freight	-	-
	कुल	Total	7.10	1,539.61
	वर्ष के दौरान क्रेडिट (+)	CREDIT DURING THE YEAR (+)	-	1,268.45
	भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	Interest on Govt loan	908.78	-
	भाड़ा	Freight	908.78	1,268.45
	कुल	Total		
	उपभोग के दौरान मूल्य के ऋण पर ब्याज का प्रतिशत	Net Debit / Credit : (+) / (-)	(901.68)	271.16

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

वर्ष Year	अग्रणीत व्यवसाय हानि B/F Business Losses	गैर-समायोजित मूल्य-ह्रास Un-absorbed Depreciation	कुल हानि Total Losses
31 मार्च, 2017 को As on 31 st March 2017	8675.50	20053.64	28729.14
इसलिए कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के खंड सं. 115जेबी (2)(iii) के अनुसार 8675.50 रुपए की अग्रणीत व्यवसाय हानियों में से 78.61 लाख रुपए वर्तमान रुपए का लाभ का समंजन करने का प्रस्ताव करती है।			
Therefore the company proposes to set off Rs.78.61 lakh (current year profit) from brought forward Business Losses of Rs. 8675.50 lakh as per clause no. 115JB (2) (iii) of the Income Tax Act 1961.			
कंपनी के नोट-1 की लेखांकन नीति सं. एन तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी 'आय पर करों के लिए लेखांकन' संबंधी लेखांकन मानक 22 के अनुसार विवेकसम्मत उपाय के रूप में वर्ष के अंत में लेखाओं में मुख्यतः शामिल न किए गए मूल्य ह्रास और अग्रणीत करयोग्य हानियों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्ति को 132.18 लाख रुपए तक मान्यता दी गई है।			
Year end deferred tax asset mainly arising out of unabsorbed tax, depreciation and carried forward taxable losses has been recognized for ₹ 132.18 lakhs in the accounts to set off the brought forward Deferred Tax Liabilities as a measure of prudence as per Accounting Policy No. N of Note - 1 of the company and also the Accounting Standard 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.			
Total			



(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

fooj.k		PARTICULARS		31 ekp 2018 dls as at 31st March, 2018	31 ekp 2017 dls as at 31st March, 2017
fVli.kh 2-28 %ifr 'ksj vk		NOTE 2.28 : EARNINGS PER SHARE			
क)	वर्ष के शुरु में इक्विटी शेयरों की संख्या	a)	Number of Equity Shares at the beginning of the year	3,658,324	3,658,324
	वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या		Number of Equity Shares at the end of the year	3,658,324	3,658,324
	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year	3,658,324	3,658,324
	प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य		Face Value of each Equity Share	1,000	1,000
ख)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयर धारकों के लिए निश्चित की गई निवल लाभ (असाधारण मदों से पहले पूर्व अवधि समायोजन के बाद) (रुपए लाखों में)	b)	Net Profit for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments but before Exceptional items) (₹ in lacs)	78.61	749.63
	वर्ष के लिए इक्विटी शेयर धारकों के लिए निश्चित की गई निवल लाभ (पूर्व अवधि समायोजन के बाद और असाधारण मदों के बाद) (रुपए लाखों में)		Net Profit for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments and Exceptional items) (₹ in lacs)	78.61	749.63
ग)	असाधारण मदों (रुपए/शेयर) से पूर्व कर के बाद लाभ पर प्रति शेयर मूल और मिश्रित कमाई	c)	Basic and Diluted earning per share on profit after tax before Exceptional items (₹/share)	2.15	20.49
घ)	कर और असाधारण मदों (रुपए/शेयर) के बाद लाभ पर प्रति शेयर मूल और मिश्रित कमाई	d)	Basic and Diluted earning per share on profit after tax and Exceptional items (₹/share)	2.15	20.49

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण 2-29 % वर्गीकृत नशरक		NOTE 2.29 : CONTINGENT LIABILITY		31 मार्च 2018 के as at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 के as at 31st March, 2017
क)	कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है:	a)	Claims against the Company not acknowledged as debts:		
(i)	मुकदमों और अन्य प्रतिबद्धताएं:	(i)	Litigation and Other Commitments :	346.30	0.00
	द्वारा		TOTAL	346.30	0.00
ख.	निम्नलिखित के पक्ष में जारी बैंक गारंटी	b)	Bank Guarantee issued in favour of :		
(i)	असम स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड	(i)	Assam State Fertilizers & Chemical Ltd	0.00	3.50
(ii)	एफए एंड सीएओ, एनएफ रेलवे, मालीगांव, गुवाहाटी	(ii)	FA & CAO, NF Railway, Maligaon, Guwahati	54.00	61.00
	द्वारा		TOTAL	54.00	64.50
ग.	साख पत्र के लिए मार्जिन राशि	c)	Margin Money for Letters of Credit	487.13	6.70
घ.	पूजीगत लेखा पर निष्पादित होने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि	d)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital Account	5.26	160.76

विवरण 2-30 % लेखन विवरण

NOTE 2.30 : **SEGMENT REPORTING**

कंपनी मुख्य रूप से यूरिया का उत्पादन और बिक्री करती है और इसलिए यह एक एकल व्यवसाय खंड है। इसके अलावा, कंपनी भारत में एकल आर्थिक माहौल में अपने उत्पादों को उपलब्ध कराती है और उनकी बिक्री करती है अर्थात् यह एक भौगोलिक खंड है। अतः आगे और कोई खुलासा नहीं किया गया है।

The Company manufactures and deals primarily in urea and as such there is a single business segment. Further, the company is engaged in providing and selling its products in single economic environment in India i.e. there is a single geographical segment. Hence, no further disclosures are made.

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, वित्तीय विवरण

NOTE 2.31 : ADDITIONAL INFORMATION FOR THE YEAR 2017-18

आयात का मूल्य, विदेशी मुद्रा में व्यय, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत, तथा अन्य संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:
Additional information in regard to value of Imports, Expenditure in Foreign Currency, Stores & Spares consumption, and other related details are furnished as under:

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

क्र.सं.	विवरण	SI No.	Particulars	31 मार्च 2018 के लिए as at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 के लिए as at 31st March, 2017
(1)	आयात का मूल्य CIF आधार पर, ₹ में	(1)	Value of Imports calculated on CIF basis :		
	(क) कच्ची सामग्रियां		(a) Raw Materials	-	-
	(ख) पूंजीगत वस्तुएं		(b) Capital Goods	96.16	84.38
	(ग) उपकरण और अतिरिक्त पुर्जे		(c) Components & Spare Parts	-	-
(2)	विदेशी मुद्रा में व्यय, ₹ में	(2)	Expenditure in Foreign Currency :		
	(क) उत्पादों की खरीद		(a) Purchase of Products	-	-
	(ख) तकनीकी जानकारी		(b) Know-how	-	-
	(ग) व्यावसायिक परामर्श शुल्क		(c) Professional Consultancy Fees	-	-
	(घ) अन्य सामग्रियां (यात्रा)		(d) Other Materials (Travelling)	-	-
(3)	कच्ची सामग्रियों, भंडारों, उपकरणों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य, ₹ में	(3)	Value of Raw Materials, Stores & Spare Parts and Components including Chemicals & Catalysts consumed :		
				(रुपए लाखों में) (₹ In lacs)	
				As at 31.03.2018	% As at 31.03.2017
	(क) आयातित		(a) Imported	231.55	2.48%
	(ख) स्वदेशी		(b) Indigenous	9094.60	97.52%
	कुल		Total	9326.15	100.00%
(4)	विदेशी मुद्रा में आय, ₹ में	(4)	Earning in Foreign Currency (₹ In Lakhs)	-	-
(5)	व्यावसायिक विकास व्यय, ₹ में	(5)	Research & Development (₹ In Lakhs)		
	(क) राजस्व व्यय		(a) Revenue Expenditure	-	-
	(ख) पूंजीगत व्यय		(b) Capital Expenditure	-	-

वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में
Notes forming part of the financial statements (contd.)

विवरण 2-32% पूर्व वर्षों की तुलना

NOTE 2.32 : PREVIOUS YEARS COMPARISON

- | | |
|---|--|
| क) आंकड़ों को निकटतम लाख रुपए तक पूर्णांकित किया गया है सिवाय उसके जहां अन्यथा ऐसा उल्लेख किया गया हो। | a) Figures have been rounded off to the nearest lacs of rupees except where otherwise stated. |
| ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को कोष्ठक में दर्शाया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। | b) Previous year's figures have been shown in brackets unless otherwise stated. |
| ग) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां-कहीं आवश्यक था, पुनः वर्गीकृत, पुनः व्यवस्थिति और पुनः वर्गीकृत किया गया है। | c) Previous year's figures have been regrouped, rearranged and reclassified, wherever necessary. |

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./—

वर्तमान अध्यक्ष
कंपनी सचिव

Sd/-

R.K. Gupta
Company Secretary

ह./—

लक्ष्मी शर्मा
निदेशक (वित्त)

डीआईएन - 653170

Sd/-

Sanjai Maheshwari
Director (Finance)
डीआईएन DIN - 653170

ह./—

लक्ष्मी शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 6386219

Sd/-

S.D. Singh
Chairman & Managing Director
डीआईएन DIN - 6386219

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed.

परिक & कं
For Parik & Co

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants,

ह./—

लक्ष्मी शर्मा
भागीदार

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805

सीएण्डएजी एमपैनलमेंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855

स्थान : नामरूप
Place : Namrup

Sd/-

CA Bipin Kumar
Partner

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E

दिनांक : 24.08.2018
Date : 24.08.2018



ब्राह्मपुत्र घाटी उर्वरक लिमिटेड का:
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
संक्षिप्त प्रदर्शन
PERFORMANCE AT A GLANCE

₹/ला. /Rs. in Lakhs

Sl. No	Particulars	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03
1	बिक्री Sales	17801	17278	17760	21039	18421	29026	23135	17589	17762	11245	15994	15317	9946	12469	12170	7272
2	राजसहायता Subsidy	20315	27284	44894	38712	27375	27803	17449	22504	8416	3827	9381	13158	3469	2364	2312	570
3	कुल कारोबार (1+2) Total Turn Over (1+2)	38116	44562	62654	59751	45796	56829	40584	40093	26178	15072	25375	28475	13415	14833	14482	7842
4	अन्य आय Other income	4199	1712	2019	1436	2641	2907	2357	1309	1529	1396	946	930	820	1030	326	1461
5	स्टॉक: जमा (+) घटा (-) Stock: accretion(+) decretion(-)	-861	1990	319	-582	-11	623	248	-158	-128	-494	-228	-153	1132	-2226	588	1490
6	कुल आय Total Income	41454	48264	64992	60605	48426	60359	43189	41244	27579	15974	26093	29252	15367	13637	15396	10793
7	कच्ची सामग्रियां (फीड स्टॉक पैकिंग सामग्रियां आदि) Raw materials (Feed Stock, packing materials etc.)	9326	10758	14239	14845	11419	12106	8321	8005	5382	4841	5767	5472	3828	3210	3153	2495
8	वेतन और भत्ते Salaries & Allowances	6110	6212	7439	5950	5955	6421	5010	4504	4156	4109	3868	4213	3426	2686	2650	3418
9	मरम्मत और रखरखाव Repairs & Maintenance	1282	1052	1036	980	1262	761	1200	767	1045	1230	1245	1164	667	448	474	325
10	विद्युत और ईंधन Power & Fuel	15857	17353	25123	26366	20050	20937	16185	17011	9734	8418	9551	9560	6957	4672	4891	4141
11	अन्य विनिर्माण व्यय Other Expenses (Incl. Freight & Handling)	7496	8568	10693	11071	9041	8593	8613	7154	5772	7452	4975	4815	4052	3425	6082	2461
12	कुल व्यय (भाड़ा और रखरखाव सहित) Total Expenditure	40071	43943	58530	59212	47727	48818	39329	37441	26089	26050	25406	25224	18930	14441	17250	12840
13	सकल मार्जिन (6-12) Gross margin(6-12)	1383	4321	6462	1393	699	11541	3860	3803	1490	-10076	687	4028	-3563	-804	-1854	-2047
14	ब्याज और वित्तीय प्रभार Interest & Financial charges	0	10	0	9110	9091	9079	8112	7446	6361	7951	7185	6137	2698	774	625	1382
15	मूल्य ह्रास Depreciation	3632	3561	3612	3494	4548	4433	4364	4099	4071	3845	3951	3873	1900	709	624	548
16	अवधि पूर्व समायोजन [जमा (+)/घात (-)] Prior Period Adjustment [Debit (+)/ Credit (-)]	0	0	0	1507	2889	1293	4265	767	-2689	-369	135	255	1816	-520	1314	-771
17	कर पूर्व लाभ Profit before taxation	-2249	750	2850	-12718	-15829	-3264	-12881	-8509	-6253	-21503	-10584	-6237	-9977	-1767	-4417	-3206
18	कर के लिए प्रावधान Provision for taxation	132	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	असाधारण मदें Extra Ordinary items	2196	0	0	77462	0	0	0	0	3467	0	0	0	0	4021	0	0
20	निवल लाभ/हानि Net Profit/Loss	79	750	2850	64612	-15829	-3264	-12881	-8509	-2786	-21503	-10584	-6237	-9977	2254	-4417	-3206
21	सकल ब्लॉक Gross Block	112252	110853	111178	110914	108737	106547	107425	102454	101591	97819	97745	97808	96151	49665	45886	45622
22	घटा: संचयी मूल्य ह्रास Less :Cumulative Depreciation	81200	77609	75651	72067	69454	65296	62159	57794	53678	48879	45034	41221	37351	35450	35596	34900
23	घटा: इम्पेयरमेंट के लिए प्रावधान Less :Provision for Impairment	0	0	543	113	113	113	113	113	1821	2142	0	0	0	0	0	0
24	निवल ब्लॉक Net block	31052	33244	34984	38734	39170	41138	45153	44547	46092	46798	52711	56587	58800	14215	10290	10722
25	चल रहा पूंजीगत कार्य Capital work in progress	424	724	2358	2787	5425	2923	2093	2131	3553	2759	2801	2766	3435	29525	19957	11401
26	निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां Assets Held for Disposal	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	अमूर्त परिसंपत्तियां (परियोजना) Intangible Assets (Project)	713	726	689	648	640	578	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां Other non current assets	0	0	0	0	0	0	255	117	161	0	0	0	40	80	120	160
29	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम Long Term Loans & Advances	6	6	83	209	372	1337	884	853	197	158	6	17	61	13060	18425	16610
30	वर्तमान परिसंपत्तियां Current assets	46483	48686	49504	48793	41314	51052	37990	34894	26088	15875	20321	17244	12926	14400	24832	17841
31	वर्तमान देयताएं एवं अल्पावधि प्रावधान Current Liabilities & Short Term Provision	8143	12128	15800	22246	16710	20208	16329	15970	18204	13849	11658	11797	14687	12622	17527	10557
32	अल्पावधि उधार Short Term Borrowings	0	0	0	0	0	0	0	0	151	145	79	0	0	0	0	4448
33	संचयी हानि Accumulated Losses	28651	28729	29479	32328	96940	81111	77848	64966	56457	53671	32168	21584	15347	5369	7623	3206
34	कुल उपयोग Total Utilisation	99186	100834	101297	101253	167151	157931	148455	131538	114193	105267	96270	86401	75922	64027	63720	44935
35	कार्यशील पूंजी (30-31-32) Working Capital (30 - 31- 32)	38340	36558	33704	26547	24604	30844	21661	18924	7733	1881	8584	5447	-1761	1778	7305	2836
36	दीर्घावधि उधार Long term Borrowings	57275	57275	57275	57275	125170	116091	106544	90035	77610	68684	59687	49818	42425	32879	33017	14232
37	दीर्घावधि देयताएं और प्रावधान Long term Liabilities & Provisions	5328	4648	5111	5067	5398	5257	5328	4920	0	0	0	0	0	0	0	0
38	शेयर पूंजी Share Capital	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	33497	31148	30703	30703
39	आस्थगित कर देयताएं Deferred Tax Liability	0	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	पूंजी रिजर्व Capital Reserve	0	2196	2196	2196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	कुल स्रोत Total Sources	99186	100834	101297	101253	167151	157931	148455	131538	114193	105267	96270	86401	75922	64027	63720	44935
42	निवल मूल्य (38+40-33) Net Worth (38 + 40-33)	7932	10050	9300	6451	-60357	-44528	-41265	-28383	-19874	-17088	4415	14999	18150	25779	23080	27497



43	निवेश की गई पूंजी (24+35) Capital Employed (24+35)	69392	69802	68688	65281	63774	71982	66814	63471	53825	48679	61295	62034	57039	15993	17595	13558
44	अंतिम स्टॉक:- Closing Stock:-																
	तैयार वस्तुएं Finished Goods	1750	2434	658	383	994	1013	299	82	278	279	926	1182	1355	195	2446	2459
	चल रहा कार्य Work Progress	177	353	140	95	66	58	148	50	79	153	53	26	5	35	9	17
	व्यापार संबंधी वस्तुएं Trading Goods	0	0	0	0	0	0	0	68	1	54	0	0	0	0	0	0
	भंडार और अतिरिक्त पुर्जे आदि Stores & Spares etc.	3052	3270	3498	3578	3337	4350	3271	3452	3614	3244	3023	3353	3444	3463	3944	4224
45	विविध देनदार Sundry Debtors	8740	27561	42200	38831	22223	19941	10667	13458	5664	1911	3659	4684	1567	2087	2486	275
46	नकद और बैंक बकाया Cash & Bank Balance	30678	13819	1734	4821	13876	24944	23106	16833	15489	9352	11765	7288	5719	8049	15490	9526
47	अन्य चालू परिसंपत्तियां Other Current Assets	708	211	150	444	322	339	61	355	390	515	581	436	142	98	105	77
48	ऋण और अग्रिम Loans & Advances	1378	1038	1124	641	496	407	438	596	573	367	314	275	694	473	352	1263
49	कुल (45 से 52) Total (45 to 52)	46483	48686	49504	48793	41314	51052	37990	34894	26088	15875	20321	17244	12926	14400	24832	17841
50	घटा: वर्तमान देनदारियां Less: Current Liabilities	8143	12128	15800	22246	16710	20208	16329	15970	18355	13994	11737	11797	14687	12622	17527	15005
51	निवल कार्यशील पूंजी (49-50) Net Working Capital (49-50)	38340	36558	33704	26547	24604	30844	21661	18924	7733	1881	8584	5447	-1761	1778	7305	2836
52	सकल आंतरिक संसाधन (15+20) Gross Internal Resources (15+20)	3711	4311	6462	68106	-11281	1169	-8517	-4410	1285	-17658	-6633	-2364	-8077	2963	-3793	-2658
53	संचयी सकल आंतरिक संसाधन (22-33) Cumulative Gross Internal Resources (22-33)	52549	48880	46172	39739	-27486	-15815	-15689	-7172	-2779	-4792	12866	19637	22004	30081	27973	31694
54	स्थापित क्षमता (एन) Installed Capacity (N)																
	यूरिया (मी.टन) Urea (MT)	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	351320	315000	315000	315000
55	उत्पादन (एन) Production (N)																
	यूरिया (मी.टन) Urea (MT)	269586	310605	322645	359003	306071	390693	278889	285143	309577	190528	329977	308303	234578	203060	240590	186500
56	क्षमता उपयोग (%) यूरिया Capacity Utilisation (%) UREA	52.86	60.90	63.26	70.39	60.01	76.61	54.68	55.91	60.70	37.36	64.70	60.45	66.77	64.46	76.38	59.21
57	बिक्री मात्रा (मी.टन) Sales Quantity (MT)																
	यूरिया Urea	269972	297641	320606	364704	306703	383354	276449	288303	308812	200067	333473	314676	213700	247572	234623	156032

ब्राह्मपुत्र घाटी उर्वरक सं. लि.
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

सीआईएन : यू24123एस2002जीओआई006786

पंजीकृत कार्यालय : नामरूप, पोस्ट आफिस: पर्वतपुर –
786623, जिला: डिब्रूगढ़, असम, भारत

टेलीफोन नंबर: 0374-2500618; फैक्स: 0374-2500317,
ईमेल आईडी: info@bvfc.co.in
वेबसाइट: www.bvfc.com

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER
CORPORATION LIMITED

CIN: U24123AS2002GOI006786

Registered Office : Namrup, P.O.: Parbatpur -786623,
Dist : Dibrugarh, Assam, India

Tel. No.: 0374-2500618; Fax No: 0374-2500317
E-mail Id : info@bvfc.co.in,
Website : www.bvfc.com

16वां वार्षिक आम सभा, मिर्जापुर

रजिस्टर्ड फोलियो :

शेयरों की संख्या :

सदस्य का नाम और पता :

मैं एतद्वारा शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 को 10:00 बजे पूर्वाह्न "सम्मेलन कक्ष, प्रशासनिक भवन, नामरूप, पो.ओ. पर्वतपुर, जिला: डिब्रूगढ़ – 786623 (आसाम)" में कंपनी की 16वीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

नाम, पता और सदस्य का नाम	सदस्य का नाम	सदस्य का नाम
	नाम	पता

कृपया इस उपस्थिति पर्ची पर हस्ताक्षर कर इसे कक्ष के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

ATTENDANCE SLIP FOR 16TH ANNUAL GENERAL MEETING

Registered Folio :

No. of Shares :

Name and Address of the Member:

I hereby record my presence at the 16th Annual General Meeting of the Company held at "Conference Room, Administrative Building, Namrup, P.O.: Parbatpur, District-Dibrugarh-786623 (Assam) " on Friday, 28th September, 2018 at 10.00 A.M.

If Member , please sign here	If Proxy, please mention name and sign here	
	Name of Proxy	Signature

Note: Please sign this Attendance Slip and hand it over at the Entrance of meeting of Hall.



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : यू24123एस2002जीओआई006786
पंजीकृत कार्यालय : नामरूप, पोस्ट आफिस:
पर्वतपुर-786623, जिला: डिब्रूगढ़, असम, भारत
फोन : 0374-2500618; फैक्स: 0374-2500317,
ईमेल आईडी: info@bvfc.co.in
वेबसाइट : www.bvfc.com

प्रतिनिधि

मैं, _____,
_____, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक
विभाग, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
नामरूप, का सदस्य होने के नाते श्री _____,
_____, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक
विभाग, को शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 को 10:00 बजे
पूर्वाह्न "सम्मेलन कक्ष, प्रशासनिक भवन, नामरूप, पो.आ.
पर्वतपुर, जिला डिब्रूगढ़-786623 (असम)" में कंपनी की 16वीं
वार्षिक आम सभा में, थोड़े समय के नोटिस पर, अपनी
ओर से मतदान करने और उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि
नियुक्त करता हूँ।

हस्ताक्षर :

नाम :

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली

फोलियो नंबर :

एक रुपए
की राजस्व
टिकट

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

CIN: U24123AS2002GOI006786
Registered Office : Namrup, P.O.: Parbatpur -786623,
Dist : Dibrugarh, Assam, India
Tel. No.: 0374-2500618; Fax No: 0374-2500317;
E-mail Id : info@bvfc.co.in,
Website : www.bvfc.com

INSTRUMENT OF PROXY

I, _____,
_____, Ministry of Chemicals and Fertilizers,
Department of Fertilizers being a member of Brahmaputra
Valley Fertilizer Corporation Limited, Namrup hereby
appoint Shri _____,
_____, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department
of Fertilizers, as my proxy to vote for me and on my behalf
at the 16th Annual General Meeting of the Company to
be held on Friday, the 28th day of September, 2018 at
10.00 A .M. at the Registered Office of the Company in
the Conference Room, Administrative Building, Namrup,
P.O.: Parbatpur, District-Dibrugarh-786623 (Assam), at
a shorter notice.

Signature :

Name :

Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Fertilizers
Shastri Bhavan
New Delhi

Folio No. :

One Rupee
Revenue
Stamp



श्रीमति सविता सिंह, महिला क्लब की अध्यक्षा अन्य महिला सदस्यों के साथ

Mrs Savita Singh, President of ladies club with other ladies members of club



श्रीमति सविता सिंह, महिला क्लब की अध्यक्षा गणतंत्र दिवस 2018 पर पुरस्कार वितरित करते हुए

Mrs Savita Singh, President of ladies club distributing prizes on Republic Day 2018



बीवीएफसीएल हायर सेकेन्ड्री स्कूल, नामरूप में हुए मॉकड्रिल का एक दृश्य

A scene of Mockdril held at BVFCL Higher Secondary School, Namrup



श्री ए.के. घोष, निदेशक (उत्पादन) बीवीएफसीएल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरित करते हुए

Shri A.K. Ghosh, Director (Production), BVFCL distributing prizes on the occasion of National Safety Day



ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED